द्वितीय माला, खण्ड १८—अंक ६

१८ अगस्त, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Sesssion)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १८ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

137 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

(द्वितीय माला, खण्ड १८, अंक १ से १०—११ अगस्त से २२ अगस्त, १९५८)

अंक १—सोमवार, ११ अगस्त, १९५८

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण । १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९ से १२ और १४ से २१ . १—२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८, १३ और २२ से ३७ . . २५—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७५ . . ३४—६७

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ६८—७८

१. केरल में स्थिति . . . . ६८—७३

२. भारत-पाकिस्तान सीमा की घटनायें . . . ७३—७८

श्री रायजादा हंसराज का निधन ७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७९—८२

प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश . . ८२

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश . . . ८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८२

केन्द्रीय बिक्रीकर (दूसरा संशोधन) विधेयक . . ८३

प्रवर समिति का प्रतिवेदन ८३

तारांकित प्रश्न संख्या २०३७ के उत्तर की शुद्धि . . ८३

रेलवे की बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . ८३—८६

केरल तथा मद्रास में विषैले भोजन के मामलों सम्बन्धी जांच आयोग के सम्बध में वक्तव्य—

प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . . ८६—८८

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक ८८

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना के लिये समय का बढ़ाना . ८८

विधेयक पुरःस्थापित . . . . . ८८—९२

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक . ८८—८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक ८९—९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्तारण) विधेयक ९०—९१

पृष्ठ

५. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय संशोधन विधेयक . ९१

६. राजघाट समाधि (संशोधन) विधेयक . ९१

७. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ९२

सभा पटल पर रखे गये अध्यादेशों के सम्बधं में वक्तव्य . ८९—९३

१. सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां अध्यादेश, १९५८ . ८९

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, १९५८ . ८९

३. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश, १९५८ . ९०

४. श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अध्यादेश, १९५८ ९०–९१

५. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश ९२–९३

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विधेयक— . ९३—१००

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ९३

नीवेली लिग्नाइट निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में चर्चा . . . . . १००—१०९

ब्यापार तथा पण्य चिन्ह विधेयक . . . १०९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १०९

व्यापार तथा पण्य चिह्न विधेयक . . १०९

संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा गया १०९

कार्य मंत्रणा समिति— . . १०९

छब्बीसवां प्रतिवेदन . . . १०९

दैनिक संक्षेपिका . . . ११०—११८

अंक २—मंगलवार १२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८, से ४१, ५४, ५५, ६२, ४४, ४५, ४७ से ४९, ५१ से ५३ और ५६ ११९—१४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, ४३, ४६, ५०, ५७, से ६१ और ६३ से ७० . . . १४२—१५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६, से ९३, ९५ से १४४ और १४६ से १८२ १५०—१९९

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव . . . १९९—२०२

जमशेदपुर में सेना का बुलाया जाना . . १९९—२०२

श्रीमती अनुसूया बाई काले का निधन . . २०२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०२—२०३

तारांकित प्रश्न संख्या १९२५ के उत्तर की शुद्धि २०४

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन २०४

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष विषयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २०४

खण्ड २ से ३९ और १ . . . २२१—२२३

पारित करने का प्रस्ताव . . २२३

अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . २२३—२२८

खण्ड १ और २ . . . . २२९

पारित करने का प्रस्ताव २३०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)—१९५४–५५ २३०—२४४

दैनिक संक्षेपिका . . ३४५—३५१

अंक ३,—बुधवार, १३ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ७३ और ७५ से ८७ २५३—२७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४ और ८८ से १११ . . २७५—२८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८३ से २३५ और २३७ से २८६ २८६—३२८

स्थगन प्रस्ताव—

अहमदाबाद में स्थिति ३२९—३३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३३२—३३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कोटला बिजली घर का बन्द हो जाना ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या २०९९ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८ तथा १३१५ के उत्तर की शुद्धि ३३८

तारांकित प्रश्न संख्या १४८६ के उत्तर की शुद्धि ३३९

विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्बन्धी वक्तव्य—

श्री मोरारजी देसाई ३३९—३४२

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

राष्ट्रीय सेना छात्र निकाय की केन्द्रीय सलाहकार समिति . . ३४२—३४३

चीनी निर्यात सम्बर्द्धन विधेयक— पुरःस्थापित . . . ३४३

चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश के सम्बन्ध में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया . ३४३

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प—अस्वीकृत . . ३४३—३४६

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क) विधेयक—

पारित करने का प्रस्ताव . ३४६—३५७

खंड १ से ६ पारित करने का प्रस्ताव ३६२

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी संविहित संकल्प तथा बनारस हिन्दूविश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ३६३—३७२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३७३—३८५

अंक ४—गुरुवार, १४ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२, ११३, और ११५ से १३० ३८७—४१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४ . ४१५—४२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७, से ३४४, ३४६ से ३५० और ३५२ ४२३—४५५

श्री लल्लन जी का निधन . . . ४५४

स्थगन प्रस्ताव ४५४

उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . ४५४—४५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४५५—४५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति तेइसवां प्रतिवेदन ४५६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना मध्यपूर्व की स्थिति ४५६—४६२

लागत लेखा प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में वक्तव्य . ४६२—४६३

विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक—पुरःस्थापित . ४६३

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक . ४६३—५०३

दैनिक संक्षेपिका ५०४—५०८

अंक ५—शनिवार, १६ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १५०, १५४ से १५६ और १५८ से १६५ ५०९—५३३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१ से १५३, १५७ और १६६ से १७७ . ५३४—५४०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३—४३६ ५४०—५८०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५८०—५८३

लोक लेखा समिति—

सातवां प्रतिवेदन ५८३

सभा का कार्य ५८३

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना ५८४

विनियोग (रेलवे) संख्या ३, विधेयक, १९५८ . . . ५८४

विचार करने का प्रस्ताव ५८४
खण्ड १ से ३ तथा अनुसूची पारित करने का प्रस्ताव . . ५८४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प
—अस्वीकृत . . . ५८५—६०५

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . ५८५—६०५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ६०६

कुछ उद्योगों में मजदूरनियों की कमी के बारे में संकल्प ६०७—६१४
एकाधिकार रखने वाले साथों के कार्य के बारे में संकल्प ६१४—६२२
दैनिक संक्षेपिका ६२३—६३०

अंक ६—सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से १८०, १८२ से १८६, १८८ से १९०, १९२, १९४ से १९६, १९८ से २००, २०२ और २०३ ३३१—३५६

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि . ६५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१, १८७, १९१, १९३, १९७, २०१ और २०४ से २१८ . . . . ६५६—६६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४० से ५१८ . . ६६५—६९७

स्थगन प्रस्ताव . . . . ६९७—७५५

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें . . . ६९७—६९८
दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना—अस्वीकृत . . ६९८—७५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ७०१—८०४

पृष्ठ

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . . . ७०४

सदस्य की नजरबन्दी तथा रिहाई . . . ७०४

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . ७०४

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य . ७०४–७०५

रेलवे बोर्ड में परिवर्तनों सम्बन्धी वक्तव्य . . ७०५–७०६

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश . . ७०६

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७०६—७१२

खण्ड २ से ४ तथा १ . . . . ७१४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ७१४

श्री दातार . . . . ७१२—७१४

सशस्त्र बल (आसाम तथा मणिपुर) विशेष शक्तियां विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . ७१४—७३१

खण्ड २ से ७ तथा १ . ७३२

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ७३२—७५५

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव ७५५

दैनिक संक्षेपिका . . . . ७५६—७६२

अंक ७— मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २१९, २२० और २२२ से २३४ . ७६३—७८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या २२१ और २३५ से २७१ . . ७८८—८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१९ से ५८४, ५८६ और ५८७ . . ८०४—८३६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ८३७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८३७–८३८

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

जमुना में बाढ़ और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही . . ८३८–८३९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ८४०—८६९

दिल्ली में पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य . . . ८६९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ८७०—८७४

अंक ८—बुधवार, २० अगस्त, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२ से २७४, २७७, २७८, २८१, २८२, २८५ से २८९ और २९१ से २९६ . . ८७५—९००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ और २ . . . ९००-९०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २७९, २८३, २८४, २९० और २९७ से ३२७ . ९०१—९१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८८ से ६५६ . . ९१७—९४६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ९४७

श्री बीरकिशोर रे का निधन . . ९४७-४८

स्थगन प्रस्ताव . . ९४८—९५०

१. कोयम्बटूर में मिल का बन्दा हो जाना ९४८-९४९

२. जयपुर में स्थिति . ९४९-९५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९५१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . ९५१

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव . ९५२—९६१

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव ९६२—१०००

दो सदस्यों की गिरफ्तारी . ९८०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन ९९१

दैनिक संक्षेपिका . १००१—१००७

अंक ९, गुरुवार, २१ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२८ से ३३०, ३३२, ३३३, ३५५, ३३५ से ३३७ ३३९, ३४०, ३४२, ३४४ और ३४५ . . १००९—१०३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३३१, ३३४, ३४१, ३४३, ३४६ से ३५४ और ३५६ से ३९१ . . . . १०३१—१०५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६१, ६६३ से ७०५ और ७०७ से ७२४ १०५०—१०७४

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०७४

वाणिज्यिक नौवहन विधेयक १०७५

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १०७५

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया । . १०७५

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्ताइसवां प्रतिवेदन १०७५–७६

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव १०७६—११२६

दैनिक संक्षेपिका ११२७—११३२

अंक १०, शुक्रवार, २२ अगस्त, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०४, ४१०, ४११, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ और ४२९ ११३३—११६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०१, ४०५ से ४०९, ४१२, ४१४ से ४१६ ४१८, ४१९, ४२७ और ४३० से ४३५ . . ११६१—११६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ से ७३१, ७३३ से ७४४ और ७४६ से ७८९ ११६९—११९५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११९५

सभा का कार्य ११९६

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना । ११९६–११९७

मनीपुर और त्रिपुरा (विधियों का निरसन) विधेयक—पुरस्थापित . ११९७

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११९७—१२१०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन . . . १२११

तेलों के उद्जनीकरण पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित . १२११

भारतीय विवाह-विच्छेद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा ३ का संशोधन तथा धारा १० और ११ आदि के स्थान पर अन्य धाराओं का रखा जाना)—पुरस्थापित. . १२११

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५८—

(धारा १३ और द्वितीय अनुसूची का संशोधन)—पुरस्थापित . १२१२

	पृष्ठ
कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८—(अनुसूची १ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८— (धारा ११६-क का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१२–१२१३
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक, १९५८— (धारा ६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१३
पशुओं के चारे में निर्यात पर रोक विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१३
विस्थापित व्यक्तियों का (प्राकृतिक आपत्तियों से) पुनर्वास विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४
एकाधिकार और व्यापार सम्बन्धी अनुचित तरीके (जांच तथा रोक) विधेयक, १९५८—पुरस्थापित	१२१४–१३१५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	१२१५
संविधान संशोधन विधेयक, १९५८— (अनुच्छेद १३६ का संशोधन)—पुरस्थापित	१२१५
भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२१५—१२२५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	१२२५—१२३२
दैनिक संक्षेपिका	१२३३—१२३७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, १८ अगस्त, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बरौनी और गोहाटी में तेल शोधन शालायें

+

†*१७८. श्री वि० च० शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अमर सिंह डामर :
सरदार इकबाल सिंह :
पण्डित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी और बरौनी की प्रस्तावित तेल शोधनशालाओं के बारे में सरकार को परियोजना अध्ययन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) ये परियोजना अध्ययन किस तिथि तक तैयार होने की आशा है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अभी तक छः में चार अंक प्राप्त हुये हैं। शेष अंक शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। श्रीमान, मैं यह भी कहता हूं कि इस प्रश्न के उत्तर का अंतिम रूप तैयार करने के पश्चात् दो अंक और भी प्राप्त हो गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। अभी इस प्रतिवेदन का विस्तृत ब्यौरा प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री वि० च० शुक्ल:** क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम परामर्शदाताओं की सिफारिशें स्वीकार कर लेने से शोधनशाला की लागत में लगभग १३० लाख पौण्ड स्टर्लिंग और उसकी आवर्ती लागत में लगभग १० करोड़ रुपये का तुरन्त लाभ होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** ये सब आंकड़े आई० ओ० सी० के परामर्शदाताओं द्वारा मोटे रूप में बता दिये गये हैं। किन्तु सामान्य स्थिति देखते हुए इन आंकड़ों के सम्बन्ध में सरकार का अनुमान इनके प्रणेताओं से सर्वथा मिलता जुलता नहीं है।

†**श्री वि० च० शुक्ल:** आयल इण्डिया का भारत सरकार के साथ समझौता केवल तेल निकालने और उसे शोधनशालाओं में पहुंचाने तक ही सीमित है। तैयार माल को ले जाने और उसे उपभोक्ताओं में वितरित करने के लिये सरकार किस प्रक्रिया, संगठन अथवा प्रारूप का प्रश्रय ले रही है अथवा इसके लिये क्या उपाय ढूंढा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** जब शोधनशालाओं में तेल प्रवाह आरम्भ हो जायेगा तो तैयार माल को सामान्य रूप से भेजने की आशा की जाती है। उसे आज की भांति रेलवे द्वारा ही भेजा जायेगा। किन्तु तेल शोधनशालाओं द्वारा काम आरम्भ करने के बाद सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि तैयार माल ले जाने के लिये वैकल्पिक उपाय हैं अथवा नहीं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद:** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में काफी खर्च अन्तर्ग्रस्त है तो फिर सरकार आसाम तेल शोधनशाला की स्थापना के बारे में रूमानिया के साथ समूची वार्ता क्यों कर रही है जबकि सम्पूर्ण योजना प्रतिवेदन सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। रूमानिया के साथ चलने वाली वार्ता में आसाम राज्य सरकार क्यों नहीं सम्मिलित की गई जबकि वहां तेल का उत्पादन होता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** योजना प्रतिवेदन की शर्तें सर्वथा स्पष्ट हैं और वे पाइप लाइन तथा शोधनशाला की वितरण पद्धति के प्रश्न पर भी परामर्श देते हैं। इस तथ्य में परस्पर विरोधी ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार ने तेल शोधनशाला की स्थापना की जांच करने के साथ ही परामर्श-दाताओं से प्रतिवेदन प्राप्त करना भी आरम्भ कर दिया।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना खुलने वाला है उस पर कुल कितना खर्च आयेगा और क्या सरकार ने साइट को सिलेक्ट कर लिया है ?

श्री के० दे० मालवीय: जी नहीं, अभी तो मामले पर विचार हो रहा है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा:** क्या इस परियोजना सम्बंधी अध्ययन के परीक्षण में कुछ टैक्नीकल व्यक्ति आमंत्रित किये गये हैं, और यदि हां, तो वे टेक्नीकल व्यक्ति भारतीय हैं अथवा विदेशी हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय:** विभिन्न स्रोतों द्वारा टैक्नीकल सम्मति प्राप्त की जा रही है। उनमें से अधिकांशत: विदेशों से सम्बद्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नारायणन कुट्टि मेनन् : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में अवस्थित तीन शोधनशालाओं में मोटर गैसोलीन आवश्यकता से अधिक है क्या सरकार इस रिपोर्ट पर विचार और निर्णय करते समय इन शोधनशालाओं में मोटर गैसोलीन के बजाय मिट्टी का तेल साफ करने पर अधिक जोर देगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी हां । हम इन योजनाओं पर विचार कर रहे है ।

†श्री वासुमतारी : क्या आसाम सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के परामर्श से आसाम में केवल एक तेल शोधनशाला की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा क्या आसाम में केवल एक विशाल तेल शोधनशाला बनाना व्यावहारिक सिद्ध हुआ है ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां । आसाम सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं जिसमें दो स्थानों में दो शोधनशालाओं की स्थापना के सरकारी प्रस्ताव के स्थान पर एक बड़ी शोधनशाला की योजना है ।

†श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि ४० लाख टन तेल उत्पादन की क्षमता वाले तेल कूप शोधनशाला आरम्भ करने में विलम्ब के कारण बेकार हो गये हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : जब एक तेल कूप क्रूड आयल के उत्पादन के लिये तैयार है तो विलम्ब का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । और भी अनेक कार्य करने हैं । इसके अतिरिक्त मेरे मित्र ने जो संख्या बताई है वह सही नहीं है । यदि हम परिवहन के लिये तैयार रहें तो कदाचित् कुछ महीनों में ही १० या २० लाख टन क्रूड आयल का उत्पादन किया जा सकता है ।

†श्री मफीदा अहमद : माननीय खनिज तथा तेल मंत्री ने जुलाई, १९५८ में आसाम के मुख्य मंत्री को बताया था कि सरकारी प्रतिनिधिमण्डल बुखारेस्ट में बातचीत कर रहा है । अब सरकारी प्रतिनिधिमण्डल लौट आया है फिर औपचारिक समझौते पर कब और कहां हस्ताक्षर किये जायेंगे ?

†श्री के० दे० मालवीय : हम इसमें शीघ्रता करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†श्री चं० रा० पट्टाभिरामन : क्या राज्य सरकारें सीधे विदेशी सरकारों से बातचीत कर सकती हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : सामान्यतया ऐसा नहीं होता है ।

†श्री वि० चं० शुक्ल : उस दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार से आगे बातचीत की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होगी । किन्तु पिछली बार जब आसाम से एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आया था तो प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अन्तिम निर्णय करने के पूर्व उनसे पुनः परामर्श किया जायेगा । इसकी वर्तमान अवस्था क्या है ?

†श्री के० दे० मालवीय : भूतकाल में उनके साथ परामर्श किया गया है और आवश्यकता होने पर पुनः परामर्श किया जायेगा ।

†श्री हरगोविन्द : आप प्रत्येक को आश्वासन देते रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेसिकोत्तर शिक्षा

†१७९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेसिकोत्तर शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी नहीं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि अभी विस्तृत जांच की जा रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह एकीकृत कोर्स के पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : बेसिकोत्तर स्कूल और बहुप्रयोजनीय स्कूलों का कोर्स भिन्न है । समिति से इस प्रश्न का अध्ययन करने, इन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने और उन्हें सन्निकट लाने के लिये कहा गया था । हम ने यह निर्णय किया है कि वे स्कूल पृथक् प्रारूप पर आधारित न रहें किन्तु बहुप्रयोजनीय स्कूलों की किस्म के हों । अतः वे उनका तुलनात्मक अध्ययन और उनमें निकट सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के अनेक बैचों ने स्नातकोत्तर कोर्स पूरा कर लिया है इस स्थिति में इन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाने के लिये अध्ययन को मान्यता प्रदान करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह विश्व अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया है वही उससे मुख्यतः सम्बन्धित है । बोर्ड ने इस प्रश्न का परीक्षण करने के लिये पहले ही एक उप-समिति नियुक्त कर दी है और यह उप समिति इस कार्य में संलग्न है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह समिति बेसिकोत्तर शिक्षा और जूनियर हाई स्कूलों के पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करेगी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य किस हाई स्कूल की ओर निर्देश कर रहे हैं तथा यह किस राज्य से सम्बन्धित है ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : विभिन्न राज्यों में अलग-अलग स्तर हैं—एक आठवीं क्लास तक जिसे जूनियर हाई स्कूल कहते हैं और दूसरा ग्यारहवीं क्लास तक जिसे माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में बहु-प्रयोजनीय स्कूल कहा जाता है । बेसिक शिक्षा का क्षेत्र आठवीं क्लास में समाप्त हो जाता है अतः क्या उस पर विचार कर लिया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : समिति का कार्यक्षेत्र सीमित है । यह बेसिकोत्तर और बहुप्रयोजनीय स्कूलों के पाठ्यक्रम के परीक्षण का प्रयत्न कर रही है । यह उनमें निकटता स्थापित करने का भी प्रयत्न कर रही है ताकि दो समानान्तर योजनाएं न होकर केवल एक योजना ही रहे ।

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि प्राइमरी स्कूलों में बेसिक शिक्षा के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यह सर्वथा असफल सिद्ध हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : शिकायतें अनेक हैं किन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का आधारभूत रूप स्वीकार कर लिया है ?

†**डा० सुशीला नायर** : अनेक विद्यार्थियों ने बेसिकोत्तर शिक्षा पूरी कर ली है और इस समिति को निर्णय करने में अभी कितना समय और लगेगा ताकि विद्यार्थियों को समय बर्बाद न करना पड़े और वे आगे अध्ययन जारी रख सकें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं निश्चित नहीं कह सकता कि रिपोर्ट कब पूरी होगी लेकिन राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने में इससे कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । वस्तुतः शिक्षा मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि दो समानान्तर योजनाएं हों । शिक्षा का केन्द्रीय परामर्श बोर्ड और शिक्षा मंत्री सम्मेलन दोनों में यह निर्णय किया गया था कि दो के बजाय एक ही योजना हो और भारत सरकार ने बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा का आधार स्वीकार कर लिया है ।

विधि आयोग

†*१८०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री बाल्मीकी :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **विधि** मंत्री १३ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविहित विधि पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विधि आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) और (ख). विधि आयोग का कार्य दो भागों में विभक्त है :—प्रथम विभाग का सम्बन्ध न्यायिक प्रशासन के सुधारों से हैं । दूसरा विभाग अलग-अलग अधिनियमों अथवा सम्बद्ध या समूहबद्ध अधिनियमों का परीक्षण करता है और परीक्षण पूरा हो जाने पर इनके सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है । निम्नलिखित आठ विषय विधियों के बारे में सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं :—

१. टार्ट के बारे में राज्य का उत्तरदायित्व ।

२. बिक्री कर के बारे में संसदीय विधान ।

३. परिसीमन अधिनियम, १९०८ ।

४. इस प्रस्ताव के बारे में कि उच्च न्यायालय राज्य में विभिन्न स्थानों पर बैंचों के रूप में कार्य करें ।

---

† मूल अंग्रेजी में

५. भारत में लागू होने वाले ब्रिटिश कानून।

६. भारतीय पंजीकरण अधिनियम, १९०८।

७. भारतीय साझेदारी अधिनियम, १९३२।

८. वस्तु-क्रय अधिनियम, १९३०।

प्रथम सात प्रतिवेदन लोक-सभा के पटल पर रखे जा चुके हैं। आठवां प्रतिवेदन शीघ्र पटल पर रख दिया जायेगा। विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७८, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४, परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१, आय कर अधिनियम, १९२२ के बारे में आयोग के प्रतिवेदन शीघ्र ही सरकार के समक्ष रखे जायेंगे

†श्री दा० चं० शर्मा : माननीय मन्त्री ने लगभग वही उत्तर दिया है जो पिछली बार मेरे प्रश्न रखने पर दिया था, एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि आयोग जून, १९५८ के अन्त तक अपना कार्य पूरा कर लेगा और ३० जून, १९५८ के पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा। माननीय उपमन्त्री ने यह उत्तर दिया था।

†श्री हजारनवीस : मैं नही समझता कि मैंने यह कहा था।

†श्री दा० चं० शर्मा : इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन में इतना विलम्ब क्यों हुआ है और माननीय मन्त्री ने जिन अधिनियमों का उल्लेख किया है उनके परीक्षण में इतना समय क्यों लग गया ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : इस प्रश्न में वस्तुतः दो बातें हैं : एक तो पूर्व उत्तर की सत्यता और दूसरे इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन में विलम्ब। जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है मूल उत्तर उस प्रश्न के बारे में दिया गया था कि न्यायिक सुधार के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट सम्भवतः कितने समय में प्रकाशित हो जायेगी। इस विषय में इसी वर्ष जून का उल्लेख किया गया था। जहां तक इन रिपोर्टों का सम्बन्ध है यह कार्य निरन्तर चलता रहता है और विधि आयोग एक विधि के पश्चात् दूसरी विधि का परीक्षण करता है। इन विधियों के पुनरीक्षण में विलम्ब होने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रत्येक विधि के परीक्षण के लिये आवश्यक समय ही उन्हें लगता है।

†श्री ईश्वर अय्यर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग के जो वर्तमान सदस्य हैं वे अन्य कार्यों में भी संलग्न हैं और वे विधि आयोग के केवल अल्प समय सदस्य हैं क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उन्हें इस कारण अपने काम में पर्याप्त देर लग जाती है।

†श्री अ० कु० सेन : इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं किन्तु सरकार इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है कि इस कार्य में अधिक विलम्ब हुआ है। किन्तु यह तथ्य कि विधि आयोग के सदस्यों के पास इसके अतिरिक्त और काम भी है इस पर सरकार आजकल विचार कर रही है।

†श्री रंगा भगि : विधि उपमन्त्री ने बताया था कि जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से एक का सम्बन्ध बिक्री कर के विषय में संसद् के कृत्य हैं। क्या सरकार ने उक्त संविधि के बारे में विधि आयोग की सिफारिशों पर कुछ निर्णय किया है।

†श्री हजारनवीस : वही केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम का आधार है जो संविधि पुस्तक में सम्मिलित है।

†श्री सूपकार : पंजीकरण, भागिता और परिसीमन विधि आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री हजारनवीस : माननीय सदस्य का अभिप्राय सिफारिशों की क्रियान्विति से है ।

†श्री सूपकार : जी हां।

†श्री हजारनवीस : किन्हीं स्थितियों में इन्हें राज्य सरकारों में परिचारित किया गया है और उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

†पण्डित कृ० चं० शर्मा : क्या विधि आयोग प्रशासनिक विधि के विस्तार, रचना और प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न का अध्ययन करेगा ?

†श्री अ० कु० सेन : यह अनुमान करना कठिन है; आशा है कि वह इस विषय का भी अध्ययन करेंगे ।

†श्री कामत्तवाल: माननीय मन्त्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि विधि आयोग का जो विभाग न्यायिक प्रशासन से सम्बन्धित है उसे जून के अन्त तक रिपोर्ट दे देना चाहिये था किन्तु अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई है। क्या इस विभाग ने न्यायिक सुधार के बारे में कोई अन्तर्कालीन रिपोर्ट दी है ?

†श्री अ० कु० सेन : गृह-कार्य मंत्री ने गत वर्ष इसका उत्तर दिया था और कुछ रिपोर्टें अखबारों में छपी थीं कि विधि आयोग ने कुछ अन्तर्कालीन रिपोर्टें दी हैं। सरकार का अभी भी वही उत्तर है।

†श्री ईश्वर अय्यर : विधि मन्त्री ने कहा है कि न्यायिक सुधारों का उत्तरदायित्व भी विधि आयोग पर है । क्या विधि आयोग से न्यायपालिका के मामलों में विलम्ब की समस्या हल करने के लिये सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ?

†श्री अ० कु० सेन : यदि माननीय सदस्य विधि आयोग की नियुक्ति के निर्देश-पद का अध्ययन करें तो उन्हें स्पष्ट हो जायगा कि यह भी उनका कार्य है।

दिल्ली में देशी शराब

†*१८२. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री पद्म देव : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत चार वर्ष में (वर्षवार) देशी शराब के उपभोग में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) देशी शराब के उपभोग में कमी करने के लिये और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : दिल्ली प्रशासन के स्थान पर जब वहां मंत्रालय था तब उन्होंने कौन-सा क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार किया था और इस कार्यक्रम का कहां तक अनुपालन किया गया है या इसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

†श्री दातार : जहां तक तत्कालीन मन्त्रालय का सम्बन्ध है हम उसी कार्यक्रम का अनुकरण कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि दिल्ली में उस समय के मंत्रालय ने निर्धारित अवधि में पूर्ण मदिरा निषेध करने का इरादा कर लिया था और उसके लिये कार्यक्रम भी बना लिया था; वे इस पर कार्यवाही करने के लिये उद्यत थे। इसको दृष्टि में रखते हुये अब सरकार की क्या नीति है ? क्या यह सच नहीं है कि वे अपने अपने कार्यक्रम से विमुख हो रहे हैं और उन्होंने कुछ प्रतिरोधी कदम भी उठा लिये हैं ?

†श्री दातार : जो कुछ कर दिया गया है हम उसके विपरीत कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, मदिरा निषेध कार्यक्रम की आगे पूर्ण रूप से क्रियान्विति करने में कुछ कठिनाइयां हैं यही कारण है कि सरकार नियंत्रित रूप में इस समस्या का हल कर रही है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली की कुछ मजदूर बस्तियों की तरफ से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इन बस्तियों से इस तरह की दूकानें हटा दी जायें ?

†श्री दातार : सरकार इन सब बस्तियों से दूकानें दूर ले जा रही है।

†श्री तंगामणि : विवरण से यह प्रकट होता है कि यद्यपि १९५७–५८ में मदिरा सेवन में कमी हुई है किन्तु राजस्व में किसी प्रकार उल्लेखनीय कमी दृष्टिपात नहीं होती। क्या कोई भिन्न विधि है कि .....

†श्री दातार : शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप ही राजस्व बढ़ गया है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : दूकानों की संख्या घटाने से मदिरा निषेध की दिशा में क्या प्रगति हुई है? क्या यह सच नहीं है कि अधिक दूकानों के स्थान पर अब यह व्यापार चन्द व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो रहा है और वे पर्याप्त धन कमा रहे हैं ?

श्री दातार : पहले सात थीं अब केवल दो दूकानें रह गई हैं। इन्हें भी अब ऐसे स्थान पर हटा दिया गया है जहां प्रायः ये शराबी रहते हैं। इसका आबादी पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।

†डा० सुशीला नायर : क्या गृह-कार्य मंत्री के उत्तर का यह अभिप्राय है कि दिल्ली में पूर्ण मदिरा निषेध का कार्यक्रम परित्यक्त कर दिया गया है अथवा पर्याप्त समय के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

†श्री दातार : न तो इस कार्यक्रम का परित्याग किया और न इसे अधिक समय के लिये स्थगित ही किया गया है। किन्तु सरकार कठिनाइयों पर विचार करने का प्रयत्न कर रही है। दिल्ली के समीप दो राज्य हैं––उत्तर प्रदेश और पंजाब। अतः हम प्रभावपूर्ण करेंगे।

†श्री त्यागी : माननीय मन्त्री ने कहा है कि शराब की खपत कम हो गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कमी देशी शराब में हुई है अथवा विदेशी शराब में ?

†श्री दातार : प्रश्न देशी शराब से सम्बन्धित है और उत्तर भी उसी का है।

†श्री जयपाल सिंह : माननीय मन्त्री ने यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि सरकार कठिनाइयों का अनुमान एवं उनका सामना करने में समर्थ नहीं हुई है फिर क्या सरकार मदिरा निषेध का कार्यक्रम समाप्त कर देंगी और और योजना लागू करने के पहले उसकी कठिनाइयों का अध्ययन करेगी ?

†श्री दातार : सरकार मदिरा निषेध कार्यक्रम समाप्त नहीं करेगी और कठिनाइयों से जूझेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई: यह केवल आंशिक उत्तर है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ते समय बम्बई में इसकी असफलता का ध्यान रखेगी ?

†श्री दातार : दिल्ली में विगत मंत्रालय समाप्त होने के पश्चात् हमने और प्रतिबन्ध जारी किये हैं और हम निरन्तर इनकी वृद्धि कर रहे हैं।

†श्री खाडिलकर : विवरण से यह प्रकट होता है कि देशी शराब की खपत बढ़ रही है। क्या इसका यह अभिप्राय है कि गैर कानूनी रूप से शराब बन रही है और यदि हां, तथा यदि यह हानिप्रद है तो क्या सरकार ने इसका नमूना किसी प्रयोगशाला में भेजा है ताकि इसका परीक्षण कर इसे कम हानिकर बनाया जा सके।

†श्री दातार : इसका अर्थ है उसकी खपत में कमी होना।

१९६१ की जनसंख्या

†

†*१८३. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री विभूति मिश्र :
श्री कालिका सिंह :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९० के उत्तर के सम्बन्ध में लोक सभा के पटल पर निम्न जानकारी देने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनसंख्या की तैयारी के सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) जनसंख्या के आधार पर किस प्रकार की सांख्यकी एकत्रित करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) १९६१ की जनसंख्या के प्रभारी स्वरूप एक जनसंख्या आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। सम्पूर्ण राज्यों में जनसंख्या सम्बन्धी कार्य के लिये अधीक्षक नियुक्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) योजना और परिभाषाओं एवं संग्रह किये जाने वाले आंकड़ों के क्षेत्र निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्राथमिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है। सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञों से इन विषयों का निर्देश किया जा रहा है।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : जो आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं क्या उनमें बेरोजगारों के आंकड़े भी शामिल हैं ?

†श्रीमती आलवा : अस्थायी प्रस्ताव तो यही है लेकिन इस पर विचार किया जायगा और यदि आवश्यकता हुई तो इसका पुनरीक्षण भी किया जायगा। माननीया सदस्या जो सुझाव दे रही हैं वह अस्थायी प्रस्ताव में शामिल है।

†श्री पाणिग्रही : क्या १९६१ की जनगणना में विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न भाषावार समूहों की गणना भी की जायेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती आल्वा : जी, हां।

†श्री बे० रा० पट्टाभिरामन् : क्या सरकार शिक्षित बेरोजगारों की जनगणना भी कराने वाली है ?

†श्रीमती आल्वा : यह भी अस्थायी प्रस्तावों में है।

†श्री शिवनंजप्पा : क्या प्रत्येक पिछड़े वर्ग के विषय में आंकड़े एकत्र किये जायेंगे ?

†श्रीमती आल्वा : यह बात गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये एक विवरण में बता दी गयी थी। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां तो शामिल होंगी; मेरा ख्याल है कि पिछड़ी जातियों को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

†श्री जाधव: क्या जनगणना में भारत के प्रत्येक समूह की रोजगार देने की क्षमता का लेखा जोखा किया जायेगा ?

†श्रीमती आल्वा : इस पर विचार होगा।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या मन्त्री महोदया राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को भी शामिल कर लेंगी ?

†श्रीमती आल्वा : यह तो कार्य के लिये सुझाव है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सेंसस में यह डाटा भी एकत्र किया जायेगा कि प्रत्येक गांव में कितनी फर्स्ट क्लास, कितनी सैकिंड क्लास और कितनी थर्ड क्लास की जमीन है, तथा प्रत्येक गांव में कितने बाग हैं, कितने तालाब हैं ?

†श्रीमती आल्वा : मेरे ख्याल से यह तो इसमें नहीं आयेगी।

सौराष्ट्र में कैल्साइट के निक्षेप

\+

*†१८४. { श्री डी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सौराष्ट्र में हाल ही में कैल्साइट के निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये निक्षेप किन-किन स्थानों में पाये गये हैं ; और

(ग) किन स्थानों में ये निक्षेप अपरिमित परिमाण में पाये गये हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): (क) और (ख). जी नहीं। सौराष्ट्र के कैल्साइट निक्षेपों का कुछ समय पहले से ही पता था। अमरेली, भावनगर, गोंडल, जूनागढ़, मौरवी, नवानगर, पलिटाना, पोरबन्दर और वधवन के कुछ हिस्सों में इन निक्षेपों के होने का पता लगा है।

(ग) सौराष्ट्र में कैल्साइट के निक्षेप काफी बड़ी मात्रा में प्रतीत होते हैं लेकिन अब तक उनका अनुमान नहीं लगाया गया है।]

† मूल अंग्रेजी में

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इन निक्षेपों के व्यवसायिक उपयोग का पता लगाने के लिये कोई योजना आरम्भ की गयी है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : ब्यौरेवार जांच अभी होनी बाकी है; हमारे पास आदमियों और यंत्रों की कमी है । आवश्यक कर्मचारियों के मिलते ही हमें ब्यौरेवार जांच पूरी हो जाने की आशा है । तभी व्यवसायिक प्रयोग का प्रश्न उठेगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो चूना पाया गया है यह इटली से आने वाले चूने के मुकाबले में कैसा है ?

श्री के० दे० मालवीय : इटली का तो मुझे मालूम नहीं । हां इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी समझी जाती है ।

जीवन बीमा निगम की पूंजी लगाने की नीति

†*१८५. श्री सूपकार : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अपनी पूंजी लगाने की नीति में कुछ आधारभूत परिवर्तन किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नयी नीति के क्या लाभ हैं और वह कब से लागू होगी ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). जीवन बीमा निगम ने अपनी पूंजी लगाने की नीति की समीक्षा की है और सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं सरकार अब इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

†श्री सूपकार : यह परिवर्तन क्या हैं ? क्या हमें उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऐसा प्रतीत होता है कि छागला आयोग की सिफारिश और प्रधान मन्त्री के उस आश्वासन के अनुसार जो उन्होंने बीमा अधिनियम की धारा २७ का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में दिया था, जीवन बीमा निगम से सम्पूर्ण स्थिति की परीक्षा करते हुए बीमा अधिनियम की धारा २७-क का रूपभेद करते हुए भारत सरकार को एक सिफारिश भेजी है । इन पर सरकार विचार कर रही है फिर इन्हें सरकारी गजट में अधिसूचित कर दिया जायेगा ।

†श्री सूपकार : क्या अकेला एक यही परिवर्तन होगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पूरी बातों पर विचार किये बिना यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या क्या परिवर्तन करने की सिफारिश की गयी है । इस पर विचार और निर्णय हो चुकने पर हम सभा को सूचना दे देंगे ।

†श्री प्रभात कार : ये सभी परिवर्तन न सही, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†श्री मोरारजी देसाई : उस पर ठीक ढंग से विचार किये बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता ।

†श्री विमल घोष : बन्धक पर उधार तो कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था । क्या वह अब फिर से दिये जाने लगेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मोरारजी देसाई : मुझे नहीं मालूम।

†श्री खाडिलकर : भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने बताया था कि यदि सरकार की कोई नीति है तो यही है कि चुनी हुई स्क्रियां को खरीदकर बाजार की सहायता करे। क्या नयी सिफारिशों के अधीन यह नीति भी बदल गयी है ?

†श्री मोरारजी देसाई : सभी बातें विचाराधीन हैं।

†श्री बाजपेयी : अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†श्री मोरारजी देसाई : बहुत अधिक समय नहीं लगेगा।

†श्री दामानी : क्या विनियोजन समिति के सदस्यों में एक परिवर्तन हो गया है और यदि हां, तो क्यों और समिति का वर्तमान गठन क्या है ?

†श्री मोरारजी देसाई : सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है।

†श्री दासप्पा : जीवन बीमा निधि विनियोजन विधि के विषय में सरकार के विचार का क्या हुआ ? कुछ दिन पहले एक विधेयक हमें दिया गया था। बाद में उन्होंने उस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। उसका क्या हुआ ?

†श्री मोरारजी देसाई : वह विधेयक समाप्त हो गया है।

चोरी से आने वाला सोना

+

†*१८६. श्री मुरारका :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री कुमारन् :
श्री राम गरीब :
श्री कोडियान :
श्री बाजपेयी :
श्री हेमराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा भारत के रिजर्व बैंक ने प्रतिवर्ष देश में चोरी से आने वाले सोने का अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो यह सोना किन-किन देशों से चोरी से लाया जाता है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में ऐसा कितना सोना पकड़ा गया है ; और

(घ) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर अपेक्षित जानकारी का एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले २ ½ वर्षों में चोरी से सोना लाने के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों के फलस्वरूप लगभग ४ करोड़ रुपयों का सोना पकड़ा गया है। हमें पता लगा है कि इसकी तुलना में एक ही वर्ष में जो मुद्रायें देश के बाहर गयीं हैं वह लगभग ३० करोड़ रुपयों के मूल्य की थीं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि चोरी से इतने बड़े परिमाण में सोना कैसे लाया जाता है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिये वे और आगे और क्या कार्यवाही करने वाले हैं?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : चोरी से माल लाने का व्यवसाय तो सृष्टि के आदि-काल से चला आ रहा है।

†श्री मुरारका : क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि सोना चोरी से क्यों लाया जाता है? अर्थात्, कौन से आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध हैं और इन प्रतिबन्धों को हटाकर निर्बाध ढंग से सोने का आयात करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है?

†श्री मोरारजी देसाई : यहां सोना चोरी से लाने का मुख्य कारण यही है कि इस देश में सोने का भाव अन्तर्राष्ट्रीय भाव से कहीं ज्यादा है।

†अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि सोने का आयात करने की छूट क्यों नहीं दे दी जाती।

†श्री मोरारजी देसाई : यह संभव नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह प्रश्न काल में नीति सम्बन्धी प्रश्न न पूछा करें। सोने के निर्बाध आयात की अनुमति का प्रश्न नीति विषयक है।

†श्री कोडियान : अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, कितनों के खिलाफ मुकदमें आरम्भ किये गये हैं और ये मुकदमें अब किस स्थिति में हैं?

†श्री ब० रा० भगत : इस आशय का एक अलग प्रश्न पूछ लिया जाये।

†श्री वाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि चोरी से लाया जाने वाला अधिकांश सोना राजस्थान की सीमा से आता है? यदि हां, तो उस सीमा पर सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है?

†श्री ब० रा० भगत : यह सच नहीं है कि सब से अधिक सोना राजस्थान की सीमा से चोरी से लाया जाता है।

भारतीय दण्ड संहिता

+

*†१८८. श्री कुमारन् :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री रामकृष्ण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूरी बेंच के इस निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२४–क अवैध है ;

(ख) इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या राज्य सरकारों को संहिता की इस धारा को अवैध मानने की सलाह दे दी गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय से पहले ही इस मामले को विधि-आयोग के सुपुर्द कर दिया गया था और उसके विचार अभी आने बाकी हैं।

(ग) पटना उच्च न्यायालय का एक और निर्णय है जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विचारों से ठीक प्रतिकूल विचार प्रगट किये हैं। यह मामला अनिवार्य रूप से न्याय-विषयक है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय ही दे सकता है। औपचारिक रूप से कुछ भी हिदायतें नहीं दी गयी हैं।

†श्री ईश्वर अय्यर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय में उच्च न्यायालयों ने परस्पर विरोधी निर्णय किये हैं, क्या सरकार उच्चतम न्यायालय से अधिकृत निर्णय लेने वाली है ?

†श्री दातार : सरकार को यह मसला उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम ने इसे विधि आयोग के सुपुर्द कर दिया है। १९५१ के संविधान के पहले संशोधन के बाद उच्चतम न्यायालय ने कई बार ऐसे विचार प्रकट किये थे जिनमें कहा गया था कि रमेश थापर के मामले में जो बात सही मानी गयी थी वह अब इस संशोधन के बाद विधि की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होती।

प्रादेशिक फार्मूला

†*१८३. श्री कुमारन् : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब प्रादेशिक समितियां आदेश, १९५७ के अधीन क्षेत्रीय फार्मूले के क्रियान्वय में कितनी प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : दोनों प्रादेशिक समितियों ने २६-११-१९५७ से कार्य आरम्भ किया। हिन्दी प्रदेश की प्रादेशिक समिति की अब तक आठ बैठकें हुई हैं और पंजाबी प्रदेश की प्रादेशिक समिति की चार।

†श्री कुमारन् : क्या सरकार को पता है कि पंजाबी भाषी क्षेत्र के लोग प्रादेशिक फार्मूले के कार्य के मौजूदा ढंग से असंतुष्ट हैं और क्या यह सच है कि पंजाबी भाषी लोगों के कुछ प्रमुख नेताओं ने गृह-कार्य मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें फार्मूले को उचित और प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की मांग की गयी है ?

†श्री दातार : आप देखेंगे कि इन समितियों को काम करते अभी ६ या ७ ही महीने हुए हैं और अभी से उनकी सफलता या असफलता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जहां तक मुझे पता है, इस सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत या टिप्पणी नहीं मिली है।

†श्री वाजपेयी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरियाने के लोगों में प्रादेशिक फार्मूले के प्रति असंतोष का भाव बढ़ता जा रहा है, क्या कोई गोलमेज सम्मेलन बुलाने का कोई प्रस्ताव है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सब तो कार्य के लिये सुझाव हैं। एक बात आपकी धारणा पर आधारित है। सरकार आसानी से कह सकती है कि कोई असन्तोष नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी :** यह बिल्कुल सच है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य के लिये यह बात बिल्कुल सच हो सकती है । दूसरे पक्ष के लिये यह अपनी अपनी राय की बात है ।

जामा मस्जिद

†१९०. **श्री राधा रमण :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामा मस्जिद की मरम्मत का काम बहुत धीरे-धीरे हो रहा है ;

(ख) सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की थी और वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) १,१३,८०० रुपये की कुल स्वीकृत राशि में से जून, १९५८ की समाप्ति तक ६९,५२१ रुपये खर्च हुये हैं ।

(ग) १९६०-६१ की समाप्ति तक ।

†**श्री राधा रमण :** क्या यह सच है कि जामा मस्जिद में जो निर्माण अथवा मरम्मत का काम हो रहा है उसमें असाधारण रूप से अधिक समय लगा है और गुम्बद के इर्द गिर्द जो ढांचा मरम्मत के लिये बनाया गया था वह कई मास से पड़ा हुआ है जब कि वहां कोई काम नहीं होता ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** ऐसे स्थानों पर जिन्हें लोग इस्तेमाल भी करते रहते हैं इस प्रकार का काम मन्द गति से ही होता है ।

†**श्री राधा रमण :** क्या यह सच है कि जामा मस्जिद की मरम्मत के लिये जो राशि आवंटित की गई है वह उस कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है जो आरम्भ किया गया था । और इस कार्य को पूरा करने के लिये और रुपये की जरूरत पड़ेगी ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** कार्य को उसी हद तक सीमित रखा गया है जिसके लिये व्यवस्था की गई थी । इस समय हम चार काम पूरे करना चाहते हैं : तीन द्वारों के सामने जोड़ों को भरना ; दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में पत्थर की परत जो टूट गई है उसकी मरम्मत करना ; चबूतरों में चूना और कंक्रीट लगाना और गुम्बद की संगमरमर की परत की मरम्मत और अन्य अनुषांगिक कार्य ।

†**श्री राधा रमण :** क्या यह सच है कि कार्य को आरम्भ करना, मन्द गति के कारण, अधिक हानिकारक सिद्ध हो रहा है, यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हुमायूं कबिर : :** कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं मानता हूं कि कुछ कठिनाइयां हैं मैं उन्हें देखूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जामा मस्जिद की मरम्मत में कोई बहुत ज्यादा देरी नहीं हो रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : यह मरम्मत का कार्य १९५४ में आरम्भ किया गया था और मेरे विचार से १९६१ में पूरा होगा ।

खमरिया आयुध कारखाना

\+

†*१९२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण :
सरदार इक़बाल सिंह :
श्री हेम राज :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खमरिया के आयुध कारखाने में हुये घाटे की जांच करने के लिये स्थापित किये गये जांच बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का उसके बाद परीक्षण हो गया है ;

(ख) प्रतिवेदन किस प्रकार का है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) प्रतिवेदन का परीक्षण इस समय प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक (कारखाने) द्वारा घाट के सिलसिले में किया जा रहा है । अनुशासन सम्बन्धी पहलू के बारे में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा अलग कार्यवाही हो रही है और अभी जांच हो रही है । विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

(ख) जैसा कि ऊपर (क) भाग के उत्तर में बताया गया है अभी प्रतिवेदन की छानबीन हो रही है और अभी से यह कहना ठीक न होगा कि प्रतिवेदन कैसा है और उसमें क्या है । माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर आकृष्ट किया जाता है जो प्रतिरक्षा उपमंत्री द्वारा ९ मई, १९५८ को सभा-पटल पर रखा गया था उस विवरण से उन्हें मोटे तौर पर यह पता चल जायेगा कि प्रतिवेदन किस प्रकार का है ।

(ग) बोर्ड ने जिन उपायों का सुझाव दिया था, आयुध कारखानों के डायरेक्टर जनरल और कारखाने के प्राधिकारियों ने उन पर अमल किया है । विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के प्रतिवेदन के प्राप्त होने तक अन्तिम कार्यवाही को रोक रखा गया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में उपमंत्री ने बताया था कि जांच बोर्ड का प्रतिवदन और उसकी उपपत्तियां ३० मार्च, १९५८ को इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थीं और सरकार प्रतिवेदन का परीक्षण कर रही है । इस प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय कब होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : कोई तिथि निश्चित करना बहुत कठिन है क्योंकि यह १९४९ से १९५६ तक आठ वर्ष का मामला है। प्रतिवेदन काफी बड़ा है और इसमें और अधिक समय लगना स्वाभाविक ही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह सच है कि खमरिया आयुध कारखाने के सुप्रिंटैंडेंट ने त्यागपत्र दे दिया है और यदि हां, तो उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है ?

†**श्री रघुरामैया** : वह अलग मामला है । उसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मूल प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : इसकी जिम्मेदारी उसी पर है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो । प्रश्न तो यह है कि खमरिया आयुध कारखाने में हुई क्षति की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच बोर्ड के प्रतिवेदन का परीक्षण हो चुका है, प्रतिवेदन किस प्रकार है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा अभिप्राय यह है कि मेरी राय में सुप्रिंटैंडेंट के ही कारण यह हानि हुई है और वह त्यागपत्र दे कर दण्ड से बच जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु इस बात का मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम तो प्रतिवेदन की प्रकार और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में विचार कर रहे हैं । क्या प्रतिवेदन पर अन्तिम निर्णय हो चुका है ?

†**श्री रघुरामैया** : प्रतिवदन का परीक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जांच बोर्ड ने सुझाव दिया है और उस पर कार्यवाही की जानी है।

†**श्री रघुरामैया** : इनके द्वारा पूछे गये प्रश्न के परिणामस्वरूप विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने इसके कारण का और इसके उत्तरदायी का पता लगाना शुरू किया है । अतः जब तक उसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक किसी को दोषी ठहराना उचित न होगा । पहले जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया था उसमें यह कहा गया था कि यह सारी हानि किसी एक व्यक्ति की लापरवाही से नहीं हुई है ।

†**श्री तंगमणि** : माननीय उपमंत्री की बात से पता चलता है कि डा० कास्बेकर समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । क्या उसमें यह बताया गया है कि इस अवधि में कितनी हानि हुई । क्या वह राशि १,७५,००,००० रुपये है या ज्यादा ?

†**श्री रघुरामैया** : जांच बोर्ड के प्रतिवेदन में १,७८,००,००० रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है । परन्तु पहले जो विवरण सभा-पटल पर रखा गया था उसमें मैंने स्पष्ट कर दिया था कि वास्तव में ८० लाख रुपये से अधिक हानि नहीं हुई है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरी जानकारी यह है कि इसे १,७८,००,००० रुपये से घटा कर ८८ लाख रुपये कर दिया गया है । मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या यह ८८ लाख ही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुरामैया : जी हां ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने ठीक राशि बताई है ।

†श्री स० म० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि अचानक १,७५,००,००० रुपये को घटा कर ८८ लाख रुपये कैसे कर दिया गया । मेरा खयाल है कि छः मास के बाद यह राशि शून्य हो जायगी ।

†श्री रघुरामैया : वास्तव में यह हानि नहीं है । जांच बोर्ड द्वारा बताया गया प्राक्कलन कुछ कारणों से बढ़ गया था जिन्हें किसी भी तरह हानि में शुमार नहीं किया जा सकता । जैसे कि माल को बन्द करने की पेटियां जो कुछ समय के इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाती हैं—हानि में शुमार की गई हैं—इसमें युद्ध काल में उत्पादन की हानि और अन्य कारखानों को दिये गये माल में कमी को भी—जो बाद में पूरी हो गई—हानि में शामिल किया गया है जो कि वास्तव में हानि नहीं है । यह तो केवल हिसाब में गलती है । वास्तव में जो हानि हुई वह ८८ लाख रुपये से अधिक नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : ८८ लाख रुपये और एक करोड़ रुपये में कौन सा विशेष अन्तर है ?

†श्री रघुरामैया : यह हानि १९४९ से १९५६ तक की अवधि में हुई है—हमें यह नहीं भूलना चाहिये । चोरी और धोखे से हुई हानि ४ लाख रुपये से अधिक नहीं है और अभी जांच हो रही है ।

†अध्यक्ष महोदय : यह तो कोई नहीं कहता कि माननीय मंत्री इसके लिये उत्तरदायी हैं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक पाई की भी हानि न हो । यह राशि एक करोड़ रुपये नहीं ८८ लाख रुपये है । हमारा देश बड़ा गरीब है इसके लिए ८८ लाख रुपये की राशि बहुत बड़ी बात है ।

सरदार अ० सिं० सहगल : खमरिया आर्डिनेंस फैक्टरी के बारे में वहां के एरिया की मंडल कांग्रेस कमेटी के प्रेजीडेंट ने भी एक मैमोरेंडम आपके पास भेजा था । क्या उस मैमोरेंडम को भी बोर्ड आफ इन्क्वायरी के पास भेजा गया है या नहीं ?

†श्री रघुरामैया : मैं तत्काल यह नहीं बता सकता कि अमुक मैमोरेंडम जांच बोर्ड को भेजा गया था या नहीं । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं पता लगा सकता हूं ।

हिंदी टेलिप्रिंटर

†*१९४. { +श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या शिक्षा मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टेलीप्रिंटर के की बोर्ड के प्रमाणीकरण सम्बन्ध समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) 'प्रूफ' की प्रतियां मिल गई थीं और प्रैस से लौटा दी गई हैं। मुद्रित प्रतियां मिलने वाली हैं।

(ख) प्रतिवेदन जब छप जायेगा तो उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायगी जैसा कि १२–१२–५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०५९ के उत्तर में बताया गया था।

(ग) अभी प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान, पिछले लगभग छः सात महीनों से यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी विशेष अड़चनें हैं जिनकी वजह से निर्णय करने में इतनी देरी हो रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : रिपोर्ट इस वक्त मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के पास है और कुछ एक जो टक्नीकल एस्पक्ट्स हैं उनकी अच्छी तरह से जांच करनी है। हमने उस मिनिस्ट्री को याद दिलाया है और कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना निर्णय इस पर भेज दे ताकि आगे कार्रवाई हो सके।

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करते समय क्या इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे देश में जहां पांच यूनिट कोड का टेलीप्रिंटर प्रचलित है वहां अन्य देशों में विशेष कर जापान में छः कोड का टेलीप्रिंटर व्यवहार में लाया जाता है और इस पर ज्यादा अच्छी तरह से संवाद भेजे जा सकते हैं तथा इसका प्रयोग यहां हो सकता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, यह बात भी कमेटी के सामने थी।

श्री वाजपेयी : जापान ने एक ऐसा टेलीप्रिंटर बनाया है जिस में हिन्दी और अंग्रेजी में साथ साथ काम हो सकता है। क्या समिति ने उस टेलीप्रिंटर के प्रयुक्त करने के सम्बन्ध में भी विचार किया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैंने निवेदन कया है कि जापान में छः यूनिट कोड आफ टेली-कम्युनिकेशन काम में आता है और उसके ऊपर उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो कि इस विषय पर विचार करनें के लिये नियुक्त की गई थी विचार किया था और वह भी कमेटी के सामने था।

पाटस्कर प्रतिवेदन

†*१९५. **श्री थानुलिंगम नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मद्रास-आंध्र सीमा के बारे में पाटस्कर प्रतिवेदन को लागू करने के लिये किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मद्रास और आंध्र प्रदेश के राज्यो के बीच की सीमा का पुनः समायोजन करने सम्बन्धी श्री पाटस्कर के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये यह कार्यवाही की गई थी :—

(१) सितम्बर, १९५७ में हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की दूसरी बैठक में एक समिति प्रस्तावित सीमा समायोजन से उत्पन्न होने वाले मामलों का परीक्षण करने के लिये नियुक्त की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) नवम्बर, १९५७ में राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई थी कि वे इस प्रयोजन से प्रारूपित किये जाने वाले विधेयक के लिये अपनी प्रस्थापनायें भेज दें। मद्रास सरकार ने हाल ही में अपनी प्रस्थापनायें भेज दी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की प्रस्थापनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

आंध्र प्रदेश सरकार की प्रस्थापनायें मिल जाने पर आवश्यक विधान पुरःस्थापित करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री थानु लिंगम नायर** : क्या आगामी सत्र में विधेयक पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ?

†**श्री दातार** : अभी आंध्र प्रदेश सरकार का उत्तर हमें नहीं मिला। उसके मिलने पर सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : सीमा क्षेत्रों में अनिश्चित स्थिति को देखते हुये क्या सरकार शीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार इस बात का पूर्ण यत्न कर रही है कि यह जल्दी हो जाये।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या आंध्र प्रदेश सरकार के उत्तर लिये कोई समय निश्चित किया गया है ?

†**श्री दातार** : समय निश्चित करना उचित न होगा क्योंकि उन्हें कुछ मामलों पर विचार करना है।

†**श्री नाथ पाई** : पाटस्कर सूत्र ने एक बड़ी उलझन हल कर दी है। हाल ही में बेलगाम की सीमा सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये बम्बई और मैसूर के मुख्य मंत्री भी मिले थे। क्या सरकार उस सूत्र को लागू करने के बारे में विचार कर रही है ?

†**श्री दातार** : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री खाडिलकर** : इस बात को देखते हुये कि विवाद वाले सीमा क्षेत्रों से लगातार यह मांग की जा रही है और आंध्र और मद्रास के विवादों को हल करने के लिये जो सूत्र लागू किया गया वह बहुत सफल सिद्ध हुआ, क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सभी सीमा सम्बन्धी विवादों को इन्हीं आधारों पर निबटाया जाये और जो भेदभाव की भावना फैली हुई है वह दूर हो जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न से यह उत्पन्न नहीं होता।

उत्तरी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर

+

†*१९६. { **श्री बाजपेयी** :
श्री शिवनजंप्पा :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित उत्तरी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर के लिये अमरीकी सहायता के बारे में भारत और अमरीका के बीच वार्ता पूरी हो गई है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सहायता की कुल राशि कितनी है; और

(ग) परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर)** : (क) श्रीमान्, अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री बाजपेयी** : क्या प्रस्तावित संस्था और मद्रास में स्थापित की जा चुकी संस्था में कोई अन्तर होगा और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इस दृष्टि से उनमें कोई अन्तर नहीं होगा कि खड़गपुर, बम्बई और मद्रास में स्थापित की गई संस्थाओं की भांति यह भी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था होगी । यदि वहां कोई विशिष्ट पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई फिर चाहे अन्तर हो जाये परन्तु यह योजना समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या कानपुर में केवल २०० एकड़ भूमि प्राप्त की गई है, और उस पर भी झगड़ा चल रहा है, जब कि हमारी मांग १२०० एकड़ की थी ? आवश्यक भूमि अर्जित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : भूमि राज्य सरकार को अर्जित करनी है । उन्होंने ५०० एकड़ भूमि अर्जित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का वायदा किया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं कानपुर का रहने वाला हूं और मैं माननीय मंत्री को सूचित कर दूं कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वह स्वयं वहां जा कर देख लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उस राज्य सरकार को भी कार्यवाही करने के लिये प्रेरित करें ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : कितने छात्रों को प्रशिक्षित करने का विचार है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : यह संस्था अन्य उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थाओं की भांति ही होगी । जब संस्था में पूरी तरह काम हो रहा होगा तब अवर स्नातक 'कोर्स' में १५०० और स्नातकोत्तर गवेषणा 'कोर्स' में ५०० छात्र होंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रौद्योगिकीय संस्था योजना काल में पूरी तरह तैयार हो जायेगी ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैं बता चुका हूं कि मुझे आशा है कि यह जुलाई या अगस्त १९६० में चाल हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

होटलों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

+

†*१९८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री राधा रमण :
श्री घोषाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों की इमारतों के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम की निधि को होटल व्यापार के लिये किन शर्तों पर प्रयुक्त किया जायेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) इस समय ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

राज्यों के विधेयक

†*१९९. **श्री ईश्वर अय्यर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी प्रथा अथवा रूढ़ि है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्य विधान में राज्य सरकारों द्वारा पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के बारे में उनके पुरःस्थापित किये जाने से पूर्व यह देखें कि क्या वे संविधान के अनुकूल हैं या नहीं ;

(ख) क्या कभी कोई ऐसा अवसर उत्पन्न हुआ जब कि केन्द्रीय सरकार ने प्रारूप विधेयकों के उपबन्धों का अनुमोदन करने के पश्चात् उस विधेयक के संवैधानिक दृष्टि से ठीक होने के बारे में विचार किया हो जब कि विधेयक को बिना किसी रूपभेद के पारित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ऐसी प्रथा बन चुकी है कि राज्य सरकारें सातवीं अनुसूची में सम्वर्ती सूची सम्बन्धी अथवा संविधान के अनुच्छेद ३१ और ३१ क से सम्बन्धित मामलों के बारे में विधान पुरःस्थापित करते समय साधारणतः भारत सरकार का परामर्श प्राप्त कर लेती हैं ।

(ख) राज्य सरकारें ऐसा विधान पुरःस्थापित करने से पूर्व केवल भारत सरकार का परामर्श प्राप्त करती हैं ।

(ग) ऐसा ब्योरा एकत्र करने में काफी मेहनत ख़र्च होगी और पुराने रिकार्डों की छान-बीन करना पड़ेगा जिस से अधिक लाभ न होगा ।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : केरल उच्च न्यायालय विधेयक का प्रारूप उन दिनों तैयार किया गया था जबकि राष्ट्रपति का शासन था । केरल विधान मंडल ने उसे बिल्कुल उसी रूप में पारित कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रपति को इस पर अनुमति रोकने की मंत्रणा क्यों दी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : केरल सरकार ने एक विधेयक केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके पारित किया था। यह केरल उच्च न्यायालय विधेयक १९५७ था। जब वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया तब पता चला कि विधेयक के कुछ उपबन्ध संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के ७८वीं प्रविष्टि के प्रतिकूल हैं ; अतः उस मामले पर विचार किया गया। राज्य सरकार को यह बताया गया। उन्होंने कहा कि विधेयक को उसी रूप में राष्ट्रपति के समक्ष रख दिया जाये इसलिये इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मेरा प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक के प्रारूप राष्ट्रपति के शासन के दिनों में तैयार नहीं किया गया था तो उस समय इस बात का पता क्यों नहीं चला ?

†**श्री दातार** : किसी अवैध अथवा संविधान के उपबन्धों के बाहर के मामले का कभी भी पता चल सकता है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : अक्ल देर से आती है।

शिवसागर में तेल के लिये खुदाई

+

†*२००. **श्रीमती मकीदा अहमद :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सूपकार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नियुक्त किये गये तेल विशेषज्ञों ने शिवसागर डिवीज़न में देशगंमख स्थान को तेल के लिये खुदाई करने के लिये चुना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या खुदाई का काम शुरू हो गया है ;

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) वहां कितने तेल के निक्षेप का अनुमान है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जी नहीं। खुदाई की तैयारी की जा रही है और आशा है कि अगले अक्तूबर में खुदाई (छिद्र करना) शुरू हो जायेगी।

(घ) खुदाई के परिणाम उपलब्ध होने पर ही इन का पता चलेगा।

†**श्री सूपकार** : क्या खुदाई आदि का काम आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : नहीं। आयल इंडिया लिमिटेड का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है। शिवसागर में काम भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधीन हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नासिक में भूमि अधिग्रहण

†*२०२. **श्री जाधव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नासिक जिले में सैनिक कार्य के लिये १९५१ से १९५५ के बीच अधिग्रहण की गई भूमि के प्रतिकर के भुगतान के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** इस सम्बन्ध में १२ गांव अन्तर्गस्त हैं। १११,५९,९८७.६९ रुपये की प्रतिकर राशि सरकार द्वारा पहले से ही मंजूर की जा चुकी है। भुगतान का विवरण जिसमें अनुग्रहत भी सम्मिलित है, बताया गया है कि यह राशि लगभग १०४ लाख रुपये है। कुछ मदों के बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है और उनकी राशि अभी निश्चित की जानी है। सरकार ने एक राज्य सरकार को यह सलाह दी है कि जहां कहीं सम्भव हो यह भुगतान कर दिया जाये।

इस मामले में कार्यवाही हो रही है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही यह कार्य पूरा हो जायेगा। एक विवरण लोक सभा पटल प्पर रखा जायेगा।

†**श्री जाधव :** अन्तिम रूप से भुगतान करने में कितना समय लगेगा ? क्या यह सत्य है कि कुछ भूमि का किराया पिछले दो वर्षों से बाकी है ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैं कह चुका हूं, अन्तिम भुगतान की तारीख बता सकना मेरे लिये कठिन है क्योंकि कुछ मुकदमे अभी न्यायालय में चल रहे हैं। जब तक वह झगड़ा न निपट जाये सरकार के लिये भुगतान करना कठिन होगा।

†**श्री जाधव :** प्रश्न के वित्तीय भाग के बारे में क्या हुआ कि कुछ भूमि का पिछले दो-वर्षों से भुगतान बाकी है ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैं कह चुका हूं कि जहां तक भूमि के किराये का सम्बन्ध है उसका भुगतान किया जा रहा है और आप देखेंगे कि १११ लाख रुपये में से १०४ लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। पुराने भुगतान को निबटा कर हम अब तक के भुगतान चुकाने में तीव्र प्रगति कर रहे हैं।

†**डा० सुशीला नायर :** कुल मिलाकर १२ गावों के लोग, जिनमें १० या १२ बबीना में हैं और कुछ अन्य स्थानों में, विस्थापित हुये हैं। क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय का विचार आवास मंत्रालय से मिलजुल कर कार्य करने का है जिससे ग्रामीण आवास के उपबन्ध का उपयोग करके इन विस्थापित व्यक्तियों को नये मकानों में अच्छे ढंग से बसाया जा सके ?

†**सरदार मजीठिया :** मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में वर्षा

+

†*२०३ { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री संगण्णा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २१ जुलाई, १९५८ को दिल्ली में हुई अत्याधिक वर्षा के परिणामस्वरूप धन-जन की कितनी हानि हुई ;

(ख) ऐसी हानि की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं; और

(ग) हाल की वर्षा के कारण सहायता सम्बन्धी कार्यों पर कितनी धन राशि व्यय करने की आवश्यकता पड़ी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). दिल्ली में बाढ़ तथा अन्य इसी प्रकार के संकटों से बचने के उपाय करने के लिये २३ जुलाई, १९५८ में प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त की गई समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री आज सभा-पटल पर रख रहे हैं। प्रतिवेदन में निम्न बातों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है :

(क) हाल की बाढ़ के कारण ;

(ख) बाढ़ वाले क्षेत्र और सरकारी सम्पत्ति को हुई हानि; और

(ग) बाढ़ और अत्याधिक वर्षा से बचने के लिये सरकार द्वारा किये गये अथवा किये जाने वाले उपाय ।

धन और जन से हुई हानि और हाल की वर्षा से जिन उपायों को अपनाने की आवश्यकता पड़ी उससे संबंधित एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में बताया गया है कि लगभग ४०० पुरानी इमारतों को हानि पहुंची और लगभग १६५३ मकानों की दशा बड़ी खतरनाक थी जिसके कारण उसे ३१३ मकान गिरवाने पड़े। इनमें से कितने मकान ऐसे हैं जो शरणार्थी बस्ती में स्थित हैं ?

†श्री दातार : मैं एकदम यह सूचना देने की स्थिति में नहीं हूं ?

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : देखा यह गया है कि सहायता के रूप में केवल कुछ बांस दे दिये गये हैं। क्या शरणार्थी बस्तियों में जो मकान बेकार घोषित कर दिये गये हैं, सरकार उनकी मरम्मत करवा रही है ?

†श्री दातार : फिलहाल मेरे पास जो सूचना है वह यह कि सहायता कार्यों पर नगरपालिका निगम अब तक ३०,००० रुपये व्यय कर चुका है। इससे अधिक मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर : क्या यह सच है कि वर्षा काल में इतने अधिक पानी का जमा हो जाना दिल्ली की नाली व्यवस्था में खराबी के कारण है, यदि ऐसा है तो आगामी वर्षा काल आरम्भ होने से पूर्व इस खराबी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†श्री दातार : ये सारी बातें पटल पर रिपोर्ट रखने के पश्चात् स्पष्ट हो जायेंगी ।

†श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति वर्ष सीवर सिस्टम को साफ करने की योजना बनाने पर भी इस बार बरसात आने से पहले सीवर को साफ नहीं किया गया जिससे बहुत नुकसान हुआ ?

†श्री दातार : विवरण में इस सम्बन्ध में दिये गये रक्षात्मक एवं निषेधात्मक उपायों का उल्लेख किया गया होगा ।

†श्री राधा रमण : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा । यह प्रतिवेदन सदस्यों में कब परिचालित किया जायेगा और उस पर सभा में चर्चा करने का अवसर उन्हें कब मिलेगा ?

†श्री दातार : यह संबंधित मंत्री और आप के ऊपर निर्भर करता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर की शुद्धि

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : अगले प्रश्न को आरम्भ करने से पूर्व क्या मैं अपनी माननीया सहयोगी, श्रीमती आल्वा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के अनुपूरक के दिये गये उत्तर में कुछ संशोधन कर दूं ?

†अध्यक्ष महोदय : आज ?

†श्री दातार : अभी-अभी उन्होंने कहा था कि उस गणना में अन्य पिछड़े वर्ग भी सम्मिलित हो सकेंगे । यह सही स्थिति नहीं है । इस सम्बन्ध में एक अतारांकित प्रश्न था जिसमें स्वयं माननीय गृह-कार्य मंत्री ने सरकार की नीति बताई थी । मैं सभा का ध्यान उस नीति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । वह नीति यह है कि अगली जनगणना में उस जाति की गणना अनुसूचित जातियों के अलावा अथवा अनुसूचित आदिम जातियों अथवा जहां ऐसा करना प्रशासकीय कारणोंवश या किसी संविहित दायित्व को पूरा करना आवश्यक होगा, नहीं की जायेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डगडा का कोयला धोने का कारखाना

†*१८१. श्री त० ब० विट्ठलराव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डगडा में कोयला धोने का कारखाना खोलने के लिये टेंण्डरों की जांच पूरी कर ली गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस फर्म को इसका ठेका दिया गया है; और

(ग) संयंत्र की प्राक्कलित लागत कितनी होगी; और

(घ) संयंत्र कब से कार्य करने लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). टेण्डरों की जांच की जा चुकी है और आगामी कुछ ही दिनों के भीतर निर्णय किया जाने वाला है ।

(ग) लगभग ४ करोड़ रुपये ।

(घ) १९६० के समाप्त होने से पूर्व ।

विज्ञान मन्दिर

†*१८७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान मन्दिरों के द्वारा ज्ञान प्रसार में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : देश में अब तक १८ विज्ञान मन्दिर स्थापित किये जा चुके हैं । प्रत्येक विज्ञान मन्दिर ने (१) एक विज्ञान क्लब, (२) एक विज्ञान संग्रहालय, (३) एक पुस्तकालय, और (४) एक प्रयोगशाला की स्थापना की है जिसमें जल और भू सम्बन्धी विवेचना और जन-साधारण के रोगों की व्याधिकृत जांच की जाती है । लोकप्रिय वैज्ञानिक विषयों पर, जिनमें फिल्म और फिल्म-शो आदि सम्मिलित हैं ; समय-समय पर वार्ता, चर्चा और प्रदर्शन किये जाते हैं ।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

†*१९१. **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्रीमती रेणुका राय :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने राज्यों की विभिन्न योजनाओं को केन्द्रीय सहायता देने के **लिये** कोई नई प्रक्रिया खोज निकाली है; और

(ख) यदि हां, **तो** वह किस प्रकार की है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) जी हां ।

(ख) १२ मई, १९५८ का वित्त मंत्रालय के परिपत्र की एक प्रतिलिपि, जो राज्य सरकारों के नाम जारी किया गया है और जिसमें नई प्रक्रिया दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

चन्द्रकेतुगढ़ में प्राप्त वस्तुयें

†*१९३. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सङ्घ सरकार के पुरातत्व विभाग ने चन्द्रकेतुगढ़ तथा कलकत्ता के आस-पास के उन सभी पुरातत्वीय स्थानों का स्वतन्त्र रूप से सर्वेक्षण और जांच की है जिनमें आशुतोष संग्रहालय से सम्बद्ध कलकत्ता विश्वविद्यालय के पुरातत्ववेत्ताओं को मौर्य और सुंग काल की महत्व-पूर्ण वस्तुयें प्राप्त हुई बताई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थानों और प्राप्त वस्तुओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) और (ख). जी हां ।

ट्राम्बे में जेट्टी

†*१९७. **श्री आसर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक कार्यों वाली ट्राम्बे की जेट्टी युद्ध काल में प्रतिरक्षा विभाग द्वारा ले ली गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि मछुओं एवं और लोगों द्वारा असैनिक उपयोग के लिये एक नई जेट्टी बनाने का निर्णय किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो नई जेट्टी के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय खान ब्यूरो की प्रयोगशाला

†*२०१. **श्री बीरेन राय :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खान ब्यूरो की प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये प्राप्त औज़ार और मशीनें भी श्री राम इन्सटीट्यूट, दिल्ली की सीमा में पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे उपकरण किस प्रकार के हैं और उनकी वर्तमान दशा कैसी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस उपकरण को खरीदने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया था ;

(घ) इसका उपयोग कब किया जाने वाला है; और

(ङ) प्रयोगशाला स्थापित करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) श्री राम इन्सटीट्यूट भवन, दिल्ली, की सीमा में, जहां भारतीय खान ब्यूरो की प्रयोगशाला स्थित है, भारतीय खान के ब्यूरो के 'ओर ड्रेसिंग पाइलट प्लॉट' की भारी मशीनरी का केवल कुछ भाग ही रखा हुआ है ।

(ख) यह उपकरण जो 'ओर ड्रेसिंग पाइलट प्लॉट' कहलाता है इसकी समय-समय पर जांच की जा रही है और वह बिल्कुल ठीक दशा में है ।

(ग) भारत-अमरीकी टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम के अधीन कार्यकारी करार संख्या २६ के अन्तर्गत ५,५०,००० रुपये का उपकरण प्राप्त होने के अतिरिक्त इस पर ४१,००० रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी ।

(घ) यह अगु आकारी संयंत्र उपकरण निकट भविष्य में ही नागपुर में कार्य आरम्भ करेगा ।

(ङ) प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है, किन्तु पर्याप्त और उपयुक्त जगह की कमी के कारण अगु आकारी संयंत्र उपकरण कार्य नहीं कर सका ।

बातूखंड के निकट तेल की खुदाई

†*२०४. **श्री हेमराज** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ९ मई, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बातूखंड के निकट आरम्भ की गई 'स्ट्रक्चरल ड्रिलिंग' के बारे में क्या प्रगति की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : ८ अगस्त, १९५८ को बातूखंड के निकट की गई 'स्ट्रक्चरल ड्रिलिंग' १४७ मीटर (४८५ फुट) तक हो चुकी थी ।

यूनेस्को से टेक्निकल सहायता

†*२०५. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को द्वारा टेक्निकल सहायता के लिये विस्तृत किया गया कार्यक्रम १९५८–५९ में जारी रहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन कितनी गवेषणा संस्थाओं में नई प्रयोगशालाओं को टेक्निकल सहायता देने की सिफारिश की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राईमरी शिक्षा

†*२०६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री द० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के चुने हुये क्षेत्रों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जारी करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) किन-किन स्थानों में यह शिक्षा जारी की गई है; और

(ग) सम्पूर्ण भारत में कब तक यह जारी हो जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सारे देश में अधिकांश स्थानों में प्राइमरी अवस्था तक शिक्षा निःशुल्क है। राज्यों में जम्मू तथा काश्मीर और संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को छोड़ कर शेष सभी राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा पहले से ही जारी की जा चुकी है।

(ग) आशा यह की जाती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६—११ वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा सम्पूर्ण भारत में जारी करना सम्भव हो जायेगा ।

रूरकेला उर्वरक संयंत्र

†*२०७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला के उर्वरक संयंत्र के लिये एक उपकरण और मशीनों के सम्भरण के लिये कोई आर्डर भेज दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). रूरकेला में उर्वरक संयंत्र के लिये टेण्डर प्राप्त हो चुके हैं जिनकी जांच एक टेक्निकल समिति द्वारा की जा रही है। आर्डर देने के बारे में अन्तिम निर्णय शीघ्र शीघ्र ही लिया जाने वाला है ।

अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी

†*२०८. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीकी अर्थ-व्यवस्था में मंदी का भारत की अर्थ व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई ध्यान दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख) हमारी निर्यात से होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । १९५७ के उसी काल में तुलना करने से पता लगता है कि जनवरी–मई, १९५८ में हमारी इस आय में २८ करोड़ रुपये की कमी हो गई है । डालर क्षेत्र में हमारे निर्यात में २.५ करोड़ रुपये और शेष संसार के निर्यात में २५.५ करोड़ रुपये की कमी हुई है । बाद वाली कमी बहुत कुछ इस विशेष कारण से हुई कि इंग्लिस्तान में पहले ही चाय का बहुत सा स्टाक जमा करना था किन्तु विदेशों में मंदी के रुख से हमारे मैंगनीज़ अयस्क, कागज़ आदि के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने की सम्पूर्ण समस्या को दृष्टिगत रखते हुये हम अपने निर्यात को बढ़ाने का प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं ।

दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन

†*२०९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत के कितने विश्वविद्यालयों ने दक्षिण भारत की भाषाओं के अध्ययन के लिये विभाग खोले हैं; और

(ख) वे विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं जिन्होंने अभी तक ये विभाग नहीं स्थापित किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). उत्तर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय ने किसी भी दक्षिण भाषा के अध्ययन के लिये अब तक विभाग नहीं खोले हैं ?

आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र को विशेष निधि

†*२१०. **सरदार इक़बाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री १० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की शिशेष निधि के संगठनात्मक ढांचे को अन्तिम रूप देने की दिशा में तैयारी समिति द्वारा क्या प्रगिति की गई है ।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : तैयारी समित ने अपनी रिफारिशों सहित प्रतिवेदन १ जुलाई, १९५८ को उसके २६वें सम्मेलन के आरम्भ होने के समय प्रस्तुत कर दिया था । इकोसाक[1] अब इसको अपनी टिप्पणी सहित संयुक्त राष्ट्र संङ्घ को महा सभा में उसके १२वें सत्र में अन्तिम रूप से कार्यवाही के लिये पेश करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ecosoc.

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्

†*२११. { **श्री कुमारन् :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री कोडियान :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्न-बातें दिखाई गई हों :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक जून, १९५८ में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य-मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और क्या निष्कर्ष निकले ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) परिषद् द्वारा चर्चा किये गये विषय और निकाले गये निष्कर्षों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

दिल्ली पंजाब पुलिस पदाली का अलग-अलग किया जाना

†*२१२. { **श्री राधा रमण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर अधीनस्थों के सम्बन्ध में संयुक्त दिल्ली पंजाब पुलिस पदाली को अलग अलग करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और क्या उसको कार्यान्वित करने के लिये कोई तारीख निर्धारित की गई है; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

(ग) प्रशासकीय कार्य कुशलता की दृष्टि से प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

प्रधान प्रतिरक्षा कार्यालय, नई दिल्ली

*२१३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रधान प्रतिरक्षा कार्यालय के नये भवनों के निर्माण के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ; और

(ग) उस पर कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री राघुरामैया) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) अभी तक कोई स्थान नहीं चुना गया, यद्यपि कुछ स्थानों का सुझाव दिया गया था उन्हें दिल्ली डिवेलपमेंट अथारेटी की अनुमति प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन

†*२१४. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिसरामपुर —कोरिया कोयले की खानों के लिये सरकारी क्षेत्र में तीस लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित कर दिया गया है ;

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये पहले से क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या योजना काल में इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने की सम्भावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) मूल रूप से बिसरामपुर कोरिया कोयला खानों के लिये तीस लाख टन कोयले का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुय नवीनतम निर्माण के अनुसार चालू योजना काल में केवल कोरिया से ५० हजार टन कोयला उत्पन्न करने की आशा की जाती है ।

(ख) प्रारम्भिक कार्य जैसे भूमि अधिग्रहण, छिद्रण, योजना की रूप-रेखा तैयार करना और मशीन के लिये आर्डर देना आरम्भ कर दिये गये हैं ।

(ग) योजना काल में कोरिया से ५० हजार टन का लक्ष्य पूरा करने की आशा की जाती है । बिजौरी से करौंजी तक रेलवे लाइन बन जाने के साथ ही तृतीय योजना के आरम्भ में बिसरामपुर की कोयले की खान से उत्पादन होने लगेगा ।

लेखा परीक्षा को लेखे से अलग किया जाना

†*२१५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लेखा परीक्षा और लेखा को अलग करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनरीक्षण किया है ;

(ख) क्या इस विषय में राज्य सरकारों से परामर्श लिया गया है ;

(ग) यदि कोई निर्णय किया गया है तो वह किस प्रकार का है ; और

(घ) यदि अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है तो यह मामला किस स्थिति में है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (घ). लेखा परीक्षा को लेखा से अलग करने की योजना अभी केवल केन्द्र से लागू है और जो सम्भरण, खाद्य, पुनर्वास, स्टेशनरी और मुद्रण, राज्य-सभा एवं लोक-सभा से सम्बन्धित, आदान-प्रदानों में चल रही है । योजना को

†मूल अंग्रेजी में

चलाने, अन्य आदान-प्रदानों में इसे लागू करने की सम्भाव्यता तथा आनुषंगिक वित्तीय कठिनाइयों की जांच नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके की जा रही है । इस पुनरीक्षण के बारे में जब तक निर्णय नहीं हो जाता जिसमें कुछ समय लग सकता है, योजना और आगे नहीं बढ़ाई गई है ।

निर्वाचन याचिका

†*२१६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दामानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री पांगरकर :
श्री हेमराज :

क्या विधि मंत्री १५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४४० के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) अब तक लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं की (राज्यवार) कुल कितनी निर्वाचन याचिकायें निबटाई गईं ;

(ख) चुनाव न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के पास (अलग-अलग) कितनी निर्वाचन याचिकायें विचाराधीन हैं;

(ग) निर्वाचन न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों द्वारा (राज्यवार) छः मास के अन्दर कितनी निर्वाचन याचिकायें निबटाई गई; और

(घ) ३१ जुलाई, १९५८ तक कितने निर्वाचन रद्द घोषित किये गये ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

सिंगरेनी कोयला खानों को कर्ज

†*२१७. **श्री त० ब० विट्ठलराव :**
श्री दामानी :
श्री नागी रेड्डी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खानों के विकास के लिये सहायता देने के संबंध में आंध्र प्रदेश से अन्तिम परामर्श कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ; और

(ग) कोयला खानों से अब तक कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). एक निर्णय यह किया गया है कि केन्द्र कम्पनी के वित्त और प्रबन्ध में नियंत्रणकारी हित पर जोर नहीं देगा । जो प्रबन्ध किया जाने वाला है उसके विस्तृत ब्यौरे पर आंध्र प्रदेश सरकार से अभी और आगे चर्चा की प्रतीक्षा की जा रही है । शीघ्र ही इस पर निर्णय होने की आशा की जाती है ।

(ग) जब तक कोयला खानों के विकास में केन्द्र द्वारा भाग लेने संबंधी शर्तें अन्तिम रूप से तय नहीं हो जातीं, कम्पनी को १० लाख रुपये का कर्ज दिया गया है । यह स्थिति १९५७ में थी ।

रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस शताब्दी समारोह

†*२१८. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राधा रमण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रवीन्द्रनाथ टैगोर के जन्म दिवस शताब्दी समारोह के आयोजन में भारत सरकार के अंशदान का क्या स्वरूप है ; और

(ख) इस दिशा में किस कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया गया है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है ।

सवाई माधोपुर में लोहे की खानें

४४०. श्री मोहन स्वरूप : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर, राजस्थान के वीली कस्बे में पहाड़ पर लोहे की एक खान मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस खान में कितना लोहा मिलने का अनुमान है और उसके निकालने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार से आयकर

†४४१. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में जिलेवार १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में आयकर के रूप में कितनी रकम प्राप्त हुई है ; और

(ख) कितनी रकम का अन्तिम निर्धारण किया जा चुका है किन्तु ३१ मार्च, १९५८ तक उसे वसूल करना शेष है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और संग्रहीत की जा रही है । जानकारी देने वाला विवरण यथासंभव शीघ्र लोकसभा के पटल पर रखा जायेगा ।

जीवन बीमा निगम पूंजी विनियोग

†४४२. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा अपने आरम्भ काल से ३० जून, १९५८ तक सरकारी सीक्यूरिटी, शेअर और ऋणपत्र आदि में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ;

(ख) सरकारी अथवा गैर-सरकारी निकायों की मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों में उपरोक्त अवधि तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ; और

(ग) ३१ जुलाई, १९५८ तक गैर-सरकारी उद्योगक्षेत्र में उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ६७,३४,७०,१८४ रुपये ।

(ख) ५१,०२,१८,१९५ रुपये ।

(ग) १७,४२,१३,५५९ रुपये ।

"आर्डनेंस फैक्टरी न्यूज"

†४४३. श्री स० म० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आर्डनेंस फैक्टरी न्यूज" के प्रकाशन के लिये १९५७–५८ और १९५८–५९ में कुल कितनी रकम स्वीकार की गई है ;

(ख) इसके प्रकाशन में कितने कर्मचारी संलग्न हैं ; और

(ग) इसकी मासिक बिक्री कितनी है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) लगभग २८,००० रुपये प्रति वर्ष ।

(ख) एक असिस्टेंट एडीटर ।

(ग) लगभग १३,५०० ।

आयकर

†४४४. श्री बाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लखनऊ और गोंडा जिलों में अलग अलग १९५२–५३ से १९५७–५८ तक (वर्षवार) कितना आयकर निर्धारित एवं संग्रहीत किया गया है ; और

(ख) विभिन्न आय वर्गों के अन्तर्गत विभिन्न व्यक्तियों से इस अवधि में कितनी रकम वसूल की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे बताने वाला विवरण यथासंभव शीघ्र लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक

†४४५. **श्री वाजपेयी** : क्या गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय सेवा (प्रत्येक मंत्रालय में अलग-अलग) में ऐसे अधिकारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिनका मासिक वेतन २००० रुपये से अधिक है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

एलीफैण्टा की गुफायें

†४४६. **श्री पांगरकर** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के निकट एलीफैण्टा गुफाओं के निर्वहन पर १९५७–५८ में कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ख) १९५८–५९ में कितनी रकम खर्च करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) १,०६,००० रुपये ।

(ख) १४,१०० रुपये ।

जनता पालिसियां

†४४७. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम की उन जनता पालिसियों की संख्या और लागत कितनी है जो १९५८–५९ में अभी तक जारी की गई हैं ; और

(ख) उनकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ जनवरी, १९५८ से १४ जुलाई, १९५८ की अवधि में भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा कुल ९,३४० जनता पालिसियाँ बेची गई हैं और उनकी कीमत ६०,३६,७३२ रुपये है ।

(ख) निगम एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जिसके अनुसार जनता पालिसी योजना सम्पूर्ण देश में प्रचारित कर दी जायेगी । अभी तक प्राप्त अनुभव और मई, १९५८ के अन्त तक विभिन्न परिमंडलों के विभिन्न केन्द्रों में परियोजना के कार्य-संचालन के संबंध में आंकड़ों का मूल्यांकन परिमण्डलीय मैनेजरों द्वारा किया जा रहा है ।

चोरी छिपे माल का लाना और ले जाना

†४४८. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा १९५७–५८ में भारत-पाकिस्तान सीमा पर जमा किया हुआ जो माल गोदामों में पड़ा हुआ है उसकी कितनी कीमत है ; और

(ख) कितनी कीमत के माल का निपटारा कर दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ४१,७१,३५० रुपये ।

(ख) २८,३५,६१७ रुपये ।

निर्यात शुल्क

†४४९. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात शुल्क में हाल में जो कमी की गई है अथवा उसे हटा दिया गया है उसका सरकारी राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) राजस्व की कमी पूरी करने के लिये किन योजनाओं अथवा पद्धतियों को अपनाने का विचार है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कदाचित् यह निर्देश मूंगफली और अरण्डी का तेल सदृश बनस्पति तेलों पर जुलाई में जो निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था उसकी ओर है । उन वस्तुओं के हाल के निर्यात रुख को देखते हुये निर्यात शुल्क हटा देने का वित्तीय परिणाम लगभग ५० लाख रुपये प्रति वर्ष की हानि है । यह आंकड़े आंशिक रूप में किसी हद तक केवल धारणा पर आधारित हैं क्योंकि निर्यात शुल्क समाप्त न करने की स्थिति में निर्यात काफी कम होता ।

(ख) इस संदर्भ में सीमा संबंधी राजस्व की हानि अधिक नहीं है । फिर भी इसे तथा अन्य कमी की पूर्ति के लिये सरकार उचित समय पर आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†४५०. श्री सिदम्या : क्या गृह-कार्य मंत्री २८ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की अवस्थाओं में सुधार करने के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में किस सीमा तक लक्ष्य की पूर्ति हुई है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से ३१ मार्च, १९५८ तक कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ख) विभिन्न प्रकार के हस्त शिल्प में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बद्ध उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों के क्या नाम हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत १९५६–५७ में प्रत्येक राज्य में लक्ष्य की प्राप्ति बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७] १९५७–५८ के बारे में प्रगति प्रतिवेदन अभी अनेक राज्यों से प्राप्त नहीं हुये हैं । शेष जानकारी प्राप्त होने पर शीघ्र ही लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में अभी वही स्थिति है जो अतारांकित प्रश्न संख्या २८७९ के उत्तर में बताई गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†४५१. **श्री सिदय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १५ और १६ फरवरी, १९५८ को राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की गई हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अपेक्षित जानकारी अभी सम्पूर्ण राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नहीं हुई है । जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अभी इसकी प्रतीक्षा की जा रही है उन्हें स्मरण करा दिया गया है । प्राप्त होने पर सारी जानकारी लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आयकर सम्बन्धी मामले

†४५२. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास उच्च न्यायालय तथा न्यायाधिकरण में १९५४ के पश्चात आयकर संबंधी कितने मामले दाखिल किये गये हैं ;

(ख) अभी तक कितने मामलों का निपटान किया गया है ;

(ग) न्यायालय के बाहर कितने मामले तय किये गये हैं ; और

(घ) इन मामलों को शीघ्र निबटाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है और यथासंभव शीघ्र लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) (१) जहां तक उच्च न्यायालयों के समक्ष मामलों का सम्बन्ध ह यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

(२) अपीलीय न्यायाधिकरण के सामन निलम्बित मामलों के लियें अक्तूबर, १९५७ से मद्रास में न्यायाधिकरण की एक अतिरिक्त बैंच काम कर रही है और आशा है कि बच हुये मामलों का शीघ्र फैसला कर दिया जायेगा ।

कर जांच आयोग

†४५३. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाम्प शुल्क को समुद्र-सीमा पालिसी तक बढ़ान की व्यवहार्यता से संबंधित कर जांच आयोग (अंक ३) की सिफारिश संख्या ४१ के बारे में भारत सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). इस विषय पर विचार किया गया है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा १८ और धारा ३ (ग) के अनुसार समुद्र बीमा पालिसी पर भले ही वह भारत के बाहर विस्थापित की गई हो, यदि वह "स्थापित जायदाद, अथवा भारत म

†मूल अंग्रजी में

किये जाने वाले अथवा किये गये कार्य और भारत में प्राप्त किया गया है" तो उस पर स्टाम्प लगाना चाहिये । अतः स्टाम्प अधिनियम में नये उपबन्ध सम्मिलित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

पंजाब की टेक्नीकल शिक्षा योजनायें

†४५४. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २८ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेक्नीकल शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित पंजाब राज्य की टेक्नीकल शिक्षा की आठ योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या शेष तीन योजनाएं भी अनुमोदित कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) से (ग). लोक सभा केपटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८]

लोहा, इस्पात और कोयला सम्बन्धी पंजाब की मांग

†४५५. **श्री राम कृष्ण** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य सरकार की लोहे, इस्पात और कोयले के बारे में १९५७–५८ में कितनी मांग थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी मात्रा आवंटित की गई है ; और

(ग) आवंटित कोटे में से कितनी मात्रा राज्य सरकार ने प्रयुक्त की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

	(मांग)	आवंटन/कोटा	प्रेषण
	(टन)	(टन)	(टन)
कोयला* . .	पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।	१,०५८,९०४	८४३,८२७
इस्पात .	१०१,३५८	४३,९८३	२१,५३९
कच्चा लोहा .	१३५,८६२	१३,७६५	उपलब्ध नहीं हैं

*ये आंकड़े उन उद्योगों के बारे में हैं जो पंजाब सरकार के नियंत्रण में हैं । आंकड़े अनुमानित हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

अजन्ता की गुफायें

†४५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजन्ता की गुफाओं की देख-रेख पर १९५७–५८ में कुल कितनी राशि व्यय हुई है ; और

(ख) १९५८–५९ में कितनी राशि व्यय की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक-गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) २५,८८५.९० रुपये ।

(ख) २४,००० रुपये ।

पंजाब उच्च न्यायालय

†४५७. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५७ के बाद से पंजाब उच्च न्यायालय में कुल कितने रिट पेटीशन[1] दाखिल किये गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के कितने रिट पेटीशन अब भी विचाराधीन हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में साइन्स की क्लासें

†४५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साइन्स की क्लासों में अधिक संख्या में छात्रों को भर्त्ती करने के लिये दिल्ली विश्व-विद्यालय ने क्या प्रयास किये हैं ; और

(ख) इस वर्ष दिल्ली विश्व विद्यालय की साइंस की क्लासों में अधिक से अधिक कितने छात्र भर्त्ती किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न इस संबंध में विश्वविद्यालय के प्रस्तावों की आयोग की दौरा-समिति[2] द्वारा जांच होने तक के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय को फिजिक्स और केमिस्ट्री की अपनी बी० एस० सी० (आनर्स) कक्षाओं में स्वी-कृत संख्या से २५ प्रतिशत अधिक तक भर्त्ती करने की अनुमति दे दी है । साइन्स के अन्य कोर्सों में भी विश्वविद्यालय ने भर्त्ती किये जाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ा दी है ।

(ख) ७१० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Writ Petition.

[2]Visiting Committee.

सम्बद्ध कालेजों[1] में अध्यापक

†४५९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब तक कुल कितनी राशि का भुगतान किया है ; और

(ख) विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से इस संबंध में कितना सहयोग प्राप्त हुआ है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) ६,११,०२५·०० पये।

(ख) अब तक केवल पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार कलकत्ता विश्वविद्यालय के केवल उन कालेजों के मामले में जिनमें १००० से कम छात्र पढ़ते हैं या जिन्होंने राज्य सरकार को प्रावस्था-भाजित कमी करने के लिये ठोस योजनायें दी हैं, पुरुषों और महिलाओं के कालेजों में अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिये बढ़े हुये व्यय का क्रमशः ५० प्रतिशत और २५ प्रतिशत भाग वहन करना स्वीकार किया है। विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी बढ़े हुये व्यय का कोई अंशवहन करने की स्वीकृति नहीं दी है।

केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय गवेषणा संस्था

†४६०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में मैसूर की केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय गवेषणा संस्था द्वारा निकाले गये कुल कितने पदार्थों को बिक्री के लिये बाजार में लाया गया है ; और

(ख) इनमें से कितने पदार्थों को तैयार करने का अधिकार गैर सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति अथवा संस्थाओं को दिया गया है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबीर): (क) १९५८ में मैसूर की केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय गवेषणा संस्था द्वारा निकाली गयी कोई भी प्रणाली अभी व्यापार के लिये नहीं दी गयी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मुरादपुर में पेट्रोलियम के निक्षेप

†४६१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर राज्य में मुराद-पुर के निकट पैट्रोलियम निक्षेपों के सर्वेक्षण कार्य में और आगे कितनी प्रगति हुई है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : जम्मू प्रान्त में इस क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण का कार्य जारी रखा गया और विभिन्न स्थानों पर तेल के चिह्न मिलने की जो खबरें थी उनके सिलसिले में नमूनों की जांच की गयी। सर्वेक्षणों के परिणामों की संगणना की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Affiliated Colleges.

विशेष जीवन बीमा एजेन्ट

†४६२. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व बीमा कम्पनियों के अधीन काम करने वाले विशेष एजेन्टों को जीवन बीमा निगम के अधीन १ सितम्बर, १९५६ के बाद से इन्स्पेक्टरों के अधीन साधारण एजेंट बना दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये किस मानदण्ड को आधार माना गया ?

†**वित मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं, सब मामलों में ऐसा नहीं किया गया ।

(ख) उन्हें विभिन्न पदों पर ,अर्थात् वेतनभोगी नियुक्तियों, प्रत्यक्ष एजेंटों या क्षेत्रीय अधिकारियों के अधीन साधारण एजेंटों के रूप में नियुक्त करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनका पिछला कार्य कैसा था । हां जो या तो बेनामी थे या फर्में थीं, सोसायटियां या समितियां थीं, उनकी एजेंसी चालू नहीं की गयी ।

भारत शिक्षा सेवा[1]

†४६३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री संगण्णा :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री शिवनंजप्पा :
श्री सूपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री २६ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत शिक्षा सेवा की स्थापना करने में सरकार ने कितनी प्रगति की है ; और

(ख) क्या तब से इस विषय में विभिन्न राज्यसरकारों की राय मालूम कर ली गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) राज्य-सरकारों को इस विषय में १९५८ की जनवरी में पत्र भेजे गये थे । उनमें से केवल पांच ने अतिन्म रूप से अपने उत्तर भेजे हैं । शेष राज्य सरकारों के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

यूनेस्को से सहायता

†४६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में यूनेस्को से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) यह सहायता किन-किन परियोजनाओं के लिये मिली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा०का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९**]

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Educational Service.

पुस्तकालयों के लिये मंत्रणा समिति

†४६५. **श्री सूपकार** : क्या **शिक्षा** मंत्री लोकसभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) पुस्तकालयों संबंधी मंत्रणा समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या इसका प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है ; और

(ग) अब तक कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) पुस्तकालयों संबंधी मंत्रणा समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल शिक्षा विधेयक

†४६६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** १७ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल शिक्षा विधेयक, १९५७ पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) केरल शिक्षा विधेयक १९५७ को संविधान के अनुच्छेद २०१ के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति के इस निदेश के साथ केरल के राज्यपाल को लौटा दिया गया है कि वह उसे विधेयक को उच्चतम न्यायालय की सम्मति को ध्यान में रखते हुये पुनर्विचार के लिये राज्य-विधान-सभा के पास वापस भेज दें ।

दिल्ली के स्कूल

†४६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली के कितने सरकारी सहायता-प्राप्त गैर-सरकारी स्कूल अभी तम्बुओं या अस्थायी टपरों में चल रहे हैं ;

(ख) इनमें प्राइमरी स्कूल कितने हैं ; और

(ग) इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९ ।

(ख) ४

(ग) ७७३८ ।

सर्कस

†४६८. **श्री कोडियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के सर्कस संगठनों से सर्कस के प्रोत्साहन में सहायता के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां। आल इंडिया सर्कस ओनर्स एसोसियेशन के सभापति, श्री ए० के० दामोदरन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) अभ्यावेदन में निम्न सुझाव दिये गये ?

(१) सर्कस को मनोरंजन कर से विमुक्ति।

(२) सर्कस के सामान के लाने ले जाने के लिये उचित दरों पर विशेष रेलगाड़ी की सुविधायें।

(३) समूचे भारत में सर्कस के पशुओं का चिड़ियाघरों द्वारा वैज्ञानिक रूप से पोषण और सर्कस कम्पनियों द्वारा सस्ते दरों पर उनकी खरीद की सुविधायें।

(४) सर्कस के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये एक संस्था की स्थापना।

(५) सर्कस को सांस्कृतिक कार्यवाही के रूप में मान्यता देना और सांस्कृतिक कार्यवाही के रूप में सर्कस को प्रोत्साहन देने के लिये इनाम और अन्य साधन रखना।

उपरोक्त मद (१) से (५) पर निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) एसोसियेशन को सूचित कर दिया गया कि मनोरंजन कर से विमुक्ति का प्रश्न राज्य सरकारों से संबंधित है।

(२) इससे संबंधित रेलवे मंत्रालय ने बताया कि परिवहन की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुये इस प्रार्थना पर सहमति नहीं दी जा सकती।

(३) वन्य पशुओं संबंधी भारतीय बोर्ड[1] के सचिव ने आल इंडिया सर्कस ओनर्स एसोसियेशन के सभापति, श्री दामोदरन से चिड़ियाघरों द्वारा सर्कस के पशुओं के वैज्ञानिक पोषण के बारे में बोर्ड की चिड़ियाघर शाखा के विचार के लिये एक उचित नोट भेजने को कहा है। तथापि, उन्होंने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की है।

(४) सर्कस एक मनोरंजन उद्योग है और यह अनुभव किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो उद्योग स्वयं ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था स्थापित करे।

(५) संगीत नाटक अकादमी ने जिनको सर्कस को सांस्कृतिक कार्यवाही मानने का सुझाव भेजा गया था कहा है कि क्योंकि सर्कस ललित कला कार्यवाही नहीं है अतः वे उसको सांस्कृतिक कार्यवाही के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड के उपरोक्त निर्णय को देखते हुये इनाम रखन का प्रश्ने उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Indian Board of wild Life.

नाभिकीय विज्ञान[1]

†४६९. { सरदार इक़बाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों में नाभिकीय विज्ञान और नाभिकीय इंजीनियरिंग के पाठयक्रम लागू करन की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर) : (क) और (ख). सब विश्वविद्यालयों में भौतिक शास्त्र के अग्रिम पाठयक्रम में नाभिकीय सिद्धांत के कुछ पहलू सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त आगरा, दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों ने एम० एस० सी० पाठयक्रमों में नाभिकीय विज्ञान का एक विशेष पत्र लगाया है। रुड़की विश्वविद्यालय ने नाभिकीय विज्ञान और नाभिकीय इंजीनियरिंग के पाठयक्रम को लागू करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक योजना भेजी है।

भारतीय संस्कृति सम्बन्ध परिषद्[2]

†४७०. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मौलाना अब्बुल कलाम आजाद की स्मृति में कोई पीठ की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है ?

†वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) दो पीठ, एक पश्चिम एशिया में और दूसरी पूर्वी एशिया में स्थापित करने के लिये बातचीत हो रही है। यह बातचीत के परिणामों पर निर्भर करता है कि एक पीठ स्थापित की जायगी या दो। विदेशी मुद्रा इत्यादि और कुछ कार्यवाहियों के पूरा करने की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सम्भवत: चालू वर्ष में यह पीठ स्थापित करना संभव न हो सकेगा।

युद्ध स्मारक

†४७१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध में जान देने वाले सिपाहियों की स्मृति में स्मारक बनाये गये और वे किस प्रकार के हैं ; और

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां सरकार का ऐसे स्मारक बनाने का विचार है और वे किस प्रकार के होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Nuclear Science

[2] Indian council for cultural relations.

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). भारत सरकार न द्वितीय विश्व युद्ध में जान देन वाले सिपाहियों की स्मृति में कोई स्मारक नहीं बनाय हैं और न ही ऐसे कोई स्मारक बनाने का प्रस्ताव उनके विचाराधीन है।

तथापि साम्राज्यिक युद्ध समाधि आयोग[1] ने भारत में कुछ स्मारक बनाये हैं और कुछ और बनाने का उनका विचार है। इनके संबंध में अपेक्षित जानकारी लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]**.

भारत में बहुत से स्थानों पर उपरोक्त के अतिरिक्त संस्मारक और स्मारक, जैसे कि मेरठ में स्मारक सैन्य दल द्वारा सैन्य निधि और गैर-सरकारी निकायों द्वारा बनाया गया है परन्तु एसे स्मारकों के संबंध में सरकार द्वारा कोई अभिलेख नहीं रख गये हैं।

सहायक विमान बल के लिये जेट विमान

†४७२. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री सहायक विमान बल के उन संवृन्दों के नाम बताने की कृपा करेंग जिनको सरकार जेट विमान देना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: पहले पहल संख्या ५१ (दिल्ली) सहायक विमान बल संवृन्द।

बाबोर में खुदाई

†४७३. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के डोगरा शासकों की प्राचीन राजधानी, बाबोर में खुदाई की गयी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी निर्माण-कार्य

†४७४. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय के प्रस्तावित निर्माण-कार्य का पुनर्विलोकन जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, १९५८–५९ के लिये पूरा कर दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Imperial War Graves Commission.

(ख) यदि हां, तो जिनका निर्माण प्रत्येक मंत्रालय ने रोका है, विभिन्न भवनों की पृथक रूप से क्या लागत है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) १० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ के भाग (ग) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें यह कहा गया था कि भविष्य में प्रत्येक कार्य का इसके गुणावगुण को देखते हुये परीक्षण किया जायेगा और इसकी आवश्यकता को पूरी तौर से निश्चित करने के बाद इसकी आज्ञा दी जायेगी। अतः वर्ष १९५८–५९ के लिये इस ओर कोई सामान्य पुनर्विलोकन नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

†४७५. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) विदेशों में प्रत्येक देश में पृथक रूप से इस समय कितने भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहेहैं ; और

(ख) १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में उनमें से कितन विद्यार्थी इन देशों को गये ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी हुई है। **[देखये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**.

पंजाब में भटिंडा किला

†४७६. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में भटिंडा किला जीर्ण अवस्था में है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या कार्यवाही करन का विचार है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). १९५६ में भारी वर्षा और भूकम्प के कारण किले के कुछ भाग को हानि पहुंची और वार्षिक मरम्मत, के अतिरिक्त, कुछ विशेष मरम्मतें भी की गयी हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय

†४७७. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बदाने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ के वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पंचाब विश्वविद्यालय को किननी धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

१९५५–५६	कुछ नहीं
१९५६–५७	५,४८,२५६ रुपये
१९५७–५८	११,३०,६११ रुपये

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटना

†४७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३१ जुलाई, १९५८ तक) भारतीय विमान बल के कितने विमान भीषण रूप से दुर्घटनाग्रस्त हुये ;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) उन के आवर्तन को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

(ख) दुर्घटना के सब मामलों में जांच का आदेश दिया जाता है और प्रनिवेदन पर वायु सदर मुकाम (एयर हैडक्वार्टर्स) द्वारा विचार किया जाता है ।

(ग) सब उड्डयन में मुख्यतः निर्णय की मानवोचित कुछ भूल ।

(घ) कोई ताजे निरोधक उपाय नहीं हैं जो अपनाये जायें और सब दुर्घटनायें दूर की जायें । तथापि, ऐसी दुर्घटनाओं को न्यूनतम् करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

भारत-पाकिस्तान, पुलिस पदाधिकारियों की बैठक

†४७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तस्कर व्यापार को रोकने के उपाय निकालने के लिये ५ जून, १९५८ को वागा सीमा पर भारत और पाकिस्तान के पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक हुई ; और

(ख) यदि हां, तो वहां क्या निर्णय किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ५ जून, १९५८ को वागा सीमा पर भारत और पाकिस्तान के पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक हुई परन्तु यह सीमा घटनाओं, आक्रमणों इत्यादि को रोकने के लिये प्रस्थापनाओं पर विचार करने के लिये हर महीने होने वाली सामान्य बैठक थी । तस्कर व्यापार को रोकने के उपाय निकालने के लिये विशेष रूप से कोई बैठक नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर का पैतृक घर

†४८०. श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण :
श्री राधा रमण
श्री वाजपेयी :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरसन्को, कलकत्ता स्थित कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के पैतृक घर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में क्या अग्रेतर प्रग उठाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में टैगोर शताब्दी समारोह समिति द्वारा बनाया गया प्रस्ताव किस प्रकार का है ?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) स्वर्गीय कवि की स्मृति में एक उचित स्मारक बनाने के लिये स्थापित एक समिति 'रवीन्द्र भारती' की प्रार्थना पर जोरसन्को, कलकत्ता स्थित टैगोर भवन का एक भाग पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा ले लिया गया है : इस प्रकार ली गई भूमि और भवन का 'रवीन्द्र भारती' और नृत्य, नाटक और संगीत अकादमी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) समिति ने सिफारिश की कि कलकत्ता में टैगोर पैतृक घर का पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षण और संधारण किया जाये ।

शिक्षा बोर्ड

†४८१. श्री दामानी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक शिक्षा बोर्ड, जिस का नाम 'उच्चतर शिक्षा संबंधी केन्द्रीय बोर्ड'[1] है, कई वर्षों से कार्य कर रहा है और अनधिकृत परीक्षायें कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके और इस ही प्रकार की अन्य संस्थाओं के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) ऐसी संस्थाओं की गतिविधि के विरुद्ध सामान्य जनता को समय समय पर समाचारपत्रों द्वारा सावधान कर दिया गया है । राज्य सरकारों और प्रशासकों को यह सुझाव दिया गया है कि इन गैर-समाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने का सर्वोत्तम उपाय स्थानीय पुलिस के लिये है कि वे ऐसे तत्वों की गतिविधि पर ध्यान रखें और जहां कहीं भी आवश्यक हो, दंड विधि के अन्तर्गत क्रियाकारी और शीघ्र कार्यवाही करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Central Boar of Higher Education.

नियंत्रित मूल्यों पर इस्पात की खरीद

†४८२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नियंत्रित मूल्यों पर इस्पात की खरीद के लिये विभिन्न राज्यों को अभ्यंश दे रही है ; और

(ख) चालू वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों को कितना आवंटन किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हाँ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५८-५९ की प्रथम दो तिमाहियों के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटन दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**. अन्य दो अवधियों के लिये अभी आवंटन नहीं किये गये हैं।

शिशु कल्याण सम्बन्धी गोष्ठी

†४८३. **श्री राधा रमण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अप्रैल, १९५८ में शिशु कल्याण सम्बन्धी एक राष्ट्रीय गोष्टी की गयी ;

(ख) क्या शिशु कल्याण आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार को गोष्ठी का प्रतिवेदन या इसकी सिफारिशें प्राप्त हुयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) शिशु कल्याण सम्बन्धी आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है ।

निवेली लिग्नाइट निगम के लिये इमारती लकड़ी

†४८४. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे निवेली लिग्नाइट निगम के लिये कुल कितनी इमारती लकड़ी की आवश्यकता है ;

(ख) इसमें से कितनी देशीय संसाधनों से प्राप्त की जा रही है ; और

(ग) बाकी किस प्रकार उपलब्ध की जाती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : १९५७-५८ से १९६१-६२ तक की कालावधि में लगभग कुल ७,८१,००० घन फुट इमारती लकड़ी की आवश्यकता है।

(ख) समूची मात्रा के देशीय संसाधनों से प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अस्पृश्यता

†४८५. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के १९५६–५७ के प्रतिवेदन-भाग १ के पृष्ठ २७ पर मद संख्या ६ के सम्बन्ध में यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गयी ४,५०,००० रुपयों की राशि में से अब तक कितनी खर्च की गयी है ; और

(ख) इस ओर क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). १९५६–५७ में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी चित्रों के उत्पादन और दिखाने पर कोई खर्च नहीं किया गया। ऐसे चलचित्रों के उत्पादन के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभी भी कुछ निर्माताओं से बातचीत कर रहा है।

छावनियों में भंगी और मेहतर

†४८६. **श्री बाल्मीकी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों में देश में छावनियों में भंगियों और मेहतरों की रहने की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ; और

(ख) जून, १९५८ तक मकानों में क्या प्रगति की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). भारत सरकार की प्रेरणा पर छावनी बोर्डों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भंगियों और मेहतरों के लिये क्वार्टर बनाने की योजनायें बनायी हैं। १ अप्रैल, १९५५ से ३० जून, १९५८ तक भारत सरकार ने इस कार्य के लिये ११,७९,७५५ रुपयों का विशेष सहाय्य-अनुदान स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त कुछ छावनी बोर्डों ने भंगियों और मेहतरों के लिये क्वार्टर बनाने पर अपनी निधि में से ५,३३,०२४ रुपये खर्च किये हैं। इन राशियों में से क्रमश: ४,८१,९२९ रुपये और ३,५४,०५६ रुपये ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले पिछले दो वर्षों से सम्बन्धित हैं।

३१ मार्च, १९५८ तक कुल ५७२ क्वार्टर बनाये गये हैं और १७८ और बनाये जा रहे हैं।

इस्पात का वितरण

†४८७. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को इस्पात की अनावश्यक किस्में अधिक मात्रा में संभरित की जाती हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या यह माल मुक्त बाजार में जाता है और वहां से उसको पुन-र्वेल्लन मिलों को बेचा जाता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि लघु उत्पादकों को इस्पात जैसा कच्चा माल इन वेल्लन मिलों से बहुत उच्च मूल्यों पर खरीदना पड़ता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). पंजीकृत स्टाकिस्टों द्वारा भेजे गये व्यादेशों के अनुसार सम्भरण किया जाता है जिनका राज्य

†मूल अंग्रेज़ी में

प्राधिकारियों द्वारा परिनिरीक्षण किया जाता है। उन मामलों में यहां व्यादेशों की उचित रूप से परिनिरीक्षा न हुई हो, कुछ अनावश्यक किसमें मंगाई और संभरित की जा सकती हैं। पंजीकृत स्टाकिस्टों को माल के 'निर्बाध बिक्री' की आज्ञा है जिसके लिये स्टाकिस्टों द्वारा माल के आने की सूचना पाने पर ६० दिन के अन्दर राज्य नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पर्मिट जारी नहीं किये जाते। यह असंगत से बात है कि यह मुक्त माल पुनर्वेल्लन-कर्त्ताओं के पास जाये क्योंकि पुनर्वेल्लनकर्त्ता कच्चे माल के रूप में पुनर्वेल्लन योग्य माल का प्रयोग करते हैं। पर्मिटों और अभ्यंश प्रमाण पत्रों से नियंत्रित मूल्य पर इस्पात खरीदा जा सकता है। तथापि मुक्त बाजार सी खरीदे हुए कच्चे माल अथवा आयातित पुनर्वेल्लन योग्य सामान का प्रयोग करने वाले गैर पंजीकृत पुनर्वेल्लनकर्त्ता अपना लागत मूल्य और कुछ परिवर्तन भार लेते हैं जो इकट्ठा मिल कर पर्मिट और अभ्यंश प्रमाणपत्रों से प्राप्त इस्पात के नियंत्रित मूल्य से अधिक हो सकता है। ऐसी बिक्री भी पुनर्वेल्लनकर्त्ताओं को राज्य सरकार को बतानी होती है।

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बैंचें

४८८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर स्थित बैंचों में से प्रत्येक के पास इस समय कितने मामले दर्ज हैं ;

(ख) इन में से प्रत्येक बैंच के पास कितने कितने दीवानी और फौजदारी मामले लम्बित हैं ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक बैंच में इस समय कितने न्यायाधिश कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : एक विवरण नीचे दिया गया है।

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट तथा बैंचों में काम करने वाले न्यायाधीशों की संख्या और उनमें लम्बित मामलों की संख्या का विवरण :—

	१-१-५८ से ३०-६-५८ तक रजिस्टर किये गये मुकदमों की संख्या			३०-६-५८ को लम्बित मुकदमों की संख्या			इस समय काम करने वाले न्याय-धीशों की संख्या
	दीवानी	फौज़-दारी	कुल	दीवानी	फ़ौज़-दारी	कुल	
जबलपुर (मुख्यसीट)	९५३	६९४	१६४७	२४२५	७०२	३१२७	पांच
इन्दौर बैंच . .	६१५	३७१	९८६	१९७०	२४७	२२१७	तीन
ग्वालियर बैंच .	२२६	१९९	४२५	८१५	१०९	९२४	दो
कुल . .	१७९४	१२६४	३०५८	५२१०	१०५८	६२६८	दस

टोकियो में एशियाई खेलों में भारतीय दल

†४८९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टोकयो में एशियाई खेलों में भारतीय दल पर व्यय की ओर भारत सरकार ने कितना धन दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : व्यय के लेखापरीक्षित लेखों के प्राप्त होने तक २,१०,६८१ रुपयों का अनुदान। एयर इंण्डिया इन्टरनैशनल द्वारा दल की दोनों मार्गों की यात्रा के लिये ७०,००० रुपये के एक अग्रेतर अनुदान के दिये जाने की सम्भावना है।]

अफ़ीम

†४९०. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम और इसके रासायनिक जन्म पदार्थ की खेती, निर्माण और उसे साफ करने के लिये संघीय सरकार द्वारा कितनी संस्थापनायें चलायी जा रही हैं, वे कहां पर स्थित हैं और उनमें से प्रत्येक में किस प्रकार का कार्य किया जाता है ;

(ख) इन सब संस्थापनाओं में (संस्थापना-वार) कितने सवेतन श्रमिक और अन्य कर्मचारी नियोजित हैं ; और

(ग) क्या इन संस्थापनाओं के श्रमिकों पर विभिन्न श्रम नियम लागू हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत सरकार का स्वापक विभाग कच्ची अफ़ीम का उत्पादन करने के लिये सीधे तौर पर पोस्त की खेती नहीं करता। वे केवल उत्पादकों को अपनी भूमि में फसल उगाने के लिये इस शर्त पर लाइसेंस देते हैं कि समूचा उत्पादन पूर्व-निश्चित मूल्य पर सरकार को देना होगा।

उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर स्थित सरकारी अफ़ीम और क्षाराभ[1] कारखाने में कच्ची अफ़ीम को साफ करने और इसके आन्तरिक उपभोग तथा निर्यात दोनों के लिये इसके क्षाराभ के निर्माण का कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में नीमच स्थान पर भी एक छोटी से फैक्टरी है जो मुख्यत: खाने के लिये पास के राज्यों में सम्भरण करने के लिये साफ़ की हुई अफ़ीम को इकट्ठा करने के लिये भाण्डागार का काम करती है।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ग) कारखाना अधिनियम, १९४८, औद्योगिक विवाद अधिनियम इत्यादि जैसे विभिन्न श्रम विधान जो कि भारत सरकार के विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में लागू हैं, इन कारखानों में नियोजित कुशल अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों पर भी लागू हैं। वहां नियोजित अन्य कर्मचारीगण पर ऐसे कर्मचारियों पर लागू सामान्य सेवा शर्तें लागू हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Alkaloid.

अफ़ीम और क्षाराभ का सरकारी कारखाना, गाज़ीपुर

†४९१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी अफ़ीम और क्षाराभ कारखाना, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश में इस समय कितने श्रमिक नियोजित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कारखानों में श्रमिक ६० वर्ष की आयु पर पहुंचने पर किसी निवृत्ति वेतन, भविष्य निधि अथवा उपदान सुविधा के दिये जाने के बगैर ही आवश्यक रूप से सेवा-निवृत किये जाते हैं ; और

(ग) सवेतन छुट्टियों, छुट्टी नियमों इत्यादि के बारे में उनको क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ५५२।

(ख) ये श्रमिक ६० वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आवश्यक रूप से सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। उनको अभी तक अंशदायी भविष्य निधि की सुविधायें नहीं दी गयी हैं। तथापि यह प्रश्न इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है। क्योंकि कारखाने में कच्ची अफ़ीम की मात्रा प्रत्येक वर्ष भिन्न होती है, श्रमिक वर्ष से वर्ष तक के आधार पर अस्थायी पदों पर रहते हैं। अतः वे निवृत्ति-वेतन सुविधा के पात्र नहीं हैं।

(ग) सवेतन छुट्टियों और छुट्टियों के बारे में इन श्रमिकों को वैसी ही सुविधायें दी जाती हैं जो भारत-सरकार के अन्य औद्योगिक संस्थापनाओं में नियोजित ऐसे ही श्रमिकों को दी जाती है।

नरम इस्पात[1]

†४९२. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ म नरम इस्पात की चादरों समेत देश में अब तक विभिन्न प्रकार के नरम इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) प्रति वर्ष कुल कितना नरम इस्पात आयात किया जाता है ;

(ग) भारत में इंजीनिरिंग उद्योग को प्रतिवर्ष कुल कितने नरम इस्पात की आवश्यकता होती है ;

(घ) क्या नरम इस्पात की कमी के कारण भारत में इंजीनियरिंग उद्योग की कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) सम्भवतः 'नरम इस्पात' से माननीय सदस्य का अभिप्राय 'हल्के इस्पात'[2] से है। लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]**.

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Soft Steel.

[2] Mild Steel.

(ख) १९५७ में कुल १,१४५,९९४ टन हल्के इस्पात का आयात किया गया और जनवरी से जून, १९५८ तक ३७४,४६७ टन हल्के इस्पात का आयात किया गया।

(ग) एक पारी की निर्धारित क्षमता के आधार पर भारत में इंजीनियरिंग उद्योग की वर्तमान अनुमानित आवश्यकता लगभग १० लाख टन प्रतिवर्ष है।

(घ) और (ङ). इंजीनियरिंग उद्योग के लिये हल्के इस्पात की कमी का सरकार को पूरी तरह ज्ञान है। १९६०–६१ तक देश में समापित इस्पात[1] के देशीय उत्पादन को १३ लाख टन से बढ़ा कर ४५ लाख टन करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर देशीय सम्भरण की कमी को पूरा करने के लिये इस्पात आयात करने की प्रस्थापना है।

उपलब्ध इस्पात से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये प्रत्येक एककों को प्रत्येक उद्योग को आवंटित विकास की प्राथमिकता के अनुसार उनके भंडार और उत्पादन स्तर को देखते हुए वास्तविक आवंटन किये जाते हैं।

जर्मन गवेषणा दल

४९३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन वैज्ञानिक गवेषणा दल ने इस बीच अपना गवेषणा व संग्रह कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भारत के किन-किन भागों का भ्रमण किया ;

(ग) उन्होंने प्राकृतिक इतिहास, पशुओं तथा वनस्पतियों आदि के कुल कितने नमूने एकत्र किये ;

(घ) उन में से कुल कितने नमूने उन्होंने भारत के प्राणिशास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग को प्रदान किये ;

(ङ) वे कब से कब तक भारत में रहे; और

(च) उन के इस अभियान पर भारत सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ ?

वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). जर्मन वैज्ञानिक दल बम्बई, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आसाम और मध्य प्रदेश गया और उसने भारत में अपना संग्रह का काम पूरा कर लिया है।

(ग) इस दल ने बे रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों के कितने नमूने इकट्ठे किये इसकी ठीक संख्या नहीं मालूम है। बड़े वर्गों में से ६५० नमूने—चिड़ियां, दूध पिलाने वाले प्राणियों और रींगने वाले जन्तुओं के इकट्ठे किये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Finished Steel.

(घ) १३६७।

(ङ) सितम्बर, १९५५ के पहले सप्ताह से लेकर, १९५८ के अन्त तक।

(च) उन रियायतों और सुविधाओं को छोड़ कर जिनका आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और चुंगी के लिए तदर्थ अनुदान के ५००० रुपये के अलावा भारत के जूओलोजीकल सर्वेक्षण विभाग ने दल के साथ जाने वाले अपने कर्मचारियों के दौरे के भत्ते और अचानकीय खर्च पर १६,५०० रुपये खर्च किये।

मनीपुर राइफल्स

†४९४. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में ऐसे कितने स्वीकृत सन्त्री पद हैं जिनके लिये मनीपुर राइफल्स से सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : पांच स्वीकृत सन्त्री पद हैं जिन के लिये मनीपुर राइफल्स से सशस्त्र गार्डों की व्यवस्था की गयी है?

(१) मुख्य आयुक्त का निवास।

(२) महाराजा का महल।

(३) इम्फाल का खजाना।

(४) पुलिस के इंस्पैक्टर जनरल से सम्बन्धित गार्ड।

(५) यूनिट क्वार्टरगार्ड और मैगज़ीन।

मनीपुर में आग

†४९५. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर पुलिस द्वारा आग लगने की सूचनायें प्राप्त की जाती हैं; और

(ख) क्या दमकलों से तत्काल सम्बन्ध स्थापित करने के लिये इम्फाल के प्रमुख केन्द्रों में कोई टेलीफोन लगाये गये हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां। मनीपुर की आग बुझाने वाली सेवा द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त मनीपुर पुलिस द्वारा भी आग लगने की सूचनायें प्राप्त की जाती हैं।

(ख) जी नहीं। मनीपुर की आग बुझाने वाली सेवा टेलीफोन पर उपलब्ध है और अतः शहर में लगे किसी भी टेलीफोन से अथवा सार्वजिनिक टेलीफोन कार्यालयों से उनसे सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

शारीरिक व्यायाम शिक्षक

†४९६. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के स्कूलों और कालिजों में शारिरिक प्रशिक्षण लागू करने के लिये मनीपुर प्रशासन ने क्या पग उठाये हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) मनीपुर प्रशासन द्वारा कितने प्रशिक्षित शारीरिक व्यायाम के शिक्षक नियोजित किये गये हैं;

(ग) उनमें से कितनों को सरकारी खर्चे पर प्रशिक्षित किया गया; और

(घ) उनको शारीरिक प्रशिक्षण के प्रशासन में नियोजित किया जाता है या वे वास्तविक रूप से शारीरिक व्यायाम की शिक्षा देते हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) प्रशासन ने स्कूलों के लिये शारीरिक व्यायाम सम्बन्धी एक व्यापक पाठचर्या तैयार की है और उसको सब स्कूलों में कार्यान्विति के लिये भेज दिया गया है। डी० एम० कालिज में शारीरिक व्यायाम को तत्काल लागू किया जा रहा है। इस कार्य के लिये एक शिक्षक को पिछले वर्ष प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था और दूसरे को इस वर्ष भेजा गया है।

चालू वर्ष में सरकारी स्कूलों के तीन शिक्षक और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के दो शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है।

(ख) पांच।

(ग) सब।

(घ) इन पांच में से एक को शारीरिक व्यायाम के संगठन और प्रशासन के शिक्षा विभाग में और बाकियों को टेरिटोरियल कौन्सिल स्कूलों में शिक्षक नियोजित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में पड़े हुए पाइप

४९७. **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी लागत के पाइप और टंकियां हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर धूप और पानी में पड़ी खराब हो रही हैं;

(ख) उनके इस स्थिति में पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें धूप और वर्षा में हानि से बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). कुछ पाइप और टंकियां काम की जगह पर सड़क के किनारे रखे गए हैं जिनका प्रयोग वाटर सप्लाई स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा। चूंकि अधिकतर काम की जगहों तक सड़कें नहीं बनी हुई हैं, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य हो गया। जब भी जरूरत होती है सामान को काम के स्थान पर ले जाया जाता है जिसकी वजह से एक विशेष स्थान पर वह सामान कभी बढ़ता और कभी घटता रहता है। इसलिए उसकी लागत के सही सही आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि धूप और वर्षा से इस सामान को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पाइप और टंकियां जब तक जमीम के जन्दर ही न गाढ़ दी जाएं तब तक तो लगा देने के बाद भी वे धूप और वर्षा में ही रहती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र

४९८. **श्री पद्म देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री हिमाचल प्रदेश में वर्ष १९५७–५८ में अनुसूचित जाति के छात्रों को दी गई छात्रवृतियों के बारे में २८ अप्रैल १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८८८ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५].**

हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र

४९९. **श्री पद्म देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्रों के बारे में २१ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मांगी गई सूचना का विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६].**

शस्त्र कारखाने का पता लगाना

†५००. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत स्थान पर जून, १९५८ में एक छोटे शस्त्र कारखाने का पता लगाया गया जिसमें पिस्तोलों के कई सौ भाग और पिस्तौल बनाने के विभिन्न प्रकार के देशी बने हुए औज़ार मिले ; और

(ख) यदि हां, तो, देश में इस प्रकार की स्थापनाओं को रोकने के.लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) पीलीभीत में एक लौहार के घर से पिस्तौल बनाने के कुछ भाग प्राप्त किये गये। यह एक सूक्ष्म शस्त्र कारखाना नहीं था।

(ख) भारतीय सशस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत लोहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार के मामलों के बारे में स्थानीय पुलिस सर्तक है।

गैर सरकारी सार्थों में सरकारी कर्मचारियों का नियोजन

†५०१. **श्री वाजपेयी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें वर्ग १ के पदाधिकारियों ने १९५७ और १९५८ में सरकार की पूर्व अनुमति से, अपने लड़के, लड़कियों अथवा आश्रितों को सरकार के साथ व्यवहार करने वाले गैर-सरकारी सार्थों में रोजगार स्वीकार करने की आज्ञा दी है ; और

(ख) उस ही कालावधि में कितने मामलों में स्वीकृति नहीं दी गयी ?

---

†मूल अग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जावेगी।

फोर्ड प्रतिष्ठान प्रशिक्षण केन्द्र

†५०२. **श्री घोषाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने फ़ोर्ड प्रतिष्ठान प्रशिक्षण केन्द्र हैं ;

(ख) वे किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ग) इस समय कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जावेगी।

अन्धे व्यक्ति

†५०३. **डा० सुशीला नायर :**
श्री रघुनाथ सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारत में अंधे व्यक्तियों की कुल संक्या के आंकड़े हैं ;

(ख) उनमें से कितनों ने स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया और क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की कोई सहायता की गई है; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों की अवधि में ऐसी सुविधाओं में कहां तक वृद्धि की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत में अंधे व्यक्तियों की कुछ संख्या के लगभग २० लाख लेने का अनुमान है।

(ख) स्वतन्त्रता से पूर्व और स्वतन्त्रता के पश्चात देश में शिक्षा और प्रशिक्षण पाने वाले अंधे व्यक्तियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है। अंधों के लिये बहुत से स्कूल अपने पूर्व-शिष्यों से सम्पर्क स्थापित करते हैं और रोज़गार प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं। मद्रास का प्रौढ अन्धे व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र का काम दिलाऊ दफ्तर और अन्धों के लिये राष्ट्रीय संस्था की रोजगार दिलाने वाली समिति, बम्बई सामान्य औद्योगिक स्थापनाओं में उचित कार्य प्राप्त करने के लिये अन्धे व्यक्तियों की नियमित रूप से सहायता करते हैं।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव लोक-सभा पटल पर रख दी जावेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तस्कर व्यापारियों के साथ पुलिस की मुठभेड़

†५०४. **श्री बाजपेयी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग २२ जून, १९५८ को इसके आस पास गादर रोड के निकट राजस्थान सशस्त्र आरिक्ष-बल की पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों से मुठभेड़ हो गयी जिसमें उनमें से एक मारा गया ;

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उनसे कुल कितना सोना बरामद किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां। २२ जून, १९५८ को राजस्थान सशस्त्र आरिक्ष-बल की गादर रोड के समीप पाकिस्तानी तस्कर व्यापारियों से मुठभेड़ हो गयी जिसके परिणामस्वरूप एक पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी की टांग जख्मी हो गयी परन्तु वह मारा नहीं गया ?

(ख) उस दिन प्रातः ४ बजे पाकिस्तान से चार व्यक्ति ऊंटों पर चढ़े चले जा रहे थे। राजस्थान सशत्र आरिक्ष-बल के ४ हवलदार और १२ सिपाहियों का एक दल जिनको इस बारे में सूचना प्राप्त हो गयी थी कि कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से चोरी से सोना लायेंगे, गादर रोड के निकट रक्षा कर रहे थे। चुनौती दिये जाने पर ठहरने के बजाये चारों व्यक्तियों ने राजस्थान सशस्त्र आरिक्ष-बल के व्यक्तियों पर गोली चलाई। और सैनिकों को भी आत्म-रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी। छः गोलियां चलाई गयीं। तस्कर व्यापारियों में से एक के पांव में चोट लग गई और वह गिर पड़ा। जिस ऊंट पर वह चढ़ा हुआ था, वह भी गिर पड़ा। दो चमड़े के थैले, जिनमें सोना था बरामद किये गये। अन्य व्यक्ति वापस पाकिस्तान भाग गये।

(ग) इन थैलों में से ८७४ तोला सोना बरामद किया गया।

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा

†५०५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा में प्रगति करने के लिये पिछले तीन वर्षों में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा पटल पर रख दी जावेगी।

गाज़ा में भारतीय सैनिक

†५०६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने भारतीय पदाधिकारियों और सिपाहियों को, जो इस समय संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल के एक भाग के रूप में गाज़ा भेजे गये हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपाधि दी गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जो सैनिक संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल में कम से कम ९० दिन तक काम करते हैं वे संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल मेडल के पात्र हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र

†मूल अंग्रेज़ी में

आपात कालीन बल के एक भाग के रूप में गाज़ा क्षेत्र में भेजे गये भारतीय व्यक्तियों में से ३६ पदाधिकारी, २७ कनिष्ट कमीशन प्राप्त पदाधिकारी और १०७६ अन्य रेंक वाले व्यक्ति यह मेडल प्राप्त कर चुके हैं।

तस्कर व्यापार

†५०७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब में महावा गांव के घरिंडा सीमा क्षेत्र में ६ जुलाई, १९५८ को गोली चलाने के बाद एक पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी मारा गया और दो भाग गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जी हां। यह सच है कि महावा गांव में, जो कि पुलिस स्टेशन घरिंडा (अमृतसर) के दक्षिण में लगभग ५ मील हे, ५/६ जुलाई, १९५८ की रात को गोली चलाने के बाद एक पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी मारा गया और एक (दो नहीं) भाग गया।

सोने का तस्कर व्यापार

†५०८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान सशस्त्र आरिक्ष-बल के सैनिकों ने शनिवार, ५ जुलाई, १९५८ को रायसिंह नगर के समीप खटान स्थान में ४०० तोले सोने के साथ पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया और गंगानगर के समीप दो अन्य पाकिस्तानीं तस्कर व्यापारी भी गिरफ्तार किये गये जिनके पास भारतीय मुद्रा में ४०,००० रुपया था।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** जी नहीं। राजस्थान सशस्त्र आरिक्ष-बल के सैनिकों ने ५ जुलाई, १९५८ को रायसिंह नगर के समीप खटान में सोने के चोरी छिपे लाने ले जाने और गंगानगर के समीप भारतीय मुद्रा के चोरी छिपे लाने ले जाने के लिये किसी भी पाकिस्तानी को गिरफ्तार नहीं किया। तथापि एक राजस्थान सशस्त्र आरिक्ष-बल के एक दल ने खटान में ४/५ जुलाई, १९५८ की रात्रि को तीन भारतीय राष्ट्रजनों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ३०० तोला सोना, ८ इयर-रिंग्स और पाकिस्तानी मुद्रा के ६ रुपये बरामद किये।

सार्वजनिक उपक्रम

†५०९. **श्री वासुदेवन् नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सचिव अपदेन सभापति है ; और

(ख) उन सार्वजनिक उपक्रमों के क्या नाम हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :** (क) १८ (७ सचिव ; १ विशेष सचिव और १० संयुक्त सचिव)।

(ख) (१) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड।

२. उड़ीसा खनन निगम।

३. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (प्रोइवेट) लिमिटेड।

४. राष्ट्रीय औज़ार (प्राइवेट) लिमिटेड।

---

†मूल अग्रेज़ी में ।

५. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

६. हिन्दुस्तान केबल्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

७. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

८. भारी बिजली का सामान (प्राइवेट) लिमिटेड।

९. नाहन फ़ाउन्ड्री (प्राइवेट) लिमिटेड।

१०. भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड।

११. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (प्राइवेट) लिमिटेड?

१२. हिन्दुस्तान विमान (प्राइवेट) लिमिटेड।

१३. भारत इलैक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

१४. भारतीय टेलीफोन उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड।

१५. केन्द्रीय भाण्डागार निगम।

१६. अशोक होटल लिमिटेड।

१७. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड।

१८. पूर्वी नौवहन निगम (प्राइवेट) लिमिटेड।

दिल्ली में झौंपड़ियों का गिराया जाना

†५१०. **श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलित वर्ग स्टाल होल्डर्स वैल्फेयर एसोसियेशन दिल्ली द्वारा लकड़ी के स्टाल और झौंपड़ियों को गिराने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में नयी प्रौद्योगिकी संस्थायें

†५११. **श्री राम गरीब :** क्या **वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सामने उत्तर प्रदेश में नयी औद्योगिक संस्थायें (विशेष रूप से ओवरसियर और ड्राफ्ट्समैन पाठ्यक्रमों के लिये) खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

†**वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) :** (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

खेल कूद

†५१२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी ३ वर्षों के लिये आवर्तक और अनावर्तक दोनों प्रकार के खर्चे के लिये खेल कूद में विकास के लिये कितना धन अलग रखा गया है और कितना धन खेल कूद फ़ेडरेशन व्यय करेगी ; और

(ख) गांवों और ग्राम्य क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) योजना उपबन्ध में से लगभग १ करोड़ रुपया उपलब्ध होगा। आगे यह भी पूर्व अनुमान लगाया जाता है कि इस कार्य के लिये १९५८–५९ से १९६०–६१ नियमित (गैर-आयोजित) आयव्ययक में से लगभग १५ से २० लाख रुपये उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय खेल कूद फ़ेडरेशन/एसोसियेशन खेल कूद में विकास के लिये जो धन देगी उसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) औलम्पिक और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा निम्न स्तर का प्रदर्शन किये जाने के कारणों की जांच करने के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की गयी है। अन्य बातों के साथ साथ यह समिति गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की सिफारिश करेगी। समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर और इसकी सिफारिशों का परीक्षण हो जाने के बाद इस विषय में कार्यवाही की जायेगी।

त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामले

†५१३. **श्री दशरथ देब :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में त्रिपुरा प्रशासन के अधीन सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने मामले दर्ज किये गये :

(ख) क्या उनकी संख्या १९५६ की संख्या से अधिक है ; और

(ग) ऐसे मामलों से व्यवहार करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ६५।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्बन्धित विभाग मामलों की छानबीन करते हैं। प्रत्येक मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा दंड दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, चन्दौसी

†५१४. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री वारियर :
श्री शि० ला० सक्सेना :

क्या **वित्त** मंत्री ६ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाहर्ता और परीक्षण, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली की सतर्क शाखा ने चन्दौसी, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कार्य के बारे में जांच पड़ताल पूरी करली है ;

(ख) यदि हां, तो जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप यदि कोई कार्यवाही की गयी है तो वह क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यलय, चन्दौसी के इन्सपेक्टर-इन-चार्ज के विरुद्ध सब आरोप मिथ्या और निराधार पाये गये ।

(ग) जांच की उपपत्तियों को ध्यान में रखते हुये इन्सपेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक न था । तथापि, उसको जांच के पूरा हो जाने से पहले चन्दौसी से स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

तस्कर व्यापार

५१५. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, १९५८ तक की अवधि में राजस्थान में चोरी से लाया हुआ कितना सोना पकड़ा गया ;

(ख) किस जिले में सब से अधिक मात्रा में ऐसा सोना पकड़ा गया; और

(ग) अभी तक कितने तस्कर व्यापारियों को दण्ड दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जनवरी से जुलाई १९५८ तक की अवधि में राजस्थान में चोरी छिपे लाया गया १५,९९८ तोला सोना पकड़ा गया ।

(ख) जैसलमेर जिले में सब से अधिक सोना पकड़ा गया जो ४,०६८ तोला था ।

(ग) इस अवधि में चोरी-छिपे माल लाने वाले दस आदमियों को दण्ड दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेष पुनर्विलोकन बोर्ड[1]

†५१६. { सरदार इक़बाल सिंह :
श्री भक्त दर्शन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४३ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है ;

(ख) इस बोर्ड की सिफारिश पर कितने पदाधिकारियों को सेना में स्थाई नियमित कमीशन दिया गया; और

(ग) कितने पदाधिकारियों के मामले अभी पुनर्विलोकन के लिये लम्बित पड़े हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) विशेष पुनर्विलोकन बोर्ड ने २६ अक्तूबर, १९५७ को अपना कार्य समाप्त किया। जिनके मामले बोर्ड को भेजे गये थे, बोर्ड ने उन में से लगभग ९४ प्रतिशत को स्थायी नियमित कमीशन देने की सिफारिश की ।

(ख) अब तक सिफारिश किये गये मामलों में से ६३ प्रतिशत को स्थायी नियमित कमीशन दिया जा चुका है। सिफारिश किये गये मामलों में से लगभग १० प्रतिशत मामलों में स्थायी नियत कमीशन दिये जाने के पूर्व आवश्यक कार्यवाही के पूरा होने की प्रतिक्षा ह। बाकी पदाधिकारी जो सिफारिश किये गयों के लगभग २७ प्रतिशत हैं, वर्तमान नियमों के अधीन स्थायी नियमित कमीशन दिये जाने के पात्र नहीं हैं क्योंकि वे सब अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं करते। सरकार अब यह देखने के लिये नियमों का पुनर्विलोकन कर रही है कि उनमें कुछ छूट दी जा सकती है या नहीं जिससे विशेष पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये बाकी बचे पदाधिकारियों को भी कमीशन दिया जा सके ।

(ग) विशेष पुनर्विलोकन बोर्ड के पास कोई मामला लम्बित नहीं पड़ा है।

आय-कर

†५१७. { सरदार इक़बाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १९५३-५४ से १९५७-५८ तक के वर्षों में (जिले-वार) आय-कर की कितनी राशि वसूल की गयी; और

(ख) उसी कालावधि में विभिन्न आय वाले वर्गों में आने वाले व्यक्तियों से कितनी राशि वसूल की गयी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता ह जिसमें पंजाब राज्य में १९५३-५४ से १९५७-५८ तक के वर्षों में (जिले-वार) वसूल किये गये आय-कर की राशि दी गई है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उस ही कालावधि में विभिन्न आय वर्गों के अतर्गत आने वाले व्यक्तियों से वसूल की गयी राशि दी गयी है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]

---

†मूल अंग्रेजी में ।
[1]Special Review Court.

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†५१८. सरदार इक़बाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में राज्य-वार कितना राजस्व तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क के रूप में वसूल किया गया ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गयी है :—

क्रम संख्या	राज्य अथवा संघीय क्षेत्र का नाम	वसूल किया गया राजस्व (हजार रुपयों में)
१	आंध्र	४,५२,८४
२	आसाम	८,८५
३	बिहार	३,१४,३७
४	बम्बई	९,५४,८२
५	केरल	१,४२,८७
६	जम्मू तथा काश्मीर	५,७८
७	मद्रास	३,७२,४३
८	मध्य प्रदेश	२,६६,४५
९	मैसूर	४,६९,९०
१०	उड़ीसा	३७,५२
११	पंजाब	५५,२५
१२	राजस्थान	५२,८५
१३	उत्तर प्रदेश	६,०९,१२
१४	पश्चिमी बंगाल	७,५५,०४
१५	दिल्ली	७,१४
१६	हिमाचल प्रदेश	—
१७	मनीपुर	—
१८	त्रिपुरा	१,४८
	कुल	४५,०६,७१

स्थगन प्रस्ताव

स्वतन्त्रता दिवस पर जयपुर में घटनायें

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना आप ने नामंजूर कर दी है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर जयपुर सरकार ने इस पवित्र दिवस का अनादर किया है। वहां पर बच्चों और

†मूल अंग्रेजी में

महिलाओं पर लाठी चलाई गई । उस पर विचार करने के लिये स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानते हैं कि शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । राज्यों में अपने विधान मंडल हैं, जहां पर इन प्रश्नों को उठाया जा सकता है । यह सदन इस मामले पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है । मुझे खेद है कि मैं इस की अनुमति नहीं दे सकता ।

दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : दिल्ली में पानी के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की तथा एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना मिली है । स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गोरे, श्री नाथपाई और श्री जाधव से मिली है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न से सभी दलों का समान सम्बन्ध है ।

†**श्री गोरे** (पूना) : इसलिये आप इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मैं माननीय मंत्री की बात सुनना चाहता हूं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मंत्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं और वह यह है कि दो वर्ष पूर्व पीलिया रोग फैलने के समय एक समिति बनाई गई थी जिस के निर्देश पदों तथा समिति के सुझावों के कुछ उद्धरण मैं प्रस्तुत करता हूं । निर्देश पद यह थे कि (१) दिल्ली संयुक्त जल मल बोर्ड के प्रबन्ध तथा संगठन में तथा दिल्ली के नागरिकों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था में कमियों का पता लगाना और (२) लोगों को पानी देने तथा नालियों की व्यवस्था में वर्तमान खराबियां तथा उन को दूर करने के उपाय बताना ।

तीन साल हुए समिति ने प्रतिवेदन दिया था जिस में जल संभरण व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिये सुझाव दिये गये थे । यह सुझाव दिया गया था कि नदी के बहाव को अपनी आवश्यकता के अनुकूल बनाया जाना चाहिये और जल संभरण का कोई दूसरा साधन भी होना चाहिये क्योंकि हर साल बाढ़ आयेगी और पानी दूर हटेगा और फिर गड़बड़ी होगी । जो कुछ आज हुआ वह अचानक ही नहीं हो गया और इसीलिये हमें पता लगाना चाहिये कि इस के लिये जिम्मेदारी किस पर है । समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ? हर साल यही कठिनाई सामने आती है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जनता को चेतावनी क्यों नहीं दे दी थी । हमें इन बातों का उत्तर मिलना चाहिये ।

†**श्री गोरे** : यदि किसी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी जा सकती है तो वह स्थगन प्रस्ताव यही हो सकता है । आज किसी को पानी नहीं मिला है । इसलिये हम सब यही जानना चाहते हैं कि इस के लिये कौन जिम्मेदार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राधा रमण ने अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की सूचना दी है । मुझे यह देखना होगा कि यह प्रश्न वास्तव में स्थगन प्रस्ताव के लिये आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करता है या नहीं । मैं श्री राधा रमण के विचार सुनने के बाद मंत्री महोदय को बुलाऊंगा । तब ही मैं फैसला कर सकूंगा कि स्थगन प्रस्ताव मंजूर करूं या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : प्रश्न यह है कि अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के प्रस्ताव पर चर्चा के पूर्व स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय हो जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं परन्तु सब को सुन लेने के पश्चात् ही तो पता लगेगा कि दोनों प्रस्तावों में से किस के अन्तर्गत इस विषय पर विचार करना ठीक होगा ।

†**श्री गोरे** : मेरा औचित्य प्रश्न है कि यदि स्थगन प्रस्ताव आप के समक्ष हो तो क्या उस को अलग हटा कर दूसरा प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर हम यह मान लें कि ध्यान दिलाने का प्रस्ताव हमारे समक्ष नहीं है तो फिर ठीक होगा ।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : इस में किसी को भी सन्देह नहीं है कि यह मामला बड़ा गंभीर है और मेरे विचार से इस पर पूरी तरह चर्चा की जानी चाहिये । परन्तु फिर भी यह अच्छा होगा कि सम्बन्धित मंत्री इस घटना पर प्रकाश डाल दें ।

†**श्री नाथ पाई**: मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि पानी नहीं मिला तो इस सभा का काम कैसे चलेगा। इसलिये कृपा कर के हमारे लिये आप पानी की कुछ व्यवस्था करा दें ताकि हम यहां अपना कार्य कर सकें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिये । इस से केवल हम ही लोगों पर असर नहीं पड़ा है नगर में बहुत से घरों में आज खाना भी नहीं पकाया गया है । स्कूल, अस्पताल, सभी बन्द पड़े हैं । बड़ी गंभीर समस्या इस समय हमारे सामने है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करना विरोधी पक्ष का एक विशषाधिकार है जिस के द्वारा वह सरकार के कारनामों की आलोचना कर सकता है । हमें उसका यह विशेषाधिकार नहीं छीनना चाहिये ।

इस अवसर पर आप को यह देखना है, जैसा आप बता चुके हैं कि यह प्रश्न वास्तव में अविलम्बनीय लोक महत्त्व का है या नहीं । इस के लिये आप विरोधी दल से अपने तर्क प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और सरकार से उन का जवाब देने को कह सकते हैं । इस के बाद यदि आप प्रश्न के महत्त्व से संतुष्ट हो जाते हैं तो आप विरोधी पक्ष से पूछ सकते हैं कि उन का समर्थन करने के लिये ५० सदस्य तैयार हैं या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में दिया हुआ है ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : मैं समझता हूं कि यदि नियमों में कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ नहीं होता तो इस स्थगन प्रस्ताव पर बहुत से मंत्रियों ने भी हस्ताक्षर किये होते । मैं इस बात को मजाक में नहीं कह रहा ; यह एक बड़ा गंभीर मामला है । कल से पानी बन्द है कहीं सुबह से, कहीं दोपहर से और कहीं कहीं शाम से । हम ने स्थिति की जानकारी के लिये तुरन्त कदम उठाये और सवेरे ही पूरी जानकारी हासिल करने के लिये, मैंने अपने उप-सचिव को सही स्थिति जानने के लिये भेजा । इस के अतिरिक्त कि हम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । दिल्ली जैसे नगर में और हर जगह पानी की सब से बड़ी आवश्यकता है और इस समस्या की हम उपेक्षा नहीं कर सकते । वर्तमान स्थिति कुछ अचानक ही पैदा हो गई ।

१५ अगस्त को सबसे पहले हमारे इंजीनियरों को यह पता लगा कि पानी कम हो रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि पानी बोर्ड के सामने समस्या पानी को देने की ही नहीं है अपितु उन नालों

†मूल अंग्रेज़ी में

की भी है जिन का पानी बहुत सी गन्दगी ले कर उस स्थान पर गिरता है ।माननीय सदस्यों को पता ही है कि तीन साल पहले नजफगढ़ नाले के कारण यहां क्या मुसीबत आई थी । तो हमारे सामने समस्या केवल पानी देने की नहीं बल्कि बिल्कुल साफ पानी देने की है । तो १५ तारीख की शाम को यह दो समस्यायें हमारे सामने थीं ।

जैसा माननीय सदस्य जानते हैं कल पानी कहीं सवेरे तक, कहीं दोपहर तक तथा कहीं शाम तक आता रहा है । तो १५ अगस्त से प्रत्येक घंटे इस की जांच की जा रही है क्योंकि कम पानी मिलना इस की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा है कि गन्दा पानी दे कर जनता को रोगी बनायें । जमुना का पानी हमेशा कम होता रहा है । तीन साल पहले यह चीज शुरू हुई थी । इस वर्ष पानी बड़ी शीघ्रता से हटा है । १५ तारीख से ही निगम तथा पानी बोर्ड इस विषय पर ध्यान दे रहा है । कल तक पम्प से पानी खींचा जा रहा था । परन्तु इस में गन्दा पानी आने का खतरा था । सब से पहले हमें नजफगढ़ नाले को रोकना था जिस से पानी साफ रहे । पानी को नजफगढ़ नाले से बचाने के लिये बांध बनाये जा रहे हैं जो आशा है कि आज दोपहर बाद तक बन जायेंगे ।

पानी की कमी होने पर हम पम्प के द्वारा जो कुछ पानी मिल सके उसे नगर में पहुंचा तो सकते हैं परन्तु हमें इस की सावधानी बरतनी पड़ती है कि साफ पानी का संभरण ही किया जाय । अब तक हम ने साफ पानी ही जनता को पिलाया है ।

जैसा कि मैंने बताया इस वर्ष जमुना में पानी बहुत शीघ्रता से घट गया । मेरे मित्र श्री गोपालन ने समिति के प्रतिवेदन के बारे में ठीक ही बताया है । मेरा विचार उस प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रख देने का है जिस से इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सभा भी हमारा कुछ मार्ग दर्शन कर सके । कुछ कार्यवाही की गई है तथा पानी पम्प करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । संभवतया सदस्यों को याद होगा कि पिछले अथवा उस से पिछले वर्ष इस समस्या पर पूना में सी० डब्ल्यू० आई० एन० सी० संगठन ने विचार किया था और उन्होंने हमें स्थायी कार्यवाही के बारे में परामर्श दिया है । उनकी एक सिफारिश यह थी कि दायें किनारे पर पत्थर की एक दीवार बनाली जाय जो बना ली गई है । पानी को रोकने के लिये नदी के आर पार एक स्थायी बांध बनाना है । इस बांध को बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।हमारे रास्ते में बाढ़ आ गई और इसीलिये अपना काम और आगे हम नहीं बढ़ा पाये ।

पानी की इस कमी को दूर करने में हमारी मुख्य कठिनाई नहर को खोदा जाना था क्योंकि पानी हमारे पानी भरने के कुओं वाले किनारे से दूसरे किनारे पर चला गया था ।

पानी भरने के आपतकालीन कुएं बनाना संभव नहीं है । हमें तो बायें किनारे से पानी दाहने किनारे पर लाना ही है । गत ४८ घंटों से ३००० मजदूर काम पर लगे हुए हैं और छोटी सी नहर खोदी जा चुकी है । हमें प्रति दिन ६०० लाख गैलन पानी पम्प करना पड़ता है जब कि इस समय हम १०० लाख गैलन पानी पम्प कर रहे हैं ।

ड्रेजर के सम्बन्ध में यह कठिनाई है कि कीचड़ में वह काम नहीं कर सकते हैं । अब इन ड्रेजरों ने काम प्रारम्भ कर दिया है और हमारी आशा के अनुसार दोपहर के दो बजे अथवा शाम को ५ तक बड़ी नहर तैयार हो जायेगी ।

मेरे उप-सचिव ने, जो आज प्रातः वहां गये थे, मुझे बताया कि सेना का एक बुलडोजर फंस गया है । यदि स्थिति ठीक रही और हमारे दो बुलडोजरों तथा सेना के उपलब्ध बुलडोजरों ने ठीक काम किया तो हमें आशा है कि आज लगभग ४ अथवा ५ बजे तक नहर खोदी जा सकेगी ।

साथ ही साथ यदि क्लोराइड पानी में कम रहेगा तो भी पानी का संभरण किया जा सकेगा। नदी में पानी इतनी शीघ्रता से कम हो रहा है कि स्थिति खराब ही होती जा रही है। पानी के तालाब खाली होने के कारण नियंत्रित जल संभरण भी नहीं जा किया सका है।

दिल्ली के अस्पतालों में लारियों के द्वारा कालकाजी से पानी भेजा गया है। कालकाजी में पानी की कोई कमी नहीं हुई है और जनता को वहां से पानी दिया जा रहा है। मैं ने कोई भी बात सभा से नहीं छुपाई है। माननीय सदस्यों के सुझावों का मैं स्वागत करूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देता हूं। कुछ समय पूर्व गन्दा पानी जनता को दिये जाने वाले पानी में मिल गया था और २½ वर्ष के बाद उस नाले को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। यह एक गंभीर विष है।

उप-सचिव के सूचनानुसार पानी आज शाम ५ बजे तक आयेगा लेकिन तबतक के लिये क्या किया जाये। इसलिये इस पर पूरी चर्चा होगी। ५० माननीय सदस्य इस के समर्थन में खड़े हो गये हैं अतः इस पर ४ बजे चर्चा होगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखे, रेलवे

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अंतर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५८।

(दो) १९५६-५७ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १—संशोधित।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—८०१/५८]

(तीन) १९५६-५७ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग २—ब्यौरेवार विनियोग लेखा।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—८०२/५८]

(चार) ब्लाक लेखे (ऋण के लेखे के पूंजीगत विवरण सहित) संतुलन-पत्र और लाभ तथा हानि का लेखा, रेलवे १९५६-५७।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-८००/५८]

कपड़ा जांच समिति का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: मैं कपड़ा जांच समिति, १९५८ के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—८०३/५८]

दिल्ली में बाढ़ के विरुद्ध उपाय ढूंढने वाली समिति का पहला प्रतिवेदन

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं दिल्ली में बाढ़ और इसी

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार की विपत्तियों के विरुद्ध उपाय ढूंढ़ने वाली समिति का पहले प्रतिवेदन की प्रति एक सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–८०४ ५८]

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: श्री के० दे० मालवीय की ओर से मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक २ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४३२ ।

(दो) दिनांक १ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४३६ ।

(तीन) दिनांक १ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४४१ जिस में खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ दिये गये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–८०५/५८]

दिल्ली निर्वाचक-गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अंतर्गत दिनांक ११ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०३ में प्रकाशित दिल्ली निर्वाचक-गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–८०६/५८]

†**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, देहली इलैक्टोरल कालिज, इलैक्शन आव मैम्बर्स, रूल्स : १९५८, के अन्तर्गत चुनाव तो कल ही हो चुके हैं जब कि ये रूल आज सदन के सम्मुख पेश किये जा रहे हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब सदन की बैठकें इस से पहले से हो रहीं थीं तो ये रूल चुनाव होने से पहले क्यों नहीं यहां पेश किये जा सके ।

†**श्री हजारनवीस** : मैं इस के बारे में जानकारी सभा के समक्ष रख दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर एक अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**श्री हजारनवीस** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचकों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकायों का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) दिनांक २९ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४३३ ।

(दो) दिनांक २६ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५२७ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०–८०७/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा) की शर्तें नियम

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): डा० का० ला० श्रीमाली की ओर से मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९३ की एक प्रति जिस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कमचारियों की सेवा की शर्तें) नियम, १९५८ दिये हुए हैं। सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–८०८/५८]

जीवन बीमा निगम नियमों में संशोधन

†श्री ब० रा० भगत: मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जून, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९० द्वारा शुद्ध किये गये जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३१७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–८०९/५८]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†श्री ब० रा० भगत: मैं समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९३ की एक प्रति जिस में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उपादन शुल्क प्रत्याहृत (बाइसिकल) नियम, १९५८ दिये हुए हैं सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–८१०/५८]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†श्री ब० रा० भगत: मैं केन्द्रीय उपादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक २ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६४७।

(दो) दिनांक ९ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६७९

(तीन) दिनांक ९ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६८०।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–८११/५८]

सम्पदा-शुल्क (वितरण) नियम

†श्री ब० रा० भगत: मैं सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अंतर्गत दिनांक २९ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३२७ में प्रकाशित सम्पदा-शुल्क (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०––८१२ ५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दो सदस्यों की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अहमदाबाद नगर के सुपरिटेंडेंट पुलिस से १७ अगस्त, १९५८ का यह तार प्राप्त हुआ है :–

"सर्वश्री इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक और करसन दास परमार सदस्य, लोक-सभा को, आज ८–१५ बजे अहमदाबाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत अहमदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अधिसूचना को भंग करने के लिये गिरफ्तार कर लिया गया है ।"

सदस्य की नज़रबन्दी तथा रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे कालोल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस से १७ अगस्त, १९५८ का यह तार प्राप्त हुआ है :—

"श्री पुरुषोत्तम दास र० पटेल, सदस्य, लोक-सभा, जिन्हें आज १६–४५ बजे बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा ६९ के अन्तर्गत कालोल के धर्मशाला टावर चौक के निकट रोक लिया गया था, उसी धारा के अन्तर्गत आज १७ अगस्त, १९५८ को १८–३० बजे जाने दिया गया ।"

मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह-कार्य मंत्री संबंधित अधिकारियों को यह हिदायत दे देंगे कि आयन्दा से वे ऐसे मामलों में पूरी और साफ साफ सूचना दिया करें ।

सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुंबकोणम्) : मैं सम्पदा-शुल्क (संशोधन) विधेयक संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

नई रेलवे भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: श्रीमान् सभा को याद होगा कि इस वर्ष फरवरी में आय-व्ययक पर चर्चा के समय मैंने, रेलवे भाड़ा दर जांच-समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात् वक्तव्य देने का वायदा किया था ।

बाटों की जांच समाप्त हो चुकी है और विचार के पश्चात् सरकार ने निर्णय कर लिया है ।

मैं इस समय प्रचलित भाड़ा दरों को बताने वाला तथा भाड़ा दरों के सम्बन्ध में भाड़ा दर जांच समिति की मुख्य सिफारिशों का और समिति की सिफारिशों पर सरकार ने जो रूपभेद आवश्यक समझा उन का एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण में स्पष्टतः दिया है कि नई दरें १ अक्तूबर, १९५८ से लागू होंगी। पार्सल के लिये उसी दिन से बाट भी बदल जायेंगे तथा माल भाड़े की दरें तथा पार्सल की दरें दशमलव प्रणाली में बदल दी जायेंगी।

विवरण की कण्डिका १७ में नयी भाड़ा दरों से माल यातायात से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का प्राक्कलन दिया गया है। इस समय यह प्रति वर्ष ९.६ करोड़ रुपये है। पार्सल कोपुनरीक्षित दरों से लगभग प्रतिवर्ष २ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो यह अतिरिक्त राजस्व मिलेगा वह नष्ट हुए माल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिये नहीं होगा जैसा कि समिति ने सिफारिश की है। समिति ने यह सिफारिश की है कि पुनरीक्षित दरों को लागू करने के एक वर्ष के अन्दर यह परिवर्तन हो जाना चाहिये।

मामले पर विचार किया जा रहा है और यदि सिफारिशों के अनुसार रेलवे की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई तो प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि के कारण रेलवे का व्यय बढ़ जायेगा। सही आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इन अतिरिक्त भुगतानों की राशि निर्धारित करना संभव नहीं है परन्तु जिन रेलवे पदाधिकारियों को प्रतिकर के दावों का अनुभव है उन का अनुमान है कि यह राशि २ से ३ करोड़ रुपये तक होगी। इस मामले की जांच के पश्चात् सिफारिशों को लागू करने के लिये आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्त में मैं, इस समिति की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है।

रेलवे बोर्ड में परिवर्त्तनों संबंधी वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मुझे एक दूसरे निर्णय की भी घोषणा करनी है।

सभा को मालूम ही है कि आजकल रेलवे बोर्ड में सभापति, वित्तीय आयुक्त और अन्य तीन सदस्य हैं। सभापति सहित प्रत्येक सदस्य को विशेष रूप से कुछ कर्तव्य दिय गये हैं। सभापति रेलवे मंत्रालय के पदेन सचिव हैं और वित्तीय आयुक्त, सन् १९५१–५२ में स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आयंगर के आयव्ययक भाषण में की गई घोषणा के बाद से, मंत्रालय के वित्तीय मामलों के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं मंत्रालय में काफी काम बढ़ जाने और प्रविधिक क्षेत्र में विशेषीकरण हो जाने के कारण, एक आदमी के लिये यह संभव नहीं है कि वह सारे मामलों का निर्णय कर सके। अतएव अन्य सदस्य ऐसे मामलों को निपटाते हैं जो उन के क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।

अतएव मैंने इस स्थिति को नियमित तथा स्पष्ट करने का निश्चय कर लिया है जिससे अन्य मंत्रालयों, संसदीय समितियों, सभी सरकारों तथा अन्य बाहरी संगठनों से व्यवहार में कोई गड़बड़ी न हो। अब से रेलवे बोर्ड का प्रत्येक सदस्य उन मामलों के संबंध में जो उसके प्रभार में है, रेलवे मंत्रालय का पदेन सचिव होगा। सभापति मंत्रालय के प्रधान सचिव होंगे और उचित समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए उनका रेलवे बोर्ड में वर्तमान पद बना रहेगा जिससे कि बोर्ड का एक निगमित निकाय के रूप में कार्य संचालित हो सके और वह एक दल के रूप में कार्य कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

इस परिवर्त्तन में किसी प्रकार की वित्तीय उलझनें नहीं हैं क्योंकि सभी सदस्य उतना ही वेतन भत्ता आदि पा रहे हैं जितना मंत्रालयों के सचिवों को मिलता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : क्या नयी भाड़ा प्रणाली के लागू होने के पूर्व इस पर सभा को चर्चा करने का मौका दिया जाएगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं केवल सभा को सूचित करके सरकार का निर्णय सभा पटल पर रख रहा हूं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इसके दो तरीके हैं; एक तो यह कि इन सिफारिशों को १ अक्टूबर से प्रभावी बनाने के लिए मंत्री महोदय स्वयं एक विधेयक पेश करें और दूसरा यह कि सदस्य इस संबंध में एक प्रस्ताव रखें। क्या हम जान सकते हैं कि माननीय मंत्री कौन सा तरीका अपनायेंगे जिससे कि हम उसी के अनुसार अपना कार्य करें।

†**श्री जगजीवन राम** : भाड़े की अथवा पार्सलों की दरों में परिवर्त्तन के लिए कोई विधेयक या अधिनियम आवश्यक नहीं है अतएव सभा में विधेयक पेश करने का प्रश्न असंगत है। हमारा यह विचार भी नहीं है कि उस विषय में सभा में चर्चा हो क्योंकि उस सभा द्वारा सदस्यों की एक समिति के सुझावों पर विचार करके ही सरकार ने उन्हें तय किया है। चूंकि मैंने सभा को वचन दिया था कि उनके लागू किए जाने के पूर्व मैं सभा को सूचित करूँगा, सरकार का निर्णय सदस्यों की जानकारी के लिए पटल पर रखता हूँ।

†**श्री तंगमणि** : (मदूरै) : रिपोर्ट के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि उसकी प्रतियाँ सदस्यों को दी जांए ।

†**श्री जगजीवन राम** : सभा के पुस्तकालय में रिपोर्ट की प्रति मिल सकती है और यदि आप चाहते हैं तो और प्रतियां आप के पास भेज दी जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय**: जो सदस्य चाहें उस की प्रति पुस्तकालय से ले सकते हैं ।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही का सारांश

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : श्रीमान्, मैं प्राक्कलन समिति की वर्ष १९५७–५८ में हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश खंड १, क्रमांक १ से ३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में और अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

यह एक ऐसा मामला है जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य तथा शेष भारत में आह्वान प[1] के दिये जाने एवं अधिपत्रों[2] के कार्यान्वित किये जाने के प्रश्न से संबंधित है। आप को पहिले हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Summons

[2]Warrants

मालूम है कि उस सम्बन्ध में दंड प्रक्रिया संहिता में ९३क धारा है परन्तु वह उन चार बातों में से जिन पर उसे लागू होना चाहिये, केवल दो ही पर लागू होती है। वह केवल अपराधी को आह्वान पत्र दिये जाने या उस की गिरफ्तारी का अधिपत्र उसे दिये जाने से ही संबंधित है। अनवधानता[1] से तलाशी के अधिपत्र तथा वस्तुओं के दस्तावेज पेश करने के आह्वान पत्र छोड़ दिये गये हैं।

आप को यह मालूम ही है कि जहां तक जम्मू और काश्मीर के न्यायालयों का प्रश्न है वे अपनी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्य करते हैं। भारत के केवल उन भागों को छोड़ कर जहां दंड प्रक्रिया संहिता के लागू न होने का उपबन्ध है, वह सारे भारत पर लागू होती है। अतएव एक पारस्परिक उपाय आवश्यक था। धारा ९३ क में इस प्रश्न पर कुछ हद तक विचार किया गया है। चूंकि केवल दो महत्वपूर्ण बातों नामतः तलालशी के अधिपत्रों एवं दस्तावेजों को पेश करने के आह्वानपत्रों के सम्बन्ध में हुई है। उस के कारण भारत तथा जम्मू और काश्मीर में इतनी कठिनाई महसूस हुई कि उस को तुरन्त ही सुलझाना पड़ा। अतएव यहां तथा जम्मू और काश्मीर में इस वर्ष जून में ऐसे अध्यादेश जारी किये गये जो संबंधित न्यायालयों को इन चारों मामलों, जिन में से केवल दो ही के बारे में पहले से उपबन्ध था, के उचित रूप से कार्यान्वित किये जाने तथा उन के दिये जाने को संभव बना सकें। अब इस स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिये विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

आप को मालूम ही होगा कि कुछ दिन पूर्व जम्मू और काश्मीर की धारा सभा को भी ऐसे ही विधेयक का सहारा लेना पड़ा था। और यदि मैं गलती नहीं कर रहा तो वह पारित भी हो चुका है। वर्तमान विधेयक में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ९३ (क) का लोप कर दिया गया है और नया अध्याय सात क जोड़ दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में धारा १०५ क को महत्व दे दिया गया है।

अब चारों मामले, अर्थात् अपराधी व्यक्ति को आह्वानपत्र का दिया जाना या उसकी कार्यान्विति अपराधी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिये अधिपत्र, किसी व्यक्ति को हाजिर हो कर किसी दस्तावेज या कोई चीज को पेश करने का आह्वानपत्र या तलाशी अधिपत्र के दिये जाने और उन की कार्यान्विति निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिये गये हैं। ये चारों ऐसे मामले हैं जिन में पारस्परिक उपबन्ध आवश्यक थे और अब वे शामिल कर लिये गये हैं। अब तो बातें स्पष्ट कर दी गई हैं; पहिली यह कि जब आह्वानपत्र या अधिपत्र आदि जम्मू तथा काश्मीर के न्यायालयों द्वारा जारी किये जायेंगे तो वे किस तरह भेजे जायेंगे। यदि यह सूचना मिल जाये कि वे यथाविधि दे दिये गये हैं या कार्यान्वित हो गये हैं तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ७४ के अनुसार यह कल्पना कर ली जाती है कि वे उचित रूप से कार्यान्वित हो गये हैं। ऐसे मामले में जब कि आह्वान पत्र या अधिपत्र जम्मू या काश्मीर में जारी किए गए हों और भारत में दिये जाने या कार्यान्विति के लिये भेजे गये हों, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि वे उसी प्रकार से दिये जायेंगे या कार्यान्वित होंगे मानों कि वे भारत के किसी दंड न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी किये गये आह्वानपत्र या अधिपत्र हों। ऐसे आह्वानपत्रों या अधिपत्र यदि भारत के न्यायालय द्वारा जारी किये गये हों तो वे भी जम्मू तथा काश्मीर में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे वहीं के न्यायालय द्वारा ही जारी किये गये हों। वास्तव में यह बहुत कुछ प्रक्रिया का ही मामला है और सारी चीज उचित रूप से रख दी गई है। सारी प्रक्रिया इस प्रकार स्पष्ट कर दी गई है कि भारत या जम्मू तथा काश्मीर में आह्वानपत्रों या अधिपत्रों के, जब वे एक जगह जारी हो कर दूसरी जगह लागू होंगे दिये जाने और कार्यान्वित होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सभा से प्रशंसा मिलेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1] Inadvertence

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि अवधानता से दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ बातें छट गई हैं जिन को आकस्मिकता आ जाने के कारण तुरन्त दूर करने के लिये अध्यादेश जारी किया गया था और अब विधेयक लाया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी आकस्मिकता थी जिस के कारण अध्यादेश को तुरन्त ही जारी करना पड़ा । मेरा तो यह ख्याल है कि यह आकस्मिकता केवल कुमारी मृदुला साराभाई के निवास की तलाशी लेने की ही थी क्योंकि उन के घर के सिवाय और अन्य किसी की तलाशी नहीं ली गई । क्या उन के घर में कोई अपराधारोपक[1] चीज मिली है ? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि घर की तलाशी के बाद ही उन्हें हिरासत में कर लिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई व्यक्तिगत मामला ही इस विधेयक का विषय नहीं है ।

†**श्री अशोक मेहता** : चूंकि आकस्मिकता का उल्लेख हुआ है अतएव उसे सिद्ध करना चाहिये । मैं दंड प्रक्रिया संहिता का विद्यार्थी नहीं हूं अतएव उस पर कुछ नहीं कह सकता परन्तु ऐसी क्या आकस्मिकता थी कि सरकार ने इस महिला को हिरासत में ले लिया है । मैं यह नहीं कहता कि उनका ऐसा करना गलत है परन्तु यदि सरकार के पास ऐसे कोई कारण होते जिन से वे किसी को हिरासत में ले सकते तो यह आकस्मिकता न आती । जहां तक जम्मू और काश्मीर सरकार का प्रश्न है, हमें बख्शी गुलाम मुहम्मद के वक्तव्यों से मालूम होता रहा है कि इस महिला की ऐसी गतिविधियां रही हैं जो काश्मीर सरकार के लिये नुकसानदायक थीं । लेकिन तलाशी के बाद उस का एकदम हिरासत में लिया जाना यह साबित करता है कि सरकार को ऐसी कोई चीज अवश्य मिली है जिस के आधार पर उन्होंने उन्हें हिरासत में लिया है, परन्तु क्या सरकार इसके लिये कुछ समय तक और नहीं ठहर सकती थी जब कि संसद् में विधेयक बन जाता । अतएव मंत्री महोदय इस आकस्मिकता का कारण बतायें जिस के फलस्वरूप अध्यादेश जारी किया गया था और अब उसे विधेयक का स्वरूप दिया जा रहा है ।

†**श्री प्र० सि० दौलता** (झज्जर) : मैं इस विरोध के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं कि इसका उद्देश्य और तरीका स्पष्ट नहीं है । जैसा कि उद्देश्य और कारणों के विवरण से स्पष्ट है कि इस में दो अतिरिक्त नियम जोड़ दिये गये हैं ।

सन् १८९८ से सन् १९४१ की लम्बी अवधि में जबकि भारत, अंग्रेजी भारत और देशी रजवाड़ों में बंटा हुआ था तब दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं था जिसके कारण अंग्रेजी भारत में जारीकिया गया कोई आह्वानपत्र या अधिपत्र देशी राज्यों पर भी लागू हो । केवल प्रत्यर्पण कार्यवाही द्वारा ही अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता था । इसमें बड़ा समय लगता था और साक्ष्य प्रायः प्रभावहीन हो जाता था अतएव सन् १९४१ में दण्ड प्रक्रिया संहिता के चौदहवें अधिनियम की धारा २ के अनुसार दो विशेष धाराएं ९३ क और ९३ ग बनाई गईं । ये अधिपत्रों की कार्यान्वित और आह्वानपत्रों को दिए जाने के लिए सन् १९४५ तक प्रचलित रहीं । सन् १९४५ में संशोधन करने वाले अधिनियम का लोप कर दिया गया परन्तु ये दोनों धारायें न्यायालयों के कहने पर बनी रहीं । जब १९५१ में अधिनियम संख्या १ के अनुसार अंग्रेजी भारत का भेद मिट गया तब एक दूसरा संशोधन किया गया जो वर्त्तमान ९३ क धारा है जिसके स्थान पर यह रखा जा रहा है। इस विधेयक की जरूरत पर जोर देना मन्त्री महोदय का कार्य है परन्तु हम आकस्मिकता के कारण जानना चाहते हैं और अध्यादेश को इतनी शीघ्रता से जारी करके उसको विधेयक के रूप में बनाने के कारण भी जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]ncriminating

सन् १९४१ से १९५८ तक के इतिहास का उल्लेख करने का उद्देश्य यह था कि उस समय भी कठिनाइयां थीं परन्तु तब केन्द्रीय सरकार ने उन्हें दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं सन् १९५५ के आल इण्डिया रिपोर्टर, कलकत्ता २७७ के एक मामले का हवाला देता हूं जिसमें श्रीनगर के एक दण्डाधीश ने कलकत्ता के प्रेसीडेंसी दण्डाधीश को कार्यान्विति के लिए एक अधिपत्र भेजा था। इसके अनुसार उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई परन्तु बाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि चूंकि धारा ९३ क प्रेसीडेंसी पर लागू नहीं होती अतएव यह गिरफ्तारी अवैध है। इसी प्रकार की एक कठिनाई मद्रास सरकार के सामने भी आई थी। ये कठिनाइयां आती रही हैं परन्तु पिछले १७ वर्षों में यह परिवर्त्तन नहीं किया। परन्तु अचानक ही अध्यादेश जारी कर दिया गया। इस अध्यादेश को विधेयक बनाने के कारण उद्देश्य और कारणों के विवरण में स्पष्ट नहीं है अतएव हमें समाचार पत्रों पर भरोसा करना पड़ता है।

यह सच है कि काश्मीर में राष्ट्र विरोधी एक तत्व विद्यमान है जो काश्मीर के हित के लिए ठीक नहीं है यह अत्यन्त आपत्तिजनक प्रचार करता है।

मैं इस विरोधी तत्व के व्यक्तियों का समर्थक नहीं हूं। हमारी सरकार उनके प्रचार और भाषणों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकी। अभी जिस महिला का उल्लेख हुआ है वे हमेशा समाचार पत्रों का एक गट्ठा सवेरे की चाय के समय लाती थीं। उनमें ऐसी बातें रहती थीं जिनके खिलाफ भारत सरकार या काश्मीर सरकार ने कोई प्रचार नहीं किया। लगातार दो वर्षों तक ये पत्र आते रहे। अचानक हमें समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ कि इस महिला के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न यह है कि यदि किसी विशेष मामले को ध्यान में रख कर अध्यादेश जारी किया गया था तो यह अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतएव इस अध्यादेश को लागू करने के कारण बताए जाने चाहिएं।

मैं विधेयक का परिवर्तन की वांछनीयता के कारण समर्थन करता हूं क्योंकि इससे न्यायालय न केवल जांच वाली स्थिति में ही वरन् न्याय प्रशासन के समय भी अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सकेंगे परन्तु यदि किसी खास मामले या मामलों को ध्यान में रख कर यह विधेयक बनाया जा रहा है तो यह अवांछनीय है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्) : जब सभा न चल रही हो तब अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की क्षमता पर हमें चर्चा नहीं करने दी जाती। क्या वे हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर हैं? तीन अध्यादेश जारी किए गए हैं, उनमें से दो की निन्दा हुई है परन्तु इस अध्यादेश के खिलाफ अभी तक कोई बात नहीं हुई, जिससे यह बात जाहिर हो कि इसका क्षेत्राधिकार जम्मू और काश्मीर तक न फैलाया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अशोक मेहता के कथन से मैं यह समझ सका हूं कि साधारण तौर पर अध्यादेश जारी नहीं करना था और उनका कहना है कि सरकार को इसकी पहिले ही आशंका होनी चाहिए थी या उसे कुछ देर बाद इसे लागू करना था? इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश की क्षमता पर कोई आपत्ति नहीं की गई। उनका केवल यही कहना है कि इन बातों की प्रत्याशा पहिले ही क्यों नहीं की गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अशोक मेहता :** संविधान के अनुच्छेद १२३ में लिखा है :—

"उस समय को छोड़ कर जबकि संसद् के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्त्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों।"

अब माननीय मन्त्री को सभा का समाधान कराना होगा कि जिनके कारण अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक था।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्:** तलाशी के अधिपत्र के बिना दस्तावेज नहीं जब्त किए जा सकते थे अतएव उन्हें कमी को पूरा करना था।

†**अध्यक्ष महोदय :** अध्यादेश की सहायता के बिना तलाशी का अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता था, इसे सब मानते हैं परन्तु इसे पहिले ही क्यों नहीं समझा गया और पिछले सत्र में विधेयक क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ? यह प्रश्न सभा के सामने है।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कुछ साथियों ने इस बात का ज़िक्र किया कि अध्यादेश लागू करने की क्या आवश्यकता थी। वे शायद दस पन्द्रह दिन पहले जो वाक़ात भारत में तथा संसार के अन्य भागों में हुए, उनको शायद पानी की कमी की वजह से भूल गये हैं।

एक माननीय सदस्य : पानी की कमी तो आज हुई है।

चौ० रणवीर सिंह : आज ही आपने यह सवाल किया है। जो कुछ मेहता साहब ने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं लेकिन अगर यह मान भी लिया जाए कि कुछ खास मामलों को ख्याल में रख करके अध्यादेश लागू किया गया था तो भी मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं देखता हूं क्योंकि उस वक्त जो हालात थे उनमें ऐसा करना जरूरी हो गया था। उसके पहले जब सत्र बैठा था उस वक्त और बीच में कुछ ऐसे हालात थे कि अगर कोई साथी कुछ थोड़ा बहुत देश का नुकसान प्रचार से करना चाहे तो उसका प्रचार से ही मुकाबला किया जा सकता था। लेकिन चन्द दिन पहले दुनिया के अन्दर लड़ाई के बादल छा रहे थे और एक खतरा मालूम देता था कि कहीं संसार के अन्दर लड़ाई न छिड़ जाए। ऐसे हालात में मैं यह मानता हूं कि यदि गृह मंत्रालय राष्ट्रपति जी से यह दरख्वास्त न करती कि यह अध्यादेश लागू किया जाए तो शायद वह अपने फर्ज में कोताही करती और उसने ठीक तौर पर और ठीक समय पर राष्ट्रपति से दरख्वास्त की कि वे अध्यादेश को लागू करके इस कमी को पूरा करें।

†**श्री आचार** (मंगलौर): मैं इस आपद्कालीन विधान को जारी करने के औचित्य के बारे में यह कहना चाहता हूं कि विधि में इस सम्बन्ध में जो कमी थी उसके बारे में किसी को कोई ऐतराज नहीं है। विरोधी सदस्यों का यह कहना है कि इसे पहिले ही क्यों नहीं समझा गया और राष्ट्रपति से उसे क्यों लागू करवाया गया ?

हर व्यक्ति यह जानता है कि तथा कथित महिला यह प्रचार कर रही थीं। जब सरकार को यह ज्ञात हुआ कि उसे इस प्रचार का अन्त करना चाहिए तब इस विधान की आवश्यकता पड़ी। यदि उस समय की राजनैतिक परिस्थितियों के कारण इस आकस्मिक विधान को जारी करना आवश्यक था. तो इसमें क्या गलती है और मैं तो यह कहूंगा कि राष्ट्रपति द्वारा पारित यह विधान उचित ही था। इस प्रकार मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं कि इस अध्यादेश के अन्तर्गत सरकार ने एक महिला के विरुद्ध जो कार्रवाई की वह ठीक है या गलत है। सवाल यह है कि जब संसद् का सत्र हो रहा था और यह सवाल संसद् में उठाया गया था तब इस तरह का कदम सरकार ने क्यों नहीं उठाया और अगर उस समय नहीं उठाया तो क्या सरकार संसद् के वर्तमान सत्र के लिए थोड़े दिन रुक नहीं सकती थी। जो भी कार्रवाई की गई है उसका शायद सभी समर्थन करेंगे लेकिन जिस ढंग से वह की गई है, माननीय मन्त्री महोदय को यह पुष्ट करना है कि जिस समय कार्रवाई की गई है वह ठीक समय पर की गई और ठीक ढंग से की गई। मुझे याद है कि पिछले अधिवेशन में यह प्रश्न यहां उपस्थित किया गया था और प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा था कि जो भी प्रचार किया जा रहा है उस सम्बन्ध में हम और अधिक क्या कर सकते हैं। और अधिक क्या हो सकता था यह इस अध्यादेश से प्रकट हुआ। जब सत्र बैठ रहा था तब सरकार एक नियमित विधेयक लाकर कार्रवाई कर सकती थी। यदि उस समय वह विधेयक को नहीं लाई तो बाद में इस सत्र के लिए सरकार थोड़े दिन रुक सकती थी।

जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मन्त्री महोदय को देना है वह यह है कि जिस समय यह अध्यादेश लाया गया क्या उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि सरकार संसद् के अधिवेशन के लिये थोड़े दिन रुक नहीं सकती थी जहां तक जो कार्रवाई की गई है उसका सम्बन्ध है, प्रायः सभी ने उसका समर्थन किया और मुझे भी उस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है।

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : मैं इस विधेयक और अध्यादेश का स्वागत करता हूं। यह विधेयक बहुत दिनों से आवश्यक था। यदि हम जम्मू और काश्मीर को भारत में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ऐसे कई विधेयक पारित करने होंगे क्योंकि काश्मीर के चारों ओर विदेशी अड्डे और विदेशी हथियार हैं और उनके द्वारा कुछ हिस्सों पर सरलता से कब्जा किया जा सकता है।

यदि देश के भीतर ही भेदिये विद्यमान हैं तो यह आवश्यक है कि जम्मू और काश्मीर को देश का एक अंग बनाए रखने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। हमें इस बात की खुशी है कि आखिर शिकायतों, आन्दोलनों और समाचार पत्रों की खबरों से गृह मन्त्रालय सचेत हुआ और १० जून को उसने एक अध्यादेश जारी किया जिससे राष्ट्रघातकों के विरुद्ध आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही की जा सके।

मेरे विरोधियों का यह कहना किसी हद तक ठीक है कि सरकार को यह पहिले ही समझ लेना था परन्तु मैं यह कहता हूं कि अध्यादेश उचित समय पर जारी किया गया है क्योंकि यदि हम इस सत्र की प्रतीक्षा करते तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इतना प्रचार हो जाता कि उससे हमारे हित को बड़ा धक्का लगता अतएव मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि यह अध्यादेश साथ ही साथ विधेयक हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए आवश्यक है।

श्री यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने कहा कि वह इस अध्यादेश और इस विधेयक दोनों का स्वागत करते हैं। मैं जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है और इसकी भावना का सवाल है, इसका स्वागत करता हूं लेकिन अध्यादेश जैसी भी शक्ल में हो, मैं उसका सदैव ही विरोध करता रहूंगा।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा अध्यादेश को टाला जा सकता था और मैं भी चाहता हूं कि इसको टाला जाए। इस सवाल की एक दूसरी भी शक्ल है। जम्मू और काश्मीर का जो प्रश्न

---

†मूल अंग्रेजी में

है यह कोई नया प्रश्न नहीं है । यह बहुत पुराना है । मैं तो चाहूंगा कि केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करके किसी एक स्थिति का मुकाबला कर लेना ही काफी नहीं है जैसा कि यहां पर किया जा रहा है । मृदुला सारा भाई द्वारा जो प्रचार कार्य हो रहा था सरकार उसको दबाने के उद्देश्य से ही दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने जा रही है और उसी उद्देश्य से यह कार्रवाई करना चाहती है । यह अच्छी बात है और होनी चाहिये । लेकिन मैं चाहूंगा कि जम्मू तथा काश्मीर को भी वही दर्जा दिया जाए जो भारत की अन्य रियासतों को, अन्य राज्यों को मिला हुआ है तथा उसमें तथा भारत के अन्य राज्यों में कोई फर्क न किया जाए । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय का जहां तक सवाल है,उसका पूरा क्षेत्राधिकार जम्मू तथा काश्मीर पर हो । इसके साथ ही साथ जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है मैं चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग है उसका पूरा पूरा अधिकार उस राज्य पर हो । यदि आप जम्मू तथा काश्मीर के प्रश्न को ठीक ढंग से हल करना चाहते हैं तो वह उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से कि आप करना चाहते हैं । आए दिन किसी अध्यादेश के द्वारा किसी खास स्थिति पर काबू प्राप्त करने के लिये कोई खास कानून बाद में बना देने से काम नहीं चलेगा ।

जहां तक इस अध्यादेश का प्रश्न है मैं इसका विरोध करता हूं मगर जहां तक इस विधेयक की भावना का सम्बन्ध है, मैं इसका स्वागत करता हूं । जो वर्तमान सत्र चल रहा है मुझे तो लगता है कि जैसे यह सत्र अध्यादेश सत्र है, यह सत्र अध्यादेशों का सत्र हो गया है । चार चार अध्यादेश जारी किये गये हैं । कुछ पर तो विचार हो चुका है या हो रहा है और अभी और भी विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने बाकी हैं ।बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया था उस पर विचार हो चुका है । एक पर आज विचार हो रहा है । चीनी के सम्बन्ध में जो अध्यादेश जारी किया गया था उस पर विचार होना अभी बाकी है । असम दलों के बारे में जो अध्यादेश जारी हुआ है उस पर अभी विचार होना है । ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार ने कुछ ऐसी आदत सी बना ली है कि चाहे कुछ दिन बाद सभा बैठ रही हो या बैठ चुकी हो उसके कुछ दिन बाद ही अध्यादेश जारी कर दिया जाए और इस सदन को विचार का मोका बाद में प्रदान किया जाए । अध्यादेश जारी करने का उसने दूसरा रास्ता निकाल लिया है । इससे एक चीज़ टपकती है और वह यह कि सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है और मनमाने ढंग से काम चलाने की ओर बराबर चलती जा रही है । कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है लेकिन अच्छी चीज़ को भी बुरे ढंग से करके उसकी अच्छाई को नष्ट कर दिया जाता है । यदि सरकर गम्भीरता से विचार करे तो शायद अच्छी चीज़ को भी वह अच्छे ढंग से कर सकती है और बुराई को दूर कर सकती है । यदि वह ऐसा करे तो वह इस सदन का और बाहर के लोगों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकती है । ऐसा न करके तथा मनमाने ढंग से उस चीज़ को करके अच्छी चीज़ को भी वह बुरा बना देती है ।

जहां तक इस अध्यादेश का सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध करता हूं लेकिन जहां तक भारत के अधिकार क्षेत्र के जम्मू तथा काश्मीर तक बढ़ाये जाने का ताल्लुक है, मैं उसका स्वागत करता हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में भी विचार करे कि जम्मू तथा काश्मीर तथा भारत के अन्य राज्यों में कोई अन्तर न रहे और इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाये जायें ।

†**श्री दातार** : इस चर्चा के दौरान में दो बातें कही गई हैं । पहिली यह कि अध्यादेश को जारी ही नहीं करना था । या तो सरकार इसे पहिले ही जारी कर देती या कुछ समय तक ठहर जाती । दूसरी बात

---

†मूल अंग्रेजी में

यह है कि इसमें काफी देर हुई है क्योंकि यह आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही है और पिछले १७ वर्षों में कुछ नहीं किया गया तथा जब आवश्यकता के कारण कुछ किया गया तब विधेयक के रूप में न होकर वह अध्यादेश के रूप में था।

जहां तक अध्यादेश के जारी किये जाने का सम्बन्ध है, मैं उसकी प्रविधिक आपत्ति पर ही निर्भर नहीं रहूंगा। प्रविधिक आपत्ति यह है कि अनुच्छेद १२३ के अधीन राष्ट्रपति को समाधान कर लेना था अतएव उनको समाधान होना विषय पर निर्भर है। उन्हें किसी अन्य प्राधिकार या इस सभा का समाधान नहीं कराना क्योंकि आगे यह भी बताया गया है कि अध्यादेश छः माह के बाद व्यपगत हो जायेगा। अतएव जहां तक सभापति के समाधान के प्रविधिक पक्ष का सम्बन्ध है, वह संविधान के अधीन भारत सरकार के परामर्श पर निर्भर है।

यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जहां तक इस विधेयक की अच्छाइयों का सम्बन्ध है, उनसे सभी सदस्य सहमत हैं। वे मानते हैं कि इस विधेयक को पहिले ही रखा जाना चाहिए था। वे यह भी मानते हैं कि धारा ९३ के कुछ सम्बन्धों में अपूर्ण थी। यदि वह अपूर्ण थी तो उस सम्बन्ध में न्यायालयों के मेरे माननीय मित्र के कहने के अनुसार विभिन्न विनिर्णय हैं। फिर भी यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या यह विशेष संशोधन आवश्यक था। हो सकता है कि यह संयोग हो कि जिस खास मामले का मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है वह उसी खास समय में हुआ है। परन्तु जब सरकार को ज्ञात हुआ कि विधि में कुछ दोष हैं और कुछ उपबन्ध नहीं किए गए तब हमें एक ओर भारत सरकार की और दूसरी ओर जम्मू तथा काश्मीर सरकार की कठिनाइयों का ध्यान देना पड़ा। दोनों सरकारें इस बात के लिए राजी हो गई हैं कि दोनों अधिनियमों में कुछ उपबन्ध या कुछ पारस्परिक उपबन्ध शामिल कर लिए जाएं और जब उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ कमियां हैं तब उन्होंने यथासम्भव शीघ्र दूर करना ही ठीक समझा।

मैं यह बता रहा हूं कि जब यह खास कठिनाई महसूस हुई तब भारत और जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकारों ने यह तय किया कि एक राज्य द्वारा जारी किए गए सरकारी अधिपत्रों को दूसरे राज्य में लागू होने के लिए विशेष तथा स्पष्ट उपबन्ध होने चाहिए। अतएव यह अनुभव किया गया कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। यदि किसी मामले में तुरन्त ध्यान देने की जरूरत आ जाती है तो वह केवल संविधान की धारा १२३ के अधीन अध्यादेश जारी करके ही पूरी की जा सकती थी क्योंकि उस समय संसद् का सत्र नहीं चल रहा था। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को यह समाधान हो गया था कि वास्तव में कठिनाई है। इस वास्तविक कठिनाई से सभी सदस्य सहमत हैं। वे कहते हैं कि जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ९३ क का सम्बन्ध है उसमें वैधानिक कमी थी। वे यह भी कहते हैं कि इस कमी को संसद् के पिछले सत्र में पूरा कर लेना था या सरकार को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

भारत तथा जम्मू और काश्मीर की दोनों सरकारों ने यह अनुभव किया कि इस मामले पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए इसलिये भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश भारत के लिए और उसी प्रकार का एक अध्यादेश जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने वहां के लिए जारी किया। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना पूर्णतः न्यायोचित था। इसमें मेरे माननीय मित्र की इस आपत्ति का उत्तर भी है कि इसके लिये काफी देर की गई है। यह मान भी लें कि काफी देर हुई फिर भी इस सम्बन्ध में न्यायालयों ने अपने अपने दृष्टिकोण अपनाये हैं परन्तु जब मामला इतना गम्भीर हो गया कि विधि में परिवर्त्तन आवश्यक हो गया तब सरकार सामने आई। यह परिस्थिति सन् १९५८ में आ गई। यही कारण है कि विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्वाचनों के होते हुए भी यह कठिनाई १९५८ में विशेष रूप से अनुभव की गई और यह विशेष अध्यादेश जारी

किया गया । उसके तुरन्त बाद ही वह मिले जुले रूप में सभा पटल पर रख दिया गया तथा प्रस्तुत विधेयक भी सभा पटल पर रख दिया गया ।

अन्य किसी बात का जवाब देना मेरे लिये आवश्यक नहीं है क्योंकि जहां तक अच्छाइयों का प्रश्न है सभी उससे सहमत हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : खण्डों पर कोई संशोधन नहीं हैं ।
प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ४, खंड १, अधिनियमन सत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ से ४, खंड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आसाम राज्य और मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र के उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र बल के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां देने की व्यवस्था वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभा को अच्छी तरह मालूम है कि नागा पहाड़ी ज़िले और तुएन सांग क्षेत्र में कुछ गुमराह नागाओं की विद्रोही कार्यवाहियां चल रही हैं और सरकार को वहां सामान्य हालत लाने के लिये कुछ विशेष उपाय करने हैं । यह मामला कई बार सभा के सामने आ चुका है । इसलिये वहां की घटनाओं का पूरा ब्यौरा पेश करना जरूरी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ समय पहले, १९५६ में, नागा पहाड़ियों के इस तुएन सांग क्षेत्र में सहायता पहुंचाने के लिये सशस्त्र सेना भेजनी पड़ी थी। उस समय इस विधेयक से बहुत कुछ मिलता-जुलता एक विनियमन उस क्षेत्र पर लागू करने के लिये पारित किया गया था। गुमराह नागा लोग बड़ी शरारतें कर रहे थे और प्रशासन को उस विद्रोह के दबाने के लिये कुछ विशेष उपाय करने पड़े थे। उस क्षेत्र विशेष में अब सभी के सम्मिलित प्रयास से काफी सुधार हो गया है।

पिछले साल लगभग इसी समय नागा प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था और उसमें तय किया गया था कि विद्रोही कार्यवाहियों को खतम किया जाये और नागा क्षेत्र की स्वतंत्रता का दावा वापिस लिया जाये ; और यह भी कि भारत सरकार को सहायता, इत्यादि के कार्यों में मदद देनी चाहिये। तभी यह नागा इकाई बनाई गई थी और उस इकाई को अपने-आप में एक पूर्ण इकाई का दर्जा देने के लिये हमें सभा में एक विधेयक रखना पड़ा था। दंगइयों के खिलाफ सेना का प्रयोग करने और सहायता-कार्य को बढ़ाने के कारण, अब इस क्षेत्र की हालत में काफी सुधार हो गया है। लेकिन विद्रोही नागाओं ने नागा संघ क्षेत्र की जनता द्वारा स्वीकृत यह नीति नहीं मानी और वे अब आसाम और मनीपुर के पास की अन्य इकाइयों में गड़बड़ी करने लगे हैं। वे इन पास-पड़ोस की इकाइयों में लूट-खसोट, हत्यायें और डाकेजनी करने लगे हैं। और इन क्षेत्रों की जनता को उससे बचाने के लिये कुछ कारगर उपाय करना जरूरी हो गया है। इसके बाद, अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की गड़बड़ हो सकती है। उन सब के खिलाफ कारगर कार्यवाही करने के लिये सशस्त्र बल को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करना जरूरी समझा गया है, और इसीलिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

इस विधेयक में कोई भी पेचीदा चीज नहीं है। इस विधेयक में तो सिर्फ इतना किया गया है कि सशस्त्र बल उत्पात-ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक कार्यवाही करने में समर्थ हो सके। यह एक काफी बड़ा क्षेत्र है। यह मुमकिन नहीं कि उत्पात खड़े होने पर सशस्त्र बल के साथ हर कहीं व्यवहार अदालतों के मैजिस्ट्रेट भेजे जायें। यह इसलिये कि इन उत्पातों का पहले से तो कोई पता ही नहीं रहता। उत्पात कहीं भी शुरु हो सकते हैं और उनके लिये सेना को भी तत्काल भेजना पड़ता है।

इसीलिये नागा इकाई में जो विनियमन प्रभावी बनाया गया था और अभी भी प्रभावी है, उसी को आसाम और मनीपुर के उत्पात-ग्रस्त क्षेत्रों तक विस्तरित किया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ उन क्षेत्रों पर ही लागू होगा, जिनको उनके प्रशासक उत्पात-ग्रस्त घोषित कर देंगे। यह तभी होगा जब उस क्षेत्र में कोई बड़ा डाका पड़ा हो या कोई बड़ा गम्भीर अपराध हुआ हो। उत्पाद-ग्रस्त क्षेत्र की घोषणा हो चुकने के बाद ही उस क्षेत्र विशेष पर इस विधेयक के उपबन्ध लागू होंगे। यह एक सीधी सी बात है। इस विधेयक के जरिये विद्रोही नागाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले सशस्त्र बल को आरक्षण दिया जा रहा है। ये विद्रोही नागा अब नागा प्रदेश से तो करीब-करीब खदेड़ ही दिये गये हैं। अब वहां नये स्कूल खुल गये हैं। जिन स्कूलों को विद्रोहियों ने पहले जला दिया था, उनका भी फिर से निर्माण किया जा रहा है। उन में बच्चे पढ़ने भी लगे हैं। धीरे-धीरे हालत सामान्य बनती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नागा लोग हैं जो सही ढंग से सोचने से इन्कार करते हैं। अब वे दूसरे क्षेत्रों पर हमले करने लगे हैं। इन सब को रोकने के लिये ही यह विधेयक तैयार किया गया है। आसाम और मनीपुर के उत्पाद-ग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र बल को तुरन्त आरक्षित करना अत्यावश्यक था, इसीलिये हमें एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था। इसीलिये यह विधेयक पुरःस्थापित करना जरुरी हो गया है। आशा है कि सभा इ सर्व सम्मति से स्वीकृत करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं । इस विधेयक पर तब तक कोई आगे चर्चा नहीं की जा सकती जब तक कि यह अनुच्छेद ३५२(१) के कुछ दायित्वों को पूरा नहीं करता । इस विधेयक के कुछ भागों पर संविधान का अध्याय १८ लागू होता है । इस विधेयक का खंड ६ संविधान के अनुच्छेद ३२(१) के विरूद्ध पड़ता है । संविधान के भाग ३ में मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है और इसी भाग के अनुच्छेद ३२(१) में संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी सुनिश्चित बनाये गये हैं । उसमें कहा गया है ।

> "३२ (१) इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचलित करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है ।"

और उसी में आगे व्यवस्था की गई है :

> "(४) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलम्बित न किया जायेगा ।"

संविधान के अनुच्छेद ३५२ (१) में यह व्यवस्था भी है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात-काल की उदघोषणा करने के बाद संविधान के पूरे अध्याय ३ को निलम्बित कर दिया जायेगा । इसलिये आपात काल की उदघोषणा, और वह भी राष्ट्रपति द्वारा, की जाने के बाद ही अनुच्छेद ३२(१) को निलम्बित किया जा सकता है । और, उसी अवस्था में खंड ६ का कोई औचित्य हो सकता है, क्योंकि इस खंड में व्यवस्था की जा रही है कि इस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई भी मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसकी मंजूरी न दे दे । इस प्रकार, यह खंड, आपात-काल की उदघोषणा के बिना ही, संवैधानिक उपचारों के अधिकार और उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार को निलम्बित कर देना चाहता है ।

हम सभी चाहते हैं कि उत्पाती नागाओं को दंड दिया जाये, लेकिन इस प्रकार संविधान का नन करके नहीं ।

यह विधेयक तो आपात-उपबन्धों का प्रयोग भी करना चाहता है और आपात-काल की उदघोषणा भी नहीं करना चाहता । राष्ट्रपति चाहें तो पूरे आसाम के सम्बन्ध में आपात-काल की उदघोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है ।

हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है । लेकिन अध्यादेश जारी करना और आपात-काल की उदघोषणा करना दोनों एक ही चीज नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या आपका मतलब यह है कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, और यह विधेयक उस अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है ?

†**श्री महन्ती :** जी, हां । विधेयक के अनुसार उसके लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी । यह अधिकार केवल आपात-काल में निलम्बित किया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** औचित्य प्रश्न की आपत्ति यह है कि इस अध्याय द्वारा सुनिश्चित बनाये गये अधिकारों के लिये उच्चतम न्यायालय में मामला भेजने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये । लेकिन इसका निर्णय तो उच्चतम न्यायालय ही करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : मैं यह नहीं कहता कि आप इस विधेयक को सभा की शक्ति से बाहर घोषित कर दें। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि यह विधेयक, अनुच्छेद ३५२ (१) के दायित्वों को पूरा नहीं करता। हम इस संवैधानिक त्रुटि को अनदेखा कैसे कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह दलील नहीं समझ पा रहा हूं। क्या माननीय सदस्य का मतलब यह है कि खंड ६ के द्वारा व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है कि वह उच्चतम न्यायालय में मामला भेज सके ? इसका निर्णय तो उच्चतम न्यायालय तभी करेगा जब कोई खास मामला उसके सामने आयेगा।

†**श्री महन्ती** : अनुच्छेद ३२(४) में कहा गया है इस अनुच्छेद द्वारा दिये गये अधिकारों को निलम्बित नहीं किया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन इस अनुच्छेद को निलम्बित करने का तो कोई मंशा नहीं दिखाई देता।

†**श्री महन्ती** : बात मंशा की नहीं, प्रभाव की है। अनुच्छेद ३५९ में व्यवस्था है कि आपात काल की उद्घोषणा प्रवर्तित होने के बाद ही इस अनुच्छेद को निलम्बित किया जा सकता है। पर, खंड ६ में तो....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस चीज़ के निर्णय का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि कोई बात भाग ३ के अन्तर्गत है या नहीं ; या यह कि उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित किया जा रहा है या नहीं। इसका निर्णय तो उच्चतम न्यायालय ही करेगा।

और संविधान के भाग ३ में कोई बात आती है या नहीं, इसका निर्णय तो तभी होगा जब उस बात विशेष पर विचार किया जायेगा।

श्री महन्ती ने अनुच्छेद ३५२ का जिक्र किया है। क्या उनका मत है कि यह विधेयक पारित नहीं किया जा सकता ?

†**श्री महन्ती** : जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी क्षेत्र विशेष के उपद्रव-ग्रस्त होने पर उसकी घोषणा करने का कर्त्तव्य राष्ट्रपति का है। उसके बाद, राष्ट्रपति कुछ अधिकार विशेष का प्रत्यायोजन भी कर सकते हैं।

क्या श्री महन्ती यह कहना चाहते हैं कि आपात-काल की उद्घोषणा केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं ? राज्य सरकार उसकी घोषणा नहीं कर सकती ?

†**श्री महन्ती** : मैं यही कह रहा हूं कि आपात-काल की उद्घोषणा किये बिना, से प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

दूसरी चीज़ यह है कि इस विधेयक में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो संविधान में नहीं है। संविधान में "बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति" शब्द हैं, और विधेयक में, "उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र" कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

इसीलिये, मेरा मत यह है कि अनुच्छेद ३५२(१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की उद्घोषणा हुए बिना, हम इस विधेयक को आगे नहीं बढ़ा सकते ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपेट) : यह विधेयक नियमानुकूल नहीं है । इसमें उत्पात-ग्रस्त क्षेत्रों में सारी कार्यपालिका शक्ति केन्द्र के हाथ में ले लेने की व्यवस्था की गई है । राज्य जब अपनी सहायता के लिये सेना को बुलाता है, तो सेना पर राज्य-सरकार का ही नियंत्रण रहता है ।

सूची ३—अनुवर्ती सूची—में राज्य को यह शक्ति दी गई है । लेकिन, इस विधेयक के खंड ४ के अन्तर्गत तो राज्य सरकार की सारी शक्तियां सशस्त्र बल के अधीन हो जायेंगी । यह केवल राष्ट्रपति द्वारा आपात काल की उद्घोषणा करने के बाद ही किया जा सकता है । यह विधेयक राज्य सरकार की संवैधानिक शक्तियों को केन्द्र के अधिकार में देने की व्यवस्था करता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विधेयक के खंड ३ के अनुसार, आसाम सरकार या मनीपुर का मुख्य आयुक्त इसकी घोषणा करेगा ।

†**डा० कृष्णस्वामी** : लेकिन खंड ४ में तो असैनिक प्राधिकार को उसकी सभी शक्तियों से वंचित किया जा रहा है ।

संविधान के अनुसार तो आसाम सरकार अपने किसी भी क्षेत्र को उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर के उसके लिये सेना बुला सकती है । लेकिन असैनिक शक्ति की सहायता के लिये ही । पर, इस विधेयक के खंड ४ में तो सशस्त्र बल को ही सारी असैनिक शक्तियां देने की बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सही है कि वर्तमान विधि के अनुसार भी राज्य-सरकार अपनी असैनिक शक्तियों की सहायता के लिये सशस्त्र बल भेजने की मांग कर सकती है । लेकिन इस विधेयक द्वारा उसका क्षेत्र और व्यापक बनाया जा रहा है कि राज्य सरकार अपना सारा प्रशासन भी सशस्त्र बल को सौंप सकती है । राज्य सरकार को उसकी शक्ति से वंचित नहीं किया जा रहा है । यह तो राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है । अभी तक राज्य-सरकारों को यह शक्ति नहीं दी गई थी । राज्य सरकारों को तो और भी व्यापक क्षेत्राधिकार दिया जा रहा है । उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र होने की घोषणा भी तो वही करेंगी ।

†**डा० कृष्णस्वामी** : ऐसी शक्ति नहीं दी जा सकती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो श्री महन्ती की बात ही हुई कि राज्य-सरकारें किसी भी उत्पात-ग्रस्त-क्षेत्र में आपात-काल की घोषणा नहीं कर सकतीं, यह केवल राष्ट्रपति ही कर सकते हैं ।

†**डा० कृष्णस्वामी** : इसमें थोड़ा अन्तर है । अनुच्छेद ३५३ (ख) के अन्तर्गत सेना को जो भी शक्ति सौंपी जायेगी, उसके लिये वह केन्द्र के प्रति जिम्मेदार रहेगी । प्रश्न यह उठाया जा रहा है कि क्या हम साधारणतया भी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें सेना आपात-काल में ही प्रयोग करती है ।

फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्या अध्यक्ष महोदय को असंवैधानिकता से संम्बधित औचित्य प्रश्न का निर्णय करना चाहिये । वैसे तो पूर्व दृष्टांत ऐसे हैं कि संविधान की शक्ति से बाहर होने या

---

†मूल अंग्रेजी में

न होने का निर्णय अध्यक्ष नहीं करते, लेकिन १९५१ में अस्थायी संसद के अध्यक्ष, श्री मावलंकार ने एक मामले में यह मत प्रकट किया था कि यदि वह स्पष्ट ही संविधान की शक्ति से बाहर हो तो अध्यक्ष उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि यह विधेयक बिलकुल स्पष्ट ही संविधान की शक्ति से परे है।

†**श्री नौशीर भरुचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि इस विधेयक का खंड ६ उच्चतम न्यायालय की उस शक्ति को सीमित करता है जो उसे अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत प्रदान की गई है। यह गलत है। खंड ६ में कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना कोई अभियोजन किया, या मुकदमा चलाया नहीं जा सकेगा। वैधानिक कार्यवाही और अभियोजन एक ही चीज नहीं हैं।

खंड ६ इतना व्यापक नहीं है कि वह अनुच्छेद ३२ के क्षेत्राधिकार पर प्रभाव डाल सके।

दूसरी बात यह कही गई है कि इसे आगे बढ़ाने से पहले जरूरी है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात-काल की उद्घोषणा की जाये। यह भी गलत है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा कर सकते हैं, लेकिन हर हालत में वह इसके लिये बाध्य नहीं हैं। और जब राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा करने के लिये बाध्य नहीं है ; तब फिर उसे एक शर्त कैसे बनाया जा सकता है।

डा० कृष्णस्वामी ने कहा है कि उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र विशेष का सारा प्रशासन सेना को सौंप दिया जायेगा। यह भी गलत है। उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र के अलावा, शेष सभी क्षेत्रों में राज्य की कार्यपालिका शक्ति तो अपना सामान्य कार्य करती ही रहेगी। मैं विधेयक का समर्थक नहीं हूं, लेकिन वैधानिक दृष्टि से यह दलीलें ठीक नहीं हैं। उत्पात-ग्रस्त क्षेत्र में भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति अपने कई कृत्य करती रहेगी। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

†**पंडित गो० व० पन्त** : माननीय सदस्यों ने जो दलीलें दी हैं, उनका कोई बहुत ब्यौरेवार जवाब देने की जरूरत नहीं। हमें देखना यह है कि इस विधेयक में वास्तव में क्या व्यवस्था की गई है और उसका क्षेत्र कितना है, और साथ ही यह भी कि यह विधेयक संविधान या राज्य के कार्यपालक प्राधिकार में कोई दखल तो नहीं देता। विधेयक में तो सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि स्थानीय सरकार किसी क्षेत्र को दंगों वाला या अपराधों वाला क्षेत्र घोषित कर दे, तो वहां सेना भेजी जा सकती है और वह अपराधों को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिये कार्यवाही कर सकती है। सेना को कार्यपालक प्राधिकार नहीं दिया जायेगा। असैनिक प्रशासन तो वहां ज्यों का त्यों बना रहेगा। खंड ५ में साफ दिया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति क, उसके बारे में सेना की एक रिपोर्ट के साथ, निकटतम पुलिस चौकी के अधिकारी को सौंप दिया जायेगा। बाद में पुलिस अधिकारी और मैजिस्ट्रेट ही उस मामले को अपने हाथ में लेंगे और उसका निबटारा करेंगे। और सेना उस क्षेत्र में तभी जा सकेगी जब कि राज्य सरकार उस क्षेत्र को दंगों या अपराधों का क्षेत्र घोषित कर दे। तभी तो खंड ४ लागू हो सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद ३५२ का उल्लेख किया है । उसमें दिया गया है कि अनुच्छेद ३५३ के अन्तर्गत राज्य सरकार को संवैधानिक शक्तियों से वंचित किया जा सकता है । अनुच्छेद ३५३ में कहा गया है :

"३५३. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब—

(क) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विषय में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे ;

(ख) किसी विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति के अन्तर्गत ऐसी विधियां बनाने की शक्ति भी होगी जो उस विषय के बारे में संघ अथवा संघ के पदाधिकारियों और प्राधिकरियों को शक्ति देती तथा कर्त्तव्य सौंपती हो अथवा शक्तियों का दिया जाना और कर्त्तव्यों का सौंपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे फिर वह विषय ऐसा हो जो संघ-सूची में प्रगणित नहीं है ।"

इससे स्पष्ट है कि केन्द्र तभी राज्य सरकार की शक्तियों को थोड़े समय के लिये अपने हाथ में ले सकता है जबकि वहां "आपात काल की उद्घोषणा प्रवर्त्तन में है" । इसलिये इन दोनों परिस्थितियों में कोई भी साम्य नहीं है । आपातकाल की उद्घोषणा किये बिना राज्य सरकार की शक्तियों को केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लेने की कोई व्यवस्था नहीं है । संविधान के अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च प्राधिकार दिया गया है । बन्दी प्रत्यक्षीकरण के सम्बन्ध में अनुच्छेद २२६ है । उच्चतम न्यायालय को उसके इस प्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । इस विधेयक में तो सिर्फ इतनी सी बात कही है कि यदि राज्य सरकार अच्छा समझे तो केवल इस सीमित प्रयोजन के लिये सेना का उपयोग कर सकती है । उसके बाद तो विधि की सामान्य प्रक्रियायों का ही अनुसरण किया जायेगा ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में ऐसी व्यवस्थायें पहले से मौजूद हैं कि कुछ मामलों में सरकार से अनुमति लिये बिना न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । इसलिये इस विधेयक में कोई बड़ी नयी चीज़ नहीं रखी गयी है । इसलिये ये औचित्य प्रश्न मान्य नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस सम्बन्ध में दो या तीन प्रश्न उठाये गये हैं ।

क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि इस विधेयक की व्यवस्था में दण्ड प्रक्रियायें संहिता की व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हैं? दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तो मैजिस्ट्रेट यदि चाहे तो सशस्त्र बल की सहायता लेकर किसी गैर कानूनी भीड़ या सभा को भंग करवा सकता है, लेकिन सैनिक उसके लिये किसी पर गोली नहीं चला सकते ।

पर, इस विधेयक के खंड ४ की व्यवस्था के अनुसार तो सेना दंगे वाले क्षेत्र में गोली भी चला सकती है । क्या इस विधेयक द्वारा सशस्त्र बल की शक्ति में वृद्धि की जा रही है ?

†**पंडित गो० व० पन्त :** इस खण्ड के अन्तर्गत, सशस्त्र बल उस क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकता है जिसे सरकार ने दंगे वाला क्षेत्र घोषित कर दिया हो । संविधान और दण्ड प्रक्रिया संहिता दोनों ही में ऐसी व्यवस्थायें हैं कि सशस्त्र बल को कम से कम बल प्रयोग करना चाहिये । वे व्यवस्थायें तो हर विधेयक पर लागू होती ह और सशस्त्र बल उनकी सीमाओं में रह कर ही कोई कार्यवाही कर सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुच्छेद २१ में कहा गया है कि विधि सम्मत प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य रीति से किसी भी व्यक्ति को उसकी जिन्दगी या निजी स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। क्या दंगे वाले क्षेत्रों में सशस्त्र सेना जो गोली चलाकर किसी की जान लेगी वह विधि-सम्मत होगी ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : विधि-सम्मत प्रक्रिया का मतलब है इस सभा द्वारा पारित विधि के अनुसार।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा यह कह सकती है कि सेना द्वारा गोली चलाया जाना विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुसार ही है ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : लेकिन इससे कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठता। यदि सभा यह शक्ति प्रदान नहीं करना चाहती, तो इस विधेयक को स्वीकृत न करे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह उठाया गया था कि अनुच्छेद ३२ के अनुसार तो किसी विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति की जान ली जा सकती है, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में उस कार्य के विरुद्ध अपील भी की जा सकती है; लेकिन इस विधेयक के खण्ड ६ में यह व्यवस्था भी की गई है कि मुकदमे की कार्यवाही केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। इससे तो उच्चतम न्यायालय के वे अधिकार भी प्रभावित होते हैं, जो उसे संविधान से मिले हैं।

†**पंडित गो० व० पन्त** : जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय का अधिकार खण्ड ६ से नियंत्रित नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उसे सभी मामलों में सर्वांगीण शक्ति दी गई है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १३२ में भी तो यह व्यवस्था है कि सरकार की मंजूरी के बिना न्यायालय कुछ प्रकार के मामलों में कार्यवाही नहीं करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उच्चतम न्यायालय में उचित कार्यवाही के लिये ऐसे मामले को पेश करने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगा ?

†**पंडित गो० व० पन्त** : जी, नहीं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : उच्चतम न्यायालय का मत है कि इस प्रकार के खण्ड उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इस प्रकार के खण्ड केवल व्यवहार न्यायालयों को वंचित कर सकते हैं। श्री भरूचा ने इसकी सही व्याख्या की थी। उच्चतम न्यायालय का भी यही मत है कि यह केवल व्यवहार न्यायालय पर ही लागू होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री का कहना है यह विधेयक किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय की शरण में जाने से नहीं रोकता।

दूसरी बात यह है कि आपात काल में संसद इन शक्तियों के निर्वहन का अधिकार स्थानीय सरकार या आयुक्त को दे सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकते हैं।

तीसरी चीज यह है कि अब इस विधेयक के जरिये राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी क्षेत्र विशेष को दंगे वाला क्षेत्र घोषित कर सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० व० पन्त** : अनुच्छेद २५८ के अनुसार, केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियां किसी भी राज्य सरकार में प्रत्यायोजित कर सकती है । उसमें कहा गया है कि :

> "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य की सरकार की सम्मति से राष्ट्रपति, उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका का विस्तार है, शर्तों के साथ या बिना शर्त सौंप सकेगा" ।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन पहले आपात-काल की उद्घोषणा भी तो प्रवर्तित होनी चाहिये ।

†**पंडित गो० व० पन्त** : लेकिन इस अनुच्छेद में तो उसका कोई उल्लेख ही नहीं है । इस विधेयक में तो केवल दंगे वाले क्षेत्रों का प्रश्न है । उद्घोषणा तो तब प्रवर्तित की जाती है जब राज्य सरकार को उन कुछ शक्तियों से वंचित किया जाता है जो संविधान ने उसे प्रदान की हैं । ये शक्तियां संसद अपने हाथ में ले लेती है । इस अध्याय के अंतर्गत तो केवल इसी प्रयोजन के लिये उद्घोषणा की ज़रूरत पड़ती है । सभी छोटे-मोटे कार्यों के लिये उद्घोषणा नहीं की जाती । उद्घोषणा तो केवल राज्य की संवैधानिक शक्तियों को केन्द्र द्वारा ग्रहण करते समय ही आवश्यक होती हैं ।

आप शायद भाग १८ का उल्लेख कर रहे हैं । उसमें आपातकालीन व्यवस्थाओं की बात है । वे आपात-उपबन्ध तो तभी लागू होते हैं जब कि किसी राज्य सरकार को उसके किसी प्राधिकार से वंचित करना हो ।

इस विधेयक द्वारा तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की जा रही है । इसलिये, यह अध्याय भी इस में कोई बाधा नहीं डालता । यदि ऐसी कोई चीज़ होती, तो आपकी दलील ठीक होती । तब आप अनुच्छेद ३५३ का उल्लेख कर सकते थे । उसमें इसकी व्यवस्था है । तभी आप यह कह सकते थे कि राज्य की कुछ शक्तियां केन्द्र अपने हाथ में ले रहा है । और हम उसी हालत में उद्घोषणा करके वहां राष्ट्रपति का शासन स्थापित कर सकते थे । लेकिन इस विधेयक में तो राज्य को, उसकी इच्छानुसार, सशस्त्र बल का उपयोग करने की शक्ति दी जा रही है । इस से अधिक कुछ नहीं । 'सशस्त्र बल' केन्द्रीय सूची १ में सम्मिलित है ।

हम राज्य सरकारों को यह अवसर दे रहे हैं कि यदि वे अपने यहां के कुछ दंगे वाले क्षेत्रों में आवश्यक और अनिवार्य समझें तो 'सशस्त्र बल' का उपयोग कर सकें । इसके लिये उद्घोषणा की तो कोई आवश्यकता ही नहीं ।

दूसरी बात यह है कि यह व्यवस्था केवल उस परिस्थिति के लिये की गई है, जिसमें कि राज्य सरकार के प्राधिकार को कोई चुनौती दी गई हो और वह उन असाधारण परिस्थितियों में असाधारण ढंग से काम करना चाहती हो ।

तीसरी बात यह कि इस विधेयक से उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों या उसके प्राधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

इसलिये, मैं समझता हूं कि, इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । शायद गृहकार्य मंत्री का मतलब यह है कि इस विधेयक के ज़रिये उनके अधिकारियों और सैनिक पदाधिकारियों को राज्य-सरकार की शक्तियां सौंपी जा रही हैं, केन्द्रीय सरकार को नहीं । अनुच्छेद २५८ के अनुसार हम केवल केन्द्रीय सरकार की शक्तियां ही उन्हें दे सकते हैं । इसलिये, क्या गृहकार्य मंत्री का मंशा यह है कि हम राज्य-सरकारों को कुछ ऐसी असामान्य शक्तियां दें जो राज्य-सूची में सम्मिलित नहीं हैं ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं समझ नहीं रहा हूं कि कठिनाई क्या है । मेरा अर्थ तो यह है कि विधि के अनुसार सशस्त्र बल केन्द्रीय सरकार के अधीन है । केन्द्रीय सरकार ही उसका उपयोग कर सकती है । विधि के अनुसार, राज्यों के असैनिक प्राधिकारी भी दंगों आदि की स्थिति में सशस्त्र बल की सहायता मांग सकते हैं । हम इस खण्ड द्वारा उन्हें यह शक्ति दे रहे हैं कि वे केन्द्र से अनुरोध किये बिना ही सशस्त्र बल का उपयोग कर सकते हैं । इसमें कोई भी असाधारण बात नहीं है । राज्य सरकार के पास यह शक्ति रहे या केन्द्र द्वारा यह शक्ति उसमें प्रत्यायोजित की जाये, दोनों में कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसलिये इस खण्ड में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसी अन्य विधि के क्षेत्र का उल्लंघन करती हो ।

†**श्री महन्ती** : हम अनुच्छेद २५८ के अन्तर्गत राज्य के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद के अनुसार, ऐसा करने से पहले राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है । क्या ऐसा किया जा चुका है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यदि मैं कहूं कि आसाम सरकार की सहमति से यह किया गया है तो मेरा यह कहना ही पर्याप्त होगा ।

यदि आसाम सरकार इस विधेयक का प्रयोग न करना चाहे, तो नहीं भी कर सकती है । जब तक आसाम सरकार किसी क्षेत्र को दंगों वाला क्षेत्र घोषित नहीं कर देती, तब तक यह विधेयक उसके प्रदेश पर लागू ही नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं औचित्य प्रश्नों के सम्बन्ध में काफी सुन चुका हूं ।

श्री महन्ती और डा० कृष्णस्वामी के औचित्य प्रश्न में दो बातें कही गई थीं । पहली तो यह कि इस विधेयक के खण्ड ५ में आसाम सरकार या मनीपुर के मुख्य आयुक्त को जो यह शक्ति दी जा रही है कि वह किसी भी क्षेत्र विशेष को दंगों वाला क्षेत्र घोषत कर सकेगा, यह एक प्रकार से आपात की उद्घोषणा ही है, जिसकी शक्ति केवल राष्ट्रपति को ही है । माननीय मंत्री ने इसका उत्तर दे दिया है कि आपात उपबन्ध तभी लागू हो सकते हैं जब कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्घोषणा की गई हो और राज्य सरकार की कुछ शक्तियां उसने अपने हाथ में ले ली हों । इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है । इसलिये अध्याय १८ इस पर लागू नहीं होता ।

औचित्य प्रश्न में दूसरी बात यह कही गई थी कि इस विधेयक का खण्ड ६ उच्चतम न्यायालय के उस क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है, जो संविधान ने उसे प्रदान किया है । खण्ड ६ की तरह की व्यवस्थायें अन्य अधिनियमों में भी हैं, लेकिन उनसे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

डा० कृष्णस्वामी ने यह कहा था कि अध्यक्ष किसी विधान की सभा की शक्ति से बाहर घोषित कर सकता है । सामान्यतया, अध्यक्ष इस प्रश्न के निर्णय का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेता । पूर्व दृष्टांत भी ऐसे ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

अनुच्छेद ३५२(१) इस विधेयक पर लागू नहीं होता । ऐसी हालत में, इन औचित्य प्रश्नों में कोई सार नहीं दिखता । विधेयक पर आगे चर्चा की जायेगी ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : क्या इस विधेयक के सम्बन्ध में आसाम सरकार से परामर्श किया गया था ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : वास्तव में, आसाम सरकार ने ही हम से इसका अनुरोध किया था ।

†**श्री महन्ती** : हम सभी चाहते हैं कि नागाओं के उत्पात जल्द से जल्द खत्म हों । लेकिन उसे खत्म करने के लिये संवैधानिक प्रक्रिया को तो धता नहीं बताई जानी चाहिये ।

भारतीय संसद् में अभी तक कोई ऐसा विधान नहीं रखा गया था । इस विधेयक को पारित करने का मतलब तो मार्शल लॉ जारी करना होगा । इस विधेयक में तो उत्पात शांत करने के नाम पर आसाम सरकार और मनीपुर के मुख्य आयुक्त को खुली छूट दी जा रही है । यदि कोई क्षेत्र उत्पात-ग्रस्त हो, तो उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है । इस विधेयक के अनुसार तो सेना का एक हवलदार भी जिसको चाहे गोली मार सकता है । और, भारत सरकार की अनुमति के बिना, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकेगी ।

भारत सरकार को इस सभा को साफ़-साफ़ बताना चाहिये कि नागा-उत्पात का असल स्वरूप क्या है । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बताया है कि अब नागा-उत्पात तुएनसांग क्षेत्र में तो दबा दिया गया है लेकिन आसाम और मनीपुर के मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहा है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

यह वाकई बड़ी गम्भीर चीज़ है । इसके लिये हमें संविधान के अनुच्छेद ३५२(१) का सहारा लेने की सोचना चाहिये । लेकिन, उसे शान्त करने के लिये सेना को इतनी व्यापक शक्तियां देना उचित नहीं है । यदि सरकार समझती है कि वहां आपातकाल है, तो उसकी उद्घोषणा कर दे ।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस उत्पात को कब तक शान्त कर सकेगी ? क्या हम इस तरह के विधान से समस्या का हल कर सकेंगे ? अध्यादेश द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा करना कोई अच्छी बात तो नहीं । हमें उसकी सहमति देते हुए बड़ी पीड़ा होती है । सरकार इस विधान को आय-व्ययक सत्र में भी तो सभा के सामने ला सकती थी । हमें देश की जनता को भी तो जवाब देना पड़ता है ।

नागा-उत्पात कोई आज तो नहीं पैदा हुआ है । फिर, इस विधेयक को आय-व्ययक सत्र में क्यों उपस्थापित नहीं किया गया ? इस प्रकार यह विधान रखना, लोकतांत्रिक मान्यताओं को तिलाञ्जलि देना है ।

हम ऐसा स्वतंत्र भारत नहीं चाहते जिसमें यातना-शिविर हों और सेना के हवलदार किसी को भी मनमाने ढंग से गोली का शिकार बना सकते हों ।

इस विधेयक का मतलब तो यह होगा कि राज्यपाल मनमाने ढंग से जिस क्षेत्र को भी चाहें दंगों वाला क्षेत्र घोषित करके वहां सैनिक शासन कायम कर सकता है । इस असाधारण से

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि नागा-उत्पात शान्त होने की सम्भावना होती, तो मैं इसका समर्थन करता। लेकिन, ऐसा नहीं है।

मैं फिर सरकार से अपील करता हूं कि हमें नागा-उत्पात का असली स्वरूप और उसका विस्तार बताया जाये। यदि वह आसाम और मनीपुर के मैदानों की ओर बढ़ रहा है, तो वास्तव में बड़ी चिन्ताजनक चीज़ है। लेकिन उसके लिये सरकार को विधि पूर्वक यह विधान आय-व्ययक सत्र में पेश करना चाहिये था। हम अध्यादेश जारी करना ठीक नहीं समझते।

†**श्री नौशीर भरुचा** : मैं श्री महन्ती द्वारा उठाये गये औचित्य प्रश्न से सहमत नहीं हूं तथापि मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूं। यह अध्यादेश २२ मई १९५८ को अर्थात् बजट सत्र के केवल दस बारह दिन पश्चात् प्रस्थापित किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि दस बारह दिनों में ही ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई थी कि यह अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पैदा हो गई। क्या यह विधेयक अप्रैल में ही सभा के सम्मुख नहीं रखा जा सकता था।

अब मैं विधेयक को लेता हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत आसाम के राज्यपाल और मनीपुर के मुख्यायुक्त को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे राज्य के एक भाग या सारे राज्य को विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहिला प्रश्न यह है कि क्या आसाम राज्य को यह खतरा पैदा हो गया है कि नागा विद्रोही सारे राज्य पर हमला बोल सकते हैं। क्या इसी कारण राज्यपाल और मुख्यायुक्त को सारे राज्य को विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है या यह खतरा केवल तुएंनसांग क्षेत्र तक ही सीमित है या सारे राज्य में फैल सकता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पहाड़ियों में रहने वाले नागा लोग इतने शक्तिशाली हो गये हैं कि सशस्त्र बलों को इन शक्तियों को देने की आवश्यकता हुई है। यदि हां तो इससे सरकारी नीति की असफलता साफ सिद्ध होती है।

तीसरा प्रश्न यह है कि यह खतरा किस प्रकार का है और कहां है? क्या यह खतरा तुएंनसांग के अशांत क्षेत्र में है अथवा अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है और क्या इस सीमा तक खतरा पैदा हो गया है कि सारे आसाम को अशांत क्षेत्र घोषित करने की अनुमति दी जाय।

यह भी स्मरण रखने की बात है कि कोहिमा और मोकोकचंग क्षेत्रों के लिये यह शक्ति पहिले से ही दे दी गई है। साथ ही इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिये केन्द्रीय सरकार ३ करोड़ रुपये प्रति वर्ष व्यय कर रही है लेकिन फिर भी इन शक्तियों को देने की आवश्यकता हुई है इसका क्या कारण है?

उत्तरी पूर्वी सीमांत अभिकरण में प्रगति के दस वर्ष नामक जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसकी प्रस्तावना में हमारे प्रधान मंत्री जो लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है कि वहां की समस्याओं पर हमें मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना है जिससे हम उनके हृदय और मस्तिष्क पर विजय प्राप्त कर सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

आसाम के राज्यपाल ने भी अपने संदेश में यह कहा है कि उनकी परम्पराओं और स्वभाव को समझे बिना हम उनमें विश्वास और भारत के प्रति एकता की भावना नहीं पैदा कर सकते हैं। क्या इस विधेयक से उक्त दोनों महानुभावों के मत का निराकरण नहीं हो जाता है।

एक ओर हमें बताया जाता है कि स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है दूसरी ओर यह अध्यादेश जारी किया जाता है। यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

यदि नागा विरोधी पाकिस्तान से मिले हुए हैं तो हमें यह बात स्पष्टरूपेण सभा को बता देनी चाहिये। तब हमें ऐसी शक्तियां देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

सेनाओं को मारने की शक्ति देने से उनमें मनोवैज्ञानिक पतन की भावना आ जाती है। हमें यह याद रखना चाहिये कि ये विद्रोही भी भारत के ही नागरिक हैं। अपने देशवासियों को गोली से उड़ाने की शक्ति प्रदान करने के पूर्व हमारे पास पर्याप्त कारण होना अनिवार्य है।

इससे यह भी स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि सरकार शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण उपायों से शांति प्राप्त करने की आशा छोड़ चुकी है इसी से शक्ति का आश्रय लेना चाहती है। इसी कारण इस विधेयक के लिये कोई निश्चित अवधि भी नहीं रखी गई है।

विधेयक का सबसे हानिकर खंड ४(क) है जिसमें विशेष परिस्थितियों में सेना को पांच व्यक्तियों से अधिक के समूह को गोली मार देने की शक्ति प्रदान को गई है। क्या यह सम्भव नहीं है कि यदि पांच से अधिक व्यक्तियों की भीड़ केवल जिज्ञासावश एकत्र हो, और सेना अपनी भाषा में उनसे हटने को कहे जिसे वे न समझ सकें, फलस्वरूप उन्हें गोली मार दी जाय।

यथासमय मैं ऐसा संशोधन पेश करने वाला हूं कि सशस्त्रबलों का प्रयोग न किया जाय। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि सशस्त्र बलों में ऐसी दुर्भावना भरी जाय कि वे भारतीय नागरिकों की हत्या करें।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : विवरण पत्र में यह कहा गया है कि आसाम के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित विनियम की अवधि २२-८-१९५७ को समाप्त हो गई थी। जब यही प्रश्न बजट सत्र के दौरान उठा था तो यह कहा गया था कि स्थिति नियंत्रण में है। तथापि अब समस्त आसाम और मनीपुर को सेना विधि के अन्तर्गत लाया जा रहा है लेकिन उस क्षेत्र को विपत्तिग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। कलकत्ता के पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि स्थिति बिगड़ती जा रही है और स्थिति का रूप भी बदलता जा रहा है पहिले वह देश की आन्तरिक समस्या थी लेकिन अब उसने अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लिया है। क्योंकि यह ज्ञात हुआ है कि फीजो, विद्रोही नेता अपने सहयोगियों के साथ सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया है। तथा नागाओं से पाकिस्तान का गठबन्धन चल रहा है। इस प्रकार समस्या गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। तथापि सरकार का इस समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण है। क्या सरकार नागा विद्रोहियों से इस प्रकार निपटना चाहती है जिस प्रकार अंग्रेज लोग उत्तरी पश्चिमी सीमांत के निवासियों से व्यवहार करते रहे तब निःसंदेह अधिक शक्तिशाली और सैनिक प्रकार की तरकीबें काम में लानी होंगी। किन्तु यदि हमें यह समस्या मानवीय दृष्टिकोण से भाईचारे से सुलझानी है तब हमें अपनी कार्यवाहियों का रूप बदलना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ दिन पूर्व देशभक्त नागाओं का एक सम्मेलन हुआ है जिसका खूब प्रचार किया गया था। इससे सरकार को बहुत आशा थी तथापि शांति होने के स्थान पर सरकार को यह अध्यादेश जारी करना पड़ा और आसाम के राज्यपाल तथा मनीपुर के मुख्यायुक्त को यह शक्ति देनी पड़ी कि वे किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर वहां सैनिकों को जान से मार डालने की शक्ति दे सकते हैं।

कलकत्ता के समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि नागा लोग पहाड़ों को छोड़ कर कचार तथा अन्य जिलों में उतर आये हैं। ये लोग भोजन की खोज में फिर रहे हैं। यदि यही बात है तो समस्या इतनी गम्भीर नहीं है लेकिन वास्तविक बात तो यह है कि समस्या राजनैतिक है। हम ने नागाओं की राजनैतिक मांगें पूरी नहीं कीं फल यह हुआ कि वे असंतुष्ट हो गये और अब पड़ोसी देशों की सहायता ले रहे हैं।

अतः मेरा सुझाव है कि समस्या को सैनिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु राजनैतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये। यदि स्थिति ऐसी है, जैसा कि विवरण में कहा गया है, तो इस समस्या को दूसरे ढंग से हल करना चाहिये तब इतने कठोर उपबन्धों की आवश्यकता नहीं है लेकिन यदि स्थिति कुछ और है, तो उसे सभा को स्पष्ट रूप से बताना चाहिये तब स्थिति के अनुसार हमें नीति अपनानी चाहिये।

अतः मैं न तो इस विधेयक के पक्ष में हूं न विपक्ष में केवल यह चाहता हूं कि विधेयक में इतने बड़े उपबन्ध न रखे जायें।

†**श्री ले० अ० सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मेरे विचार से विधेयक का उद्देश्य २२ मई १९५८ को प्रकाशित अध्यादेश को विधेयक का रूप देना है। कदाचित सरकार इस विधेयक द्वारा नागाओं के उत्तरी कचार, मिकिर पहाड़ियां तथा मनीपुर के संघ क्षेत्र इत्यादि में, सामूहिक रूप से आने में रोक लगाना चाहती है।

मेरे विचार से यह विधेयक नितांत अनावश्यक है। इससे उस क्षेत्र में सुधार होने के स्थान पर कई जटिलतायें पैदा हो जायेंगी। सैनिक पदाधिकारियों ने कोहिमा और मोककचंग के क्षेत्रों में बहुत अत्याचार किये हैं जिससे वहां के आदिम निवासी सेना के विरुद्ध हो गये हैं। ऐसे भी समाचार मिले हैं कि सेना उन आदिम वासियों के, जो अधिकांश ईसाई हैं, धार्मिक स्थानों या संस्थाओं पर बलात् अधिकार जमा रही है। जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को बहुत चोट लगती है अधिकतर वहां के निवासियों को तंग किया जाता है और उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जाता है। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी सेना को कभी अधिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें।

यह विधेयक लोकतंत्र की भावनाओं के प्रतिकूल और प्रतिक्रियावादी है क्योंकि इससे उन क्षेत्रों में अधिक भ्रांति और भय फैलेगा। यह विधेयक विधि विरोधी है तथा इससे वहां की आदिम जातियों को सरकार के विरुद्ध उभाड़ने में सहायता मिलेगी।

आसाम, मनीपुर तथा नागा पहाड़ियों के सीमांत पर सेना के जमाव से ही वहां के लोग प्रसन्न नहीं ह, फिर जब स्थिति में सुधार हो रहा है तो सैनिकों की क्या आवश्यकता है। अतः

†मूल अंग्रेजी में।

मेरे विचार से वहां से सेनायें हटा लेनी चाहियें और सामान्य विधि के अन्तर्गत ही वहां की घटनाओं का निर्णय किया जाना चाहिये ।

जहां तक मनीपुर में विद्रोही नागाओं के सामूहिक रूप से घुसने का सवाल है वे वहां आये जरूर हैं । लेकिन उन्होंने कोई हत्यायें या अत्याचार नहीं किया है तब इतनी कठोर विधि बनाने से क्या लाभ । क्या इससे देशभक्त नागा भी सरकार विरोधी नहीं हो जायेंगे ।

वस्तुतः सरकार की नीति नागाओं के सम्बन्ध में अक्रियात्मक रही है । एक ओर वह फिजो के परिवार के भरण पोशण के लिय ५०० रु० माहवार खर्च कर रही है दूसरी ओर उन्हें इस प्रकार दबा रही है । सरकार को एसी द्वैध नीति छोड़ कर कोई निश्चित क्रियात्मक नीति बर्तनी चाहियें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** (शिवसागर) : मेरे विचार से अधिकांश सदस्य इस विधेयक का समर्थन करते हैं । मंत्रालय ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने के सम्बन्ध में जो नोट परिचालित किया था उससे इस विधेयक की आवश्यकता पूर्ण रूप से न्यायोचित जान पड़ती है ।

वस्तुतः नागा समस्या शांति और व्यवस्था की समस्या ही नहीं है अपितु हमें उन्हें तथा उनके स्वभाव को समझना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि उनके भय और संदेह का क्या कारण है ।

संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार नागाओं के ६ पहाड़ी जिलों को स्वायत्तशासन का अधिकार दिया गया था । तत्पश्चात् उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया । आसाम की पहिली विधान सभा में नागाओं का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था । दूसरी विधान सभा में केवल एक प्रतिनिधि आया वह भी कुछ ही दिन रह पाया ।

कोहिमा अभिसमय के फलस्वरूप उदार नागाओं ने सरकार तथा विद्रोही नागाओं के बीच समझौता करवाने का प्रयत्न किया गया । तथापि कोई ठोस परिणाम नहीं निकला । इसके पश्चात् नागा पहाड़ियों तथा आसाम के तुएंगसांग जिले को आसाम के प्रशासन से पृथक् कर दिया गया । यद्यपि वे शताब्दियों से आसाम निवासियों के साथ भाई भाई की तरह रह रहे थे । इससे उनके हृदय को चोट पहुंची । और सच बात तो यह है कि अभी तक नागा समस्या को हल करने का सही ढंग से प्रयत्न ही नहीं किया गया है । अतः नागा समस्या को हमें सही दृष्टिकोण से देखना चाहिये और उनके हृदय से शंका तथा भय की भावना निकालने का प्रयत्न करना चाहिये आशा है भारत के राजनीतिज्ञ अपने इस प्रयास में अवश्य सफल होंगे ।

†**श्री बसुमतारी** (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि सरकार ने परिस्थितियों से वाध्य होकर ही यह विधेयक प्रस्तुत किया है । वस्तुतः मैं यह बताना चाहता हूं कि उक्त परिस्थितियां क्योंकर पैदा हुई । यदि आप उस क्षेत्र का इतिहास देखें तो आपको ज्ञात होगा कि शताब्दियों से नागा लोग और आसाम के आदिवासी लोग परस्पर मेलमिलाप से रहते थे । अंग्रेजों ने आकर परस्पर भेद की नीति बरती और उन्होंने नागा लोगों को मैदानों में रहने वालों से पृथक् रखने का प्रयत्न किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

फल यह हुआ कि उनके हृदय में भय और शंका पैदा हो गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भी यही नीति अपनाई जा रही है।

वस्तुतः चुनावों के पहिले ये लोग राजनीति के विषय में सरकार से वार्ता करना चाहते थे। अतः हमने श्री ढ़ेबर भाई को मोकोकचांग में आने का निमंत्रण दिया। वे मनीपुर पहुंचे। लेकिन ठीक १५ मिनट पहिले यह ज्ञात हुआ कि वे ढ़ेबर भाई से नहीं मिल सकेंगे। इससे उनके हृदयों में बहुत निराशा और क्षोभ पैदा हो गया और वे हमारा अपमान करने को तैयार हो गये।

तत्पश्चात् कोहिमा अभिसमय हुआ। उस समय भी सरकार को स्थानीय अधिकारियों ने गलत सलाह दी। नागा क्षेत्र तथा तुएंगसांग क्षेत्र को आसाम से पृथक् कर दिया गया। मैं स्वयं एक आदिमवासी व्यक्ति हूं और उनकी भावनायें खूब अच्छी तरह समझता हूं। अतः मेरा सुझाव है कि आप उन्हें भाईचारे, मैत्रीभाव से ही जीत सकते हैं शक्ति या गोलियों के बल पर नहीं। यदि सरकार शक्ति की नीति अपनायेगी तो उसे करारी हार खानी होगी।

†**श्री तुंग सुंग सुइसा** (बाह्य मनीपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं न तो अध्यादेश का समर्थन करूंगा और न ही इस की आलोचना क्योंकि मैं नागा प्रदेश से आया हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय नागाओं में दो विचार थे। एक तो भारत से अलग होना चाहते थे तथा दूसरे भारत के अन्दर रह कर ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे।

इन स्थितियों में मैं क्या कहूं। अभी वहां की हालत खराब है। क्या सरकार मनीपुर क्षेत्र के लिये इस अध्यादेश को उचित समझती है ? क्या इस से समस्या हल हो जायगी ? यदि नागाओं की समस्या अब सरकार ने हल न की तो आने वाली नस्लें इस का दुख भुगतेंगी। चाहे सरकार नागाओं को समाप्त कर दे किन्तु वह दबेंगे नहीं।

सरकार सब कार्यवाही गुप्तचर विभाग वालों की सलाह से करती है और नागाओं से बात-चीत ही नहीं करती। बहुत से नागा सरकार से सहयोग कर रहे हैं किन्तु सरकार उन्हें भी नहीं पूछती इन अध्यादेशों से या सेनाओं से वहां काम नहीं चलेगा। सेना के लोग किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकते। वे तो केवल मारना जानते हैं। इस प्रकार समस्या और भी जटिल होती जायेगी।

वहां के लोग भूखे हैं आप का कर्तव्य है कि वहां सेनायें भेजने के स्थान पर आप उन्हें अनाज भेजें।

हम लोग सरकार के साथ हैं किन्तु सरकार का आचरण ठीक नहीं। तो हम वहां के लोगों को कैसे समझा सकते हैं। नागा जाति के लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिये बाह्य हस्तक्षेप कदापि भी सहन नहीं करते।

नागाओं का भारत से अलग होना भी समझ की बात नहीं क्योंकि न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही शक्ति की दृष्टि से वह अलग रह सकते हैं। जब तक सरकार नागाओं में विश्वास पैदा नहीं करती तब तक यह समस्या सुलझ ही नहीं सकती। आप नागाओं से सेनाओं के वहां ठहराने के बारे में पूछें यदि वह स्वीकार करें तो सेनायें वहां रखिये अन्यथा नहीं।

जब तक सरकार फीजो के दल के लोगों को बातचीत के लिये निमंत्रित नहीं करती तब तक समस्या कैसे हल हो सकती है। आखिर हम सब भारतीय हैं हमें समझौता करना चाहिये। वह शायद पृथक होने की मांग छोड़ दें। हमें इस प्रश्न पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से बातचीत करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

संभव है सरकार इन बातों को पसन्द न करे किन्तु मुझे तो स्पष्टतया यह सारी बातें कहनी ही हैं । सरकार को समस्त नागाओं को समझाना चाहिये और जहां तक संभव हो सके इस समस्या को हमें अहिंसा तथा बातचीत से ही हल करने का प्रयत्न करना चाहिये । अतः मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सब बातों को ठीक तरीके से सुलझायेगी या नहीं ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : श्री भरूचा ने नागा पहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी एक पुस्तिका में प्रधान मंत्री का लिखा प्राक्कलन पढ़ कर सुनाया । सरकार ने जो कहा है वह अब भी उस के एक एक शब्द पर कायम है । यह नीति मानवीय है तथा हम लोग समस्या को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं । सरकार कम से कम शक्ति का प्रयोग करती है । अधिकतर नागा लोग अब स्वतः अपने हिंसात्मक कार्यों की व्यर्थता समझते हैं अतः सरकार से सहयोग कर रहे हैं । नागा हमारे ही देश के नागरिक हैं और सरकार सदैव उन की भलाई चाहती है । सरकार तो रचनात्मक तरीके से ही इस समस्या का हल करना चाहती है और हम पूर्ण सुधार करने की आकांक्षा रखते हैं ।

उस क्षेत्र में दुर्भाग्य से कतिपय लोग ऐसे हैं जो व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो सरकार स्वतः स्थिति को ठीक रखने का यत्न करती है । सरकार शान्त नागाओं की रक्षा के लिए ही तो शक्ति लेती है किन्तु उन शक्तियों को बहुत ही सोच विचार के पश्चात केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बर्ता जायेगा ।

वर्तमान विधेयक नागा पहाड़ी क्षेत्र या कोहीमा क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है । वह आसाम तथा मनीपुर के बारे में है । १९५६ में एक विनियम के द्वारा कतिपय शक्तियां ली थीं । यद्यपि उस के बाद स्थिति में पर्याप्त अन्तर पड़ा किन्तु यही उचित समझा गया कि इस प्रकार के विनियम का रहना निरोधक प्रभाव तो रखेगा ही । दूसरे क्षेत्र में भी यह विनियम लागू है । यह तो केवल आसाम तथा मनीपुर से सम्बन्धित है । दूसरे क्षेत्र की गड़बड़ को एक बड़ी सीमा तक काबू में किया जा चुका है । अब वह आसाम तथा मनीपुर में भी गड़बड़ कर रहे हैं । इसी कारण सरकार ने यह कार्यवाही करनी उचित समझी है ।

यह कहा गया है कि गत संसद के स्थगन के पश्चात अध्यादेश जारी करना पड़ा । जब स्थिति खराब होती है तो प्राकृतिक रूप से अध्यादेश जारी करना ही पड़ता है । इसी कारण यह विधेयक सभा के समक्ष रखा गया है ।

यह विधयक सैनिक कानून नहीं है और न ही यह कोई असाधारण विधि है । बस हम ने यहां यह उचित समझा कि इस विधेयक को संविहित पुस्त पर होना चाहिये । आवश्यकता पड़ने पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है । कई सदस्यों ने कहा कि यह शक्ति सारे क्षेत्र पर ही ले ली गई है । जब यह शक्ति गड़बड़ वाले क्षेत्र के प्रशासन को है तो आसाम तथा मनीपुर के प्रशासन को भी होनी चाहिये ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सैनिक अधिकारी इन शक्तियों का अन्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि सैनिक सहायता के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी उपबन्ध हैं । जब कहीं गड़बड़ हो तो सामान्यतया पुलिस तथा दंडाधिकारी क्षेत्र को सम्हालते हैं । किन्तु जब गड़बड़ फैल जाय तो असैनिक अधिकारी सैनिक सहायता भी मांग सकते हैं और उन्हें

†मूल अंग्रेजी में

दंडाधिकारी के अधीन चलना होता है। यह १२९ से १३१ तक की धाराओं में है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १३१ में लिखा है कि जब लोक स्वरक्षा खतरे में हो तब ऐसी कार्यवाही की जा सकती है। तब जबकि दंडाधिकारी से सम्बन्ध स्थापित न किया जा सके सैनिक पदाधिकारी स्वतः कार्यवाही कर सकता है। जब गड़बड़ वाला क्षेत्र बड़ा हो तब प्रत्येक स्थान पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति भी सरल नहीं होती। यहां जो गड़बड़ वाले लोग हैं वे संगठित हैं तथा युद्धकला में प्रवीण हैं और उन के पास आधुनिक शस्त्र अस्त्र भी हैं। यदि ऐसा क्षेत्र उदाहरणतया विस्तृत हो तो आसाम की सरकार एक क्षेत्र को दंगे वाला क्षेत्र घोषित कर सकती है। किन्तु जब दुर्भाग्य से समस्त ही क्षेत्र में दंगे फिसाद होन लगें तब विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि कार्य सैनिकों को सौंपा जाये। मूल भूत बात यह है कि सेनाओं को वहां उतारा नहीं जा रहा है। माननीय मित्र ने सेनाओं के ठहराने पर जो आलोचना की है वह गलत है। यहां तो हम एक राज्य या क्षेत्र से संबंधित हैं। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिये।

यह कहा गया है कि ज्योंही कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो तुरन्त उस की सूचना पुलिस थाने में दी जाती है। अतः यहां आपात काल सम्बन्धी कोई भी बात नहीं है। जो शक्ति सामान्य विधि के अन्तर्गत पहले ही दी गई है उसे ही तनिक विस्तृत रूप दिया जा रहा है। जब असैनिक अधिकारी नियंत्रण नहीं कर सकेंगे तभी वहां सेना भेजी जायेगी।

श्री भरूचा ने "मृत्यु" शब्द पर आपत्ति की। उन्हों न कहा कि "शक्ति" आदि शब्द क्यों न प्रयुक्त किये जायें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस का यह अर्थ नहीं कि प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी अवश्य ही गोली चलाये। यह तो रोकथाम के लिये है ताकि कुछ दंगाई अपनी कार्यवाही में सफल न हों। इसी कारण यह शब्द रखा गया है।

अतः उन लोगों को यह भी समझना चाहिये कि केवल साधारण सी कार्यवाही ही नहीं की जायगी यदि विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये अन्तिम प्रभावपूर्ण कार्यवाही का आश्रय भी लेना पड़ा तो वह भी लिया जायगा और इस कारण अधिकारियों को शक्ति दी गई है।

आप ने देखा कि इस के अधीन की गई कार्यवाही की सूचना तुरन्त दी जायेगी और आप को पता लगेगा कि न्यूनतम शक्ति का प्रयोग होगा। इसी कारण यह विधेयक यहां रखा गया है।

यह बात नहीं कि समस्त राज्य में यह कानून उन्हें दंगे वाला क्षेत्र बना देगा। वहां निर्वाचित लोकप्रिय सरकारें हैं। हम लोगों पर भी विश्वास करते हैं। यदि वह सारी स्थिति को आंक कर यह देखेंगे कि गड़बड़ एक क्षेत्र में है तो उसे दंगे वाला क्षेत्र घोषित किया जायेगा। यदि गड़बड़ सारे क्षेत्र में हो तो फिर समस्त क्षेत्र को ही दंगा ग्रस्त घोषित किया जा सकता है। शक्तियां उच्च पदाधिकारियों को ही दी गई हैं ताकि वे उन्हें विवेक से प्रयोग करें। फिर सारी सूचना निकटवर्ती थाने को तो भेजी ही जायगी। सैनिक पदाधिकारी भी सोच कर काम करेंगे किन्तु यदि स्थिति खराब हो तो वह मजबूत कदम उठायेंगे।

यह विधेयक कोई असाधारण विधि नहीं। शक्तियों को उचित तरीके से ही प्रयोग किया जायगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि आसाम राज्य और मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र के उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में सशस्त्र बल के सदस्यों को कुछ विशेष शक्तियां देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ४--(सशस्त्र बल को विशेष शक्तियां)

†**श्री नौशीर भरुचा :** मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री ल० अचौ० सिंह :** मैं अपने संशोधन संख्या ४ तथा ५ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, ४ तथा ५ सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है ।

खण्ड ६ तथा ७ विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६ तथा ७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** : प्रश्न यह है :

"खण्ड १, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री बातार** : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम––रक्षित–अनुसूचि आदिम जातियां) :सरकार आई बार यही कहती है कि वह ऐसी समस्याओं का हल मानवीय दृष्टिकोण से करती है किन्तु जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है इस में तो बड़ी बुरी तरह से असफल रही है ।

आज से ८ या ९ वर्ष पूर्व जब प्रधान मंत्री ने विद्रोही से मिलने से इन्कार किया था तभी से यह गड़बड़ शुरू हुई ।

मैं नागस्थान की उन की मांग को उचित समझता हूं जोकि भारत के अन्तर्गत ही एक स्वायत्त राज्य के समान स्तर वाला राज्य बने । मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

स्थगन प्रस्ताव––जारी

दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना

†**श्री गोरे** (पूना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब सभा का कार्य स्थगित किया जाये ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

उस स्थगन प्रस्ताव पर आप की अनुमति के लिये मैं कृतज्ञ हूं । दिल्ली जैसे सार्वदेशिक शहर में पानी की कठिनाई का अनुभव इसी तथ्य से हो सकता है कि इस समय तक सदस्यों को एक भी गिलास पानी पीने को नहीं मिला । अभी तक इस के लिये कोई व्यवस्था भी नहीं की गई । सदस्यों को पानी की कठिनाई हुई है इसलिये ही नहीं वरन् दिल्ली के लाखों लोग जो तकलीफ उठा रहे हैं अतएव मैं ने यह प्रश्न सभा के सामने रखा है । मैं ने माननीय मंत्री श्री करमरकर का भाषण सुना लेकिन उस में सवेरे के समाचारपत्रों की बातें ही दुहराई गई हैं ।

उन्हों ने बताया कि जमुना के अत्यन्त अज्ञात परिवर्तनों के कारण उन के विभाग और इंजीनियरों के लिये कठिन है । दिल्ली तो पुराने जमाने से जमुना के किनारे बसी हुई है । इस जमाने में यह आशा नहीं की जाती कि जब आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियां इतनी विकसित हैं, तब हमें ऐसा कष्ट उठाना पड़े । "भागीरथ" में हमारे इंजीनियरों की प्रशंसा में कहा गया है कि वे किसी से कम नहीं हैं । जब आप दिल्ली को संसार के प्रधान शहरों में से एक बनाना चाहते हैं तो यह साधारण सी बात है कि उस में पानी का पर्याप्त संभरण होना चाहिये ।

अभी कुछ दिन पहिले यह शहर बाढ़ों का शिकार था । बहुत से मकानों में पानी भर गया था और हमारे सचिवालय की नयी इमारत में इतना पानी भर गया था कि नस्तियां और दस्तावेज़ नष्ट हो गये और उस के पन्द्रह दिन बाद ही यह स्थिति आ गई है कि पीने को भी पानी नहीं है । कभी बिजली बन्द हो जाती है और कभी टेलीफोन । ऐसा न हो कि एक दिन हम से यह कहा जाय कि जमुना की बाढ़ से सरकार भी ठप्प हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

मैं यह प्रश्न इसलिये सभा में रख रहा हूं कि जो व्यक्ति इस के लिये जिम्मेदार हैं वे इस पर ध्यान दें । आज घरों में महिलाओं को बड़ा कष्ट है । लोगों को भोजन भी कठिनाई से ही मिलेगा अतएव पानी की यह स्थिति शीघ्र ही हल की जाये ।

जब करोड़ों लोगों के कष्ट और असुविधा का प्रश्न है तब मंत्री को स्वयं उस में कार्यवाही करनी थी परन्तु मैं देखता हूं कि हमारी सरकार अत्यन्त लापरवाही बरत् रही है । स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये अनेकों प्रकार के कारण दिये गये हैं । पिछले दिनों ऐसी ही स्थिति आने पर एक समिति बनाई गई थी उस ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये थे और अभी तक उन पर पूरा अमल नहीं किया गया । मंत्री जी ने कहा कि हम ने बचाव करने वाली दीवाल बना ली है परन्तु क्या कारण है कि अभी तक उस समिति के सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? उस में एक बांध या वियर बनाने की सिफारिश की गई थी जिस से कि दिल्ली को पर्याप्त पानी मिल सके ।

बांध या वियर बनाने का कार्य कठिन नहीं है क्योंकि दो तीन यांत्रिकी साथ मिल कर उसे बना सकते हैं और हम यह काम उन्हें सौंप सकते थे परन्तु लाखों लोगों को पानी देने के इस महत्व-पूर्ण प्रश्न की उपेक्षा की गई है ।

दिल्ली में सारे संसार के देशों के दूतावास हैं यदि उन्हें पानी न मिला तो क्या वे हमारी सरकार की अक्षमता पर कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे । अतएव मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति उस स्थिति के लिये उत्तरदायी हैं उन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।

समिति ने जो तीन सुझाव दिये थे वे इस प्रकार हैं । उस ने यह भी सुझाव रखा था कि इस के लिये यदि आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई जाय । पहिला सुझाव यह था कि नजफ-गढ़ नाले को इस प्रकार नियंत्रित किया जाय जिस से कि उस का पानी जमुना में मिल कर उसे गन्दा न कर सके । कुछ हद तक यह योजना पूरी हो गई है परन्तु जब जमुना में बाढ़ आती है, मंत्री जी के कथनानुसार गन्दे पानी से जमुना के पानी को बचाना असंभव हो जाता है परन्तु बाढ़ें तो हमेशा ही आयेंगी अतएव यह आवश्यक था कि यह आवश्यक कार्य इसी वर्ष पूरा कर लिया गया होता ।

दूसरी योजना नदी के ऊपर एक बांध बना कर उस में पानी का संग्रह किया जाय । परन्तु यह अभी तक नहीं किया गया । तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि दिल्ली जैसे विशाल और बढ़ते हुए शहर के महत्व को देखते हुए जमुना के अलावा किसी अन्य जल संभरण के साधन की आव-श्यकता है । समिति ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि "केवल जमुना के पानी पर निर्भर न रहा जाय ।" दिल्ली से दस मील दूर सदैव बहने वाली हिंडन नदी है । वह आगरा नहर में जा कर मिलती है । यदि हम उस के पानी का उपयोग कर सकें तो दिल्ली में पानी की कमी न होगी । इस पर कुछ लोगों ने यह कहा था कि वहां पुल और रेल की लाइन बन रही है अतएव पाइप लाइन डालने में कठिनाई होगी परन्तु अब वह कठिनाई नहीं है । अतएव ४०" व्यास वाली पाइप लाइन बिछा कर हिंडन नदी के पानी से दिल्ली की जल संभरण समस्या को हल किया जा सकता है । ऐसा कहा जाता है कि हिंडन नदी में पहिले से ही एक छोटी नहर है जिस के द्वारा १२०० क्यूजेक्स पानी आगरा नहर में जाता है ।

जब समिति ने दो वर्ष पहिले सुझाव दे दिये थे तब मंत्री महोदय का यह कहना कि काम चल रहा है और वह अभी पूरा नहीं हुआ, इस आवश्यक मामले में उन की अक्षमता ही प्रगट करता है । इस से सरकार को शिक्षा लेनी चाहिये और इस मामले में ढील ढाल नहीं करनी चाहिये ।

ऐसा कहा जाता है कि इस शहर में पानी जल्दी और कम गहराई पर निकल आता है फिर आकस्मिकता एवं आपत् काल के लिये पाताली कुओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई । इन कुओं का पानी अत्यन्त शुद्ध और अच्छा होता है । जब काफी जल संभरण रहता तो वे अतिरिक्त जल पूर्ति का साधन हो सकते थे ।

अतएव मैं सभा के समक्ष सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ठोस और शीघ्रतम कार्यवाही की जाय । माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे ।

सभा, यहां तक कि कांग्रेस के सदस्य और मंत्रिमंडल इस मामले में एक हैं । स्वास्थ्य मंत्रालय को अपने अधिकारियों को यह चेतावनी दे देनी चाहिये कि अब उन की लापरवाही के लिये उन्हें क्षमा नहीं किया जायगा ।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकार किये जाने पर जोर देता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भाषणों के लिये १५ मिनिट का समय है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : मैं पानी की समस्या पर सवेरे ही कह चुका हूं । अब प्रश्न यह है कि हमें पानी शीघ्र ही मिले और दूसरा प्रश्न यह है कि वह कितना कम दूषित होगा ।

जहां तक पानी के दूषित होने का प्रश्न है पीलिया जांच समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि यदि हमें अब पानी प्राप्त भी होगा तो वह दूषित होगा ।

मैं इस शहर में जल संभरण की आवश्यकता पर कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं इस प्रकार की स्थितियों में शहर के असमान्य जीवन की ओर ही ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । दुर्भाग्य से पीलिया फैलने पर अनेकों लोग बीमार हुए और अनेकों मर गये । अभी हाल में एक बाढ़ आई थी और कुछ दिनों तक नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का सम्पर्क टूट गया था । साथ ही टेलीफोन का संम्बंध भी टूट गया था । मुझे मालूम हुआ है कि कुछ लोगों ने पानी के अभाव में पौधों की सिंचाई के काम आने वाले पानी को पिया है । इस से दूषण[1] का खतरा है ।

सरकार ने इस समिति के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया । पीलिया जांच समिति ने सुझाव दिया था कि जमुना पर निर्भर न रह कर उस के अलावा अन्य कहीं से जल संभरण की व्यवस्था की जाय । इस के लिये उस ने तीन योजनाओं की सिफारिश की थी । उस की रिपोर्ट दो वर्ष पहिले आ चुकी है परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हें १५ तारीख को ही यह पता लगा है कि जल संभरण बन्द हो जायगा अथवा उस के बन्द होने की संभावना है पर उन्होंने जनता को उस की कोई सूचना नहीं दी ताकि वे पानी का संग्रह कर सके । आदमी बिना भोजन के एक या दो दिन रह सकता है पर पानी के बिना नहीं रहा जा सकता । वास्तव में यह अत्यन्त लापरवाही और जनता के जीवन की महान उपेक्षा है ।

समिति ने पानी की समस्या को हल करने के लिये एक दीर्घ कालीन और दूसरा अल्पकालीन उपाय सुझाया था । समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि जब तक स्थायी हल के अभाव में कोई अस्थायी उपाय नहीं किया जाता तब तक उसी प्रकार की आपत्ति हर वर्ष आती रहेगी । हर साल बाढ़ समाप्त होने पर पानी पीछे हट जायगा और यह कठिनाई उत्पन्न होगी अतएव जनता को तक़लीफ़ से बचाने के लिये फिलहाल में कोई उपाय किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Contamination.

समिति ने अपनी रिपोर्ट में दूषण के बारे में एक लम्बा अध्याय लिखा है और उस सम्बन्ध में सभा में भी काफी चर्चा हो चुकी है। अतएव मैं उस पर कुछ कह कर समय नष्ट नहीं करना चाहता। समिति ने लिखा है:

"अक्तूबर के अन्त में जल दाय विभाग के इंजीनियर को यह पता लगा कि शायद अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष नदी दूसरे किनारे की ओर अधिक हट रही है। उसकी पुष्टि ३ नवम्बर को हुई।"

"९ नवम्बर को हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि स्पष्टतः नदी अधिक तेजी से दूसरे किनारे की ओर हट रही थी और पानी लेने के स्थान पर पानी कम होता जा रहा था।"

इसके आगे रिपोर्ट में न केवल पानी की कमी होने वरन् उसके दूषित होने पर भी प्रकाश डाला गया है। दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड तथा पीने के पानी की व्यवस्था की खामियों का भी उल्लेख किया गया है और इन्हें दूर करने के लिये साधन भी सुझाये गये हैं।

चूंकि हर साल बाढ़ के बाद यमुना की धारा पानी लेने के स्थान से दूसरे किनारे की ओर हट जाती है तथा बाढ़ में जमुना का पानी नजफ़गढ़ नाले के कारण दूषित हो जाता है अतएव जल संभरण की दूसरी स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये। कम से कम इस स्थिति से बचने के लिये अस्थायी उपाय तो किये ही जाने चाहियें फिर इन अस्थायी उपायों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया?

दूसरी बात यह है कि उस दूसरी जल संभरण की व्यवस्था शीघ्र हो, इस पर समिति ने ज़ोर दिया था अन्यथा दूषण का खतरा बना रहेगा फिर सरकार ने उसे सब से अधिक प्राथमिकता क्यों नहीं दी।

१५ अगस्त को सम्बन्धित अधिकारियों को मालूम हुआ कि पानी बन्द हो जायगा। इस सम्बन्ध में सवेरे १५ अगस्त के "टाइम्स आफ इंडिया" से उद्धरण दे चुका हूं कि इंजीनियरों को यह मालूम था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगी फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया उसी पत्र में आगे बताया गया है कि यदि यत्र तत्र कुछ कुएं या पाताली नल होते तो लोगों को इतनी मुश्किल न होती। समिति के चेतावनी देने पर भी कि जमुना पर अधिक निर्भर न रहा जाय और अस्थायी व्यवस्था की जाय और यदि बाढ़ के बाद पानी मिला भी तो वह दूषित होगा, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमें इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये अतएव मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय इस प्रश्न पर कुछ कहना नहीं चाहता परन्तु शायद सभा ताज़ी जानकारी को जानने की इच्छुक होगी जो हमें अभी दी गई है। माननीय श्री गोपालन ने यह सवाल किया था कि पानी मिलना कब शुरू होगा? आज सवेरे से नहर काटने का काम चल रहा है और सब से ताज़ी खबर है कि हम २-या ३ घंटे आज शाम को ५ बजे से ७ बजे तक और शायद अधिक समय तक पानी दे सकेंगे। हम आशा करते हैं कि कल शाम तक स्थिति पहिले के समान लगभग सामान्य हो जायगी।

जहां तक श्री गोपालन के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है अर्थात् पानी के गन्दे होने के बारे में, तो उस खबर में उसके लिये कुछ नहीं कहा गया है परन्तु यह निश्चय ही उचित होगा कि खतरे से बचने के लिये पीने के पानी को उबाल लिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस पानी की समस्या पर जो कि दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, बोलने का मौक़ा दिया है और जो स्थिति आज पैदा हो गई है उस पर मैं अपने विचार इस सदन के सम्मुख रख सकूं ।

यह पानी का मसला इस दिल्ली शहर में बहुत अर्से से चला आ रहा है और बार बार इस सभा के अन्दर भी यह प्रश्न आता रहा है और इसको हल करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया जाता रहा है । यह भी कहा जाता रहा है कि दिल्ली में लोगों को पानी पर्याप्त मात्रा में उत्पलब्ध नहीं होता है । हमें देखना यह है कि जहां आज हम इस प्रश्न पर वाद-विवाद कर रहे हैं वहां किन कारणों से और बावजूद इसके कि सरकार ने बार बार हमें यकीन दिलाये हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम भी उन यकीनों को सामने रख कर आगे चलते हैं, यह मसला पूरी तरह से हल होने में नहीं आया है ।

इसके पहले कि मैं विरोधी दल के वक्ता श्री गोरे जी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में अपने विचार प्रकट करूं, दो चार बातें कह देना मुनासिब समझता हूं ताकि दिल्ली में पानी की जो स्थिति इस वक्त है वह स्पष्ट हो जाये ।

अगर आप जो सरकारी रिपोर्टें और वक्तव्य समय समय पर दिये गये हैं उनको सामने रखें तो आपको ऐसा लगेगा कि सन् १९४१–४२ में दिल्ली में जो पानी की आवश्यकता थी वह १६ लाख गैलन थी और बढ़ते बढ़ते सन् १९५६–५७ में यह ५६ लाख के क़रीब आ चुकी है और आजकल यह करीब करीक ६० या ६२ लाख गैलन तक पहुंच चुकी है । इस वक्त दिल्ली में जो वाटर एण्ड स्यूएज बोर्ड काम कर रहा है और जिसकी नियुक्ति सरकार ने कुछ अर्से पहले की थी और जो आजकल दिल्ली कारपोरेशन के आधीन है, उसके चेयरमैन् एक विरोधी दल के सदस्य हैं जिनका नाम श्री भारद्वाज है और जो जनसंघ के हैं । जहां हम सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार ने पानी की सप्लाई चालू रखने में जो कोताही की है उसकी चर्चा करते हैं वहां हमें यह भी देखना है कि जो हमारे गैर सरकारी नेता होते हैं, क्या वे भी अपना कर्तव्य भली-भांति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो स्थिति आज पैदा हो गई है और जिस गम्भीर रूप में वह पैदा हो गई है, उसमें मैं समझता हूं कि कुछ परमात्मा की तरफ़ से चेतावनी भी है कि जब कभी भी हम ऐसी नियुक्तियां किया करें तो कुछ सोच विचार कर किया करें। विरोधी दल के लोग बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जब समय आता है तो बिल्कुल फेल हो जाते हैं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वाटर और स्यूएज बोर्ड जो इस वक्त बना हुआ है उसके सामने दो बाधायें रहती हैं । एक बाधा तो यह कि उसका जो काम चलता है वह लाभ-हानि बराबर अर्थात् लागत पर चलता है और इस पर चलने से जो पानी की समस्या है वह हल नहीं हो सकती है । साथ ही सरकार की ओर से उसको सहायता नहीं मिलती है और लगातार यह सावल सरकार के सामने रखा जाता रहा है कि अगर पानी की समस्या को हल करना है तो लागत पर इसका हल निकाल सकना कठिन है । दूसरी चीज यह है कि वाटर एंड स्यूएज बोर्ड जो इस वक्त पानी की समस्या को हल करने में लगा हुआ है उसके सामने जब सब स्कीमें आती हैं और वह उन स्कीमों को सरकार के सामने रखता है तो उसकी जो रकम बैठती है वह बहुत अधिक होती है और उन रकमों को उसको ऋण के रूप में दिया जाता है जिन पर ब्याज लिया जाता है । तो जिस अभिकरण को यह कार्य करना है अगर आप उसके हाथ पांव बांध देते हैं और साथ ही आप यह चाहते हैं कि वह इस समस्या को वार-बेसिस पर या लड़ाई के दौरान में जिस तेजी के साथ काम होता है उस तेजी के साथ हल करे तो यह कठिन मालूम देता है । तो इन दोनों कठिनाइयों की ओर मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या हल हो तो पहले इन

रुकावटों को आपको फौरन ही दूर कर देना चाहिये जहां तक वाटर सप्लाई का ताल्लुक़ है दिल्ली के वाटर एण्ड स्यूएज बोर्ड के हाथ पांव आपको नहीं बांधने चाहियें और उनको जितना भी रुपया चाहिये वह सरकार उसको दे । आप उसको रुपया दें और फिर यह कहें कि उस पर ब्याज दिया जाये तो मैं समझता हूं यह गैर-मुनासिब बात है । अगर आप चाहते है कि वह अभिकरण जो इस समस्या को इस वक्त हल करने में लगी हुई है वही इसको करे तो आपको इन दोनों बातों पर विचार करना होगा और जब तक इन दोनों चीज़ों को आप नहीं हटायेंगे, तब तक मैं यह समझता हूं कि जितनी बातें आप वाटर एण्ड स्यूएज बोर्ड से मांगते हैं या उसके सामने रखते हैं वे पूरे तौर पर तथा उतनी तेज रफ्तार से तय नहीं हो सकती हैं जितनी तेज रफ्तार से कि आप चाहते हैं वे तय हों या जितनी रफ्तार से आप उनको करवाना चाहते हैं ।

आज सुबह हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बात को कहा कि इस दफ़ा यमुना बहुत तेज़ी से रिसीड कर गई तथा एक किनारे से दूसरे किनारे चली गई और इस चीज़ की सम्भावना उनको नहीं थी । मैं माननीय मंत्री जी से तथा इस सदन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप रिपोर्ट जो कि आपके पास सन् १९५५ से अब तक आती रही हैं उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी साल की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिस में यह न कहा गया हो कि यमुना का पानी हर साल इस वक्त हटता है और एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ़ जाकर लग जाता है । यह कोई नई बात इस साल या इस बार नहीं हुई है । ऐसी यह बात नहीं है जिस का सरकारी अफसरान को या वाटर एंड स्यूएज़ बोर्ड के अफसरान को जोकि यह काम करते हैं उनको इसका पता न हो कि इस साल यह नहीं हटेगा । अगर आप १९५५–५६ की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को साफ़ तौर से लिखा हुआ है कि "नदी की हालत वर्ष के दौरान में ठीक नहीं थी । नदी ने दूसरे किनारे की ओर अपना बहाव बदल दिया है" । इसके आगे चल कर यह लिखा हुआ है : "सेना के इंजीनियरों की सहायता से . . . . . .

इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है । इसी तरह से अगर आप १९५६–५७ की रिपोर्ट को देखें तो यही बात उसमें भी आपको मिलेगी । इन दोनों रिपोर्टों में भी कहा गया है कि जमुना अपना बहाव बदला करती है और उस वक्त दिक्कत पैदा होती है और नहर बनना चाहिये जिस से कि पानी उस रास्ते लाया जा सके और पानी की सप्लाई में रुकावट न हो । जब चीज़ आपके सामने पिछले तीन चार साल से हर साल बराबर आ रही है तो कोई वजह नज़र नहीं आती है कि वक्त से पहले इस पर ध्यान न दिया जाय और इस पर गौर न किया जाये । आपको इस सम्भावना पर विचार कर लेना चाहिये था कि अगर यमुना बहाव बदलेगी तो उस वक्त पानी की क्या हालत होगी । शहर के अन्दर हफड़ा दफड़ी मच गई है । लोक सभा के मेम्बर साहिबान नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में रहते हैं और पुरानी दिल्ली के मुक़ाबले यहां पानी हमेशा ज्यादा आता है और चौबीस घंटे आता रहता है और ज्यादा साफ और सुथरा आता है । मैं आपका ध्यान उस तरफ़ दिलाना चाहूंगा जहां पर पानी की इतनी दिक्कत महसूस की जाती है कि कुछ ठिकाना ही नहीं । आज लोक सभा के मेम्बरान साहिबान को आठ-दस घंटे पानी न मिलने से इतनी घबराहट और तक़लीफ़ हो रही है ।

मुझे इस बात का पूरा एहसास है क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं कि जिन्हें आज सवेरे से पानी नहीं मिला और जिसने खाना भी नहीं खाया है । लेकिन दूसरे भी लोग हैं जिनकी भी यही हालत हो रही है ।

जब आपको आज यहां बैठ कर पानी के बारे में इतनी तकलीफ इतनी बेचैनी और परेशानी और दिक्कत है तब मैं आपका ध्यान दिल्ली के रहने वालों में से एक के खयाल से आपकी नज़र में लाना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि आप गम्भीरता से सोचें और जो मैंने पहले आप से कहा कि अगर

आप चाहते हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या हल हो तो आपको उन सुझावों पर जो मैंने अभी दिये हैं वाटर एण्ड स्यूएज बोर्ड के सम्बन्ध में उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। आप को उस बोर्ड को खुली छुट्टी देनी होगी। यह सभा सक्षम है। और सरकार भी मैं समझता हूं कि सब कुछ कर सकती है और उसे करना चाहिये। मैं उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन की तरफ आपका ध्यान जाना लाज़िमी है। जब आप इस मसले पर गौर करते हैं तो आपको दोनों तरफ की बातों पर विचार करना पड़ेगा और तब इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। सन् १९५५–५६ और १९५६–५७ की रिपोर्टों में यह बात बार बार कही गई है और इस बोर्ड की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम को यह कहा गया है कि हमारा जो काम है वह नो-प्राफिटनो-लास बेसिस पर चलना चाहिये। इसको कोई सहायता नहीं दी जाती, और जो रुपया दिया भी जाता है वह ऋण के तौर पर दिया जाता है। उस रकम पर ब्याज लिया जाता है, जिस का अदा करना भी इस वाटर एण्ड सीवेज बोर्ड के लिये लाजिमी है। जो भी हमारे माननीय सदस्य यहां तशरीफ फर्मा हैं, मैं आपकी बसातत से उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमें इस पर गौर करना चाहिये, बड़ी गम्भीरता से हम को गौर करना पड़ेगा, कि अगर हम यह चाहते हैं कि दिल्ली की वाटर सप्लाई वार बेसिस पर, लडाई के तौर पर चले और हम इस समस्या को हल कर सकें तो हमें इसका एलान कर देना चाहिये कि हम वाटर सीवेज बोर्ड के लियेहद् को खत्म करते हैं, हम उन्हें उतना रुपया देंगे जितना उनको चाहिये। आज मिनिस्टर साहब ने कहा कि वह लागत पर पानी दें, तो मैं उनसे यह कहूंगा कि जो भी रुपया उसने दे दिया है वह उसे वापस किया जाय और साथ में ब्याज भी वापस किया जाय।

तो मैं आप से अर्ज कर रहा था कि मन्त्री महोदय ने सवेरे यह बात कही थी कि यमुना का पानी एक किनारे से दूसरे किनारे चला गया। और वह बहुत तेजी से गया। इतनी तेजी से कि १५ तारीख को वह मालूम हुआ और १७ तारीख को इतनी दूर चला गया कि कोई नहर नहीं रही जो कि इनटेक को पानी देती और सारे शहर में पानी आता। मैं मन्त्री महोदय से इस मौके पर अर्ज करूंगा कि हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सन् १९५५–५६ की प्रशासकीय रिपोर्ट में, सन् १९५६–५७ की प्रशासकीय रिपोर्ट में और इस पीलिया की रिपोर्ट में से हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री गोरे और श्री गोपालन साहब ने जो कुछ बताया है, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रक्खें तो यह चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बात मानी गई थी कि पानी हटता है और नहर कटती है, हमेशा पानी की तक-लीफ होती है और अगर यह चीज तीन चार सालों से महसूस हो रही हैतो कोई न कोई तरीका ऐसा जरूर अख्त्यार किया जाना चाहिये था कि जो हालत आज दिल्ली की हुई है, और जो कि हमारी जिन्दगी में आज तक कभी देखने में नहीं आई, कि एक तरफ तो यह बात कानों में आई कि सारे शहर में बाढ़ की वजह से पानी भर गया और दूसरी तरफ हम लोग सारे के सारे पानी के मोहताज हो गये आइन्दा यह न हो। हमारी सरकार को इस तरफ खास तौर पर तवज्जह देनी चाहिये।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक इन कमेटियों के जरिये जितनी सिफारिशें सरकार के सामने आई हैं उन पर कितना अमल हुआ है। मैं नहीं कहता कि कोई कदम नहीं उठाये गये। नजफ-गढ़ नाला का ज़िक्र किया जाता है कि उसके लिये ६५ लाख रुपये मंजूर किये गये। वह नाला करीब करीब तैयार था, कुछ थोड़ी सी कसर रहती है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि इससे पहले उस को तैयार हो जाना चाहिये था क्योंकि उस की वजह से आज दूषित जल का खतरा हुआ है।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : करीब करीब पूरा नहीं हुआ है, चौथाई हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ।

श्री राधा रमण : श्री नायर जी जो इस तरह फरमाते हैं, हो सकता है कि उनको इस की ज्यादा वाकफियत हो, लेकिन मुझे जो वाकफियत थी उसके अनुसार मैंने बताया कि वह नाला बनना शुरू

हुआ, वह नाला खत्म नहीं हुआ, हालांकि होना चाहिये था, उसके खत्म न होने से जो दुःख आया है उसका बयान नहीं किया जा सकता । इसी तरह से आपने एक बार यह फैसला किया कि हिन्डन से पानी लाया जाय, दस मील का फासला है और उस के लाने के लिये कुछ तलाश भी हुई, कुछ फैसले भी हुए । लेकिन आखिरकार उस में दिक्कतें आईं । जब वह आईं तो उस के बाद वह दिक्कतें भी दूर हो हो जानी चाहिये थीं । मैं समझता हूं कि कोई न कोई अतिरिक्त व्यवस्था करना बहुत जरूरी था । लेकिन हमारी सरकार उल्टे जितने कुएं शहर में थे उन्हें बन्द करा दिया, जितने पानी के साधन थे या हैंड पम्प थे उनको बन्द करा दिया, यह कह कर कि इस से पानी दूषित होता है और वह लोगों को नहीं दिया जा सकता । लोग उस पानी को सदियों से पीते आये हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई । आज आधुनिक विज्ञान के जमाने में चाहिये कि लोगों को अच्छे से अच्छा पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, लेकिन अगर हम उतना स्वच्छ पानी लोगों को नहीं दे सकते जितना कि उनको चाहिये, तब तक पानी के पुराने साधनों को बन्द नहीं करना चाहिये । इस विज्ञान के युग में जितना पानी लोगों को मिलना चाहिये अगर हम उतना नहीं दे सकते तो उस वक्त तक कम से कम उन कुओं को, जो शहरों में सैकड़ों बरसों से मौजूद हैं, जिसके पानी से कोई मृत्यु नहीं हुई थी, उन को बन्द करना कोई मुनासिब बात नहीं है । जो हैंड पम्प शहर में घरों के अन्दर लगे हुए थे, जिन के पानी को पी कर हजारों इंसान जिन्दा रह सकते थे, उन को बन्द कर के लोगों का मुसीबत में डालना ठीक नहीं है । आज गांवों के अन्दर ही नहीं, दिल्ली शहर में पानी की दिक्कत फैली हुई है, उस वक्त में मैं समझता हूं कि ऐसा करना मुनासिब बात नहीं है ।

इस लिये सरकार को अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारी और लोगों की तकलीफ को ध्यान में रख कर कोई न कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये जिस के जरिये इस बीमारी का सही इलाज हो सके । हर साल हम इस के ऊपर यहां चर्चा करें, हर साल इस चीज के बारे में सरकार के खिलाफ कोई स्थगन प्रस्ताव रक्खा जाय, और यह बात कही जाय कि सरकार उस का इन्तजाम नहीं कर सकती, यह मुनासिब बात नहीं है ।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि जो दिक्कतें साफ पानी देने के बारे में सरकार के सामने आती हैं उन को हर कदम पर और इस तरीके से सामने रख कर दूर किया जाय कि वह जल्दी खत्म हों और हमेशा के लिये यहां के रहने वालों को, संसद् सदस्यों सहित यह यकीन दिलाया जाय, यकीन ही नहीं यह भरोसा दिलाया जाय, कि आइन्दा आने वाले जमाने में कभी ऐसा मौका हमें देखने को नहीं मिलेगा जो आज कल देखने को मिला है ।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप किसी दूसरे सदस्य को बोलने के लिये बुलायें, मैं आपका ध्यान श्री राधा रमण द्वारा मेरे दल पर, भारतीय जनसंघ पर लगाये गये आरोप की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने अपने भाषण में यह आरोप लगाया है कि वाटर एण्ड सीवेज बोर्ड के चेअरमैन एक जनसंघ के सदस्य हैं और जो भी जल की कमी पैदा हो गई है उस के लिये वह भी जिम्मेदार हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इस वाद-विवाद में जनसंघ कहां से आ गया ? जो कारपोरेशन है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुमत है और इस से बढ़ कर जो भी जल की कमी हुई है उसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनसंघ का जो नाम इस में खींचा गया है उसको उनको वापस लेना चाहिये ।

एक बात और मैं कहता हूं । वाटर ऐंड सीवेज बोर्ड के जो जनसंघ के चेअरमैन हैं उन्हें यह आदेश देने के लिये तैयार हूं कि वह अपना त्याग पत्र दे दें । क्या कांग्रेस पार्टी में इतना सहास है कि वह अपने स्वास्थ्य मंत्री को यह आदेश दे कि वह भी अपना त्याग पत्र दे दें ?

डा० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं हार्दिक दुःख प्रगट करते हुए बोल रही हूं क्योंकि इस दुर्घटना से दिल्ली के लाखों लोगों को महान् कष्ट हुआ है और यह दुर्घटना टाली जा सकती थी। जहां जल दाय विभाग स्थित है वहां से पानी के दूसरी ओर हटने की कठिनाई कोई नई नहीं है। हर साल हजारों आदमी तथा सेना एक अस्थायी नहर खोदने के लिये लगाई जाती है और हजारों लाखों रुपया बरबाद किया जाता है जिससे कि पानी जलदाय विभाग तक आसके। १० या १५ साल से ऐसा हो रहा है फिर भी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई, यह चिन्ता की बात है।

हमें अपने इंजीनियरों पर गर्व है। उनकी चातुरी भी प्रशंसनीय है। उनकी सहायता से एक पक्की स्थायी नहर बनवायी जा सकती है जिससे कि हर साल नहर खोदने का काम न करना पड़े।

जमुना का प्रवाह बनाए रखने के लिये दूसरी बात यह भी हो सकती है कि यू० पी० सरकार से कुछ क्यूजेक पानी जमुना में साल भर तक देने के लिए कहा जाए। कहा जाता है कि कुछ समय पहिले उत्तर प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कहा गया था परन्तु वह इसके लिये तैयार नहीं हुई। इसमें जरूर ही कहीं गलतफहमी हुई है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार से उचित ढंग से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि वह इसके लिये तैयार न हो।

मुझे बताया गया है कि बरसात तथा बाढ़ के पानी को जमा करने के लिए जमुना के ऊपरी पहाड़ी हिस्से में बांध बनाने की योजना थी। यदि यह बांध बन जाता तो दिल्ली में पानी का प्रश्न तो हल होता ही साथ ही पंजाब तथा उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिये भी पानी मिल जाता। पानी की इस तंगी के बार बार होने पर भी यह योजना क्यों कार्यान्वित नहीं की गई।

हिंडन नदी की छोटी नहर से पानी लाने का उल्लेख भी किया गया है। यह योजना भी पूरी नहीं की गई। हमारे कुछ पड़ौसी शहरों में १४, २५ और ३० मील दूर तक से पानी लाया गया है फिर यहां क्यों नहीं लाया गया ?

जब कभी भी पानी की कमी होती, हम उत्तेजित हो जाते हैं। हजारों आदमी, सेना, बुलडोजर आदि लगा दिए जाते हैं। श्रमदान की चर्चा होती है परन्तु आकस्मिकता अथवा संकट दूर होते ही हम उसे भूल जाते हैं। सरकार आराम की नींद सोने लगती है। इस सम्बन्ध में दिल्ली राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन भी किया है परन्तु वह केवल नस्तियों में बंधा पड़ा है और यहां पीलिया फैल रहा है, और पानी की कमी है। बच्चे प्यासों मर रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि पीलिया केवल जमुना के पीछे हटने से नहीं होता क्योंकि नजफगढ़ नाला पहिले भी था परन्तु उससे पानी का दूषण नहीं होता। चूंकि नजफगढ़ में नई बसाई गई तिलक नगर, रमेश नगर आदि बस्तियों का मल आदि बहता है, यह दूषण होता है। इस सम्बन्ध में साधुओं और अन्य लोगों ने भी अभ्यावेदन दिया था कि जब वे यमुना में स्नान करने जाते हैं तो उनके शरीर पर मैला लग जाता है। हमने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और उसके परिणामस्वरूप हजारों जानें चली गईं।

कम से कम पिछले पांच वर्षों से यह स्थिति है। मैं यह सुनती आ रही हूं कि इन नई बस्तियों के लिए एक नई मल प्रवाह प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी सौजन्यता के साथ प्रधान मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हम अपनी योजनाओं को आंशिक रूप से पूरा करते हैं और नजफगढ़ नाले के कारण होने वाली दुर्घटना इसी का परिणाम है।

दूषण को बचाने के लिये पहिले जमुना में नजफगढ़ के प्रवाह को रोका जाए और उसमें केवल बाढ़ का पानी ही बहने दिया जाए। उसके अलावा दूषण को वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए। मैं इससे सहमत हूं लेकिन पानी में केवल सूक्ष्म कीटाणु ही नहीं रहते वरन् कीड़े भी होते हैं। उसमें न केवल अमोबियन के कारण ही वरन् क्लोरिन के कारण भी दूषण होता है। यह क्लोरिन द्वारा भी दूर नहीं हो सकता। क्लोरिन दिये जाने पर भी हमारे यहां स्वचालित प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा क्योंकि ऐसा कहा गया है कि उसमें अधिक खर्च आएगा। पहिले म्युनिसिपैलिटी के अन्तर्गत दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड अपनी लागत की कीमत पर स्वच्छ पानी दिया करता था आज जब वह नगर निगम का एक अंग है तब यदि इसमें अधिक खर्च आता है तो निगम को उसे पूरा करना चाहिए और दिल्ली की जनता को स्वच्छ तथा शुद्ध पानी देना चाहिए।

इसके बाद जल संभरण की दूसरी व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगी कि अधिक पानी के संग्रह की आवश्यकता है। बम्बई में इतना पानी संग्रह रहता है कि कम से कम दो दिनों तक लोगों को पानी मिलता रहे। दिल्ली में जल-संग्रह केवल ४ या ६ घंटों के लिये ही रहता है। यदि हम अपनी जल-संग्रह की क्षमता को बढ़ा देते तो हम इस कठिनाई का सामना कर सकते थे।

अन्य जल संभरण योजना के लिए हिंडन नदी से पानी लाने का सुझाव अच्छा है परन्तु मैं समझती हूं कि श्री राधारमण के कुओं तथा पाताली नलों को ठीक बनाए रखने का सुझाव भी संकट काल के लिए अच्छा है। आज भी लोग घड़े लेकर कुओं की ओर ही दौड़ रहे हैं। नलों में चाहे जब खराबी हो सकती है। हमारी पाइप लाइन को नष्ट किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुएं और पाताली नलों से ही काम चल सकता है।

जहां तक लोगों को विश्वास या आश्वासन दिलाने का प्रश्न है, प्रधान मन्त्री ने ठीक ही कहा है कि पानी को उबाल कर पिया जाए परन्तु स्वास्थ्य अधिकारियों ने आम लोगों को ऐसी कोई सूचना नहीं दी और वे बिना उबला पानी ही पी रहे हैं।

जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड की दक्षता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें केवल आर्थिक समस्या ही सामने नहीं आती वरन् पानी का व्यर्थ खर्च होना भी है। शहर में टूटे नलों और पाइपों से बहुत सा पानी व्यर्थ ही बहता है परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड, निगम के अधीन है फिर इसमें कुछ अधिक आदमी रख कर इस पानी की बरबादी को क्यों नहीं बचाया जाता ?

इस सम्बन्ध में हमारा भी यह कर्त्तव्य है कि हम जनता को इस पानी की बरबादी को रोकने की शिक्षा दें। श्री राधा रमण ने कहा है कि दिल्ली में ६० लाख गैलन पानी लगता है परन्तु आज दिल्ली की आबादी काफी बढ़ गई है और उसके अनुसार जल संभरण में बढ़ती नहीं हुई। यदि अच्छा समन्वय हो और सही दिशा में प्रयत्न किए जाएं तो भविष्य में इस आपत्ति से बचा जा सकता है। इसके लिये केवल माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को दोष देना उचित नहीं है क्योंकि वे अपने विशेषज्ञों के मार्ग दर्शन पर ही काम करते हैं। इसके लिये सचिवालय भी दोषी है क्योंकि सचिवालयीन स्तर पर ही विशेषज्ञों की सलाह कार्यान्वित होती है। माननीय मन्त्री यह ध्यान दें कि विशेषज्ञों की सलाह का भविष्य में अधिक आदर किया जाए।

श्री खाडिलकर (अहमदनगर) : अध्यक्ष महोदय, अपने इस मामले पर चर्चा के प्रस्ताव को ठीक ही स्वीकार किया है। हमारी सरकार राजधानी की इतनी आवश्यक सेवा को भी ठीक रखने में

असमर्थ रही है । अभी भी नलों में पानी नहीं है । हमारे मन्त्री महोदय को मामले की पूरी देखभाल करनी चाहिए, हमारे यहां प्रशासन में समन्वय की कमी है । कहा गया है कि जमुना रास्ता बदल रही है, ठीक ही है, शायद वह भी राजधानी के दोषपूर्ण वातावरण से तंग आ गयी है । आश्चर्य की बात है कि जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और नगरपालिकाओं पर अन्तिम नियन्त्रण रखती है, ऐसे मामलों में असफल हो रही है । यह कहा गया है कि संसद् सदस्यों को पानी नहीं मिला । यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं । देखना यह चाहिए आखिर यह असफलता क्यों हुई ? दो वर्ष हुए इस सम्बन्ध में चेतावनी भी दे दी गयी थी । हमें याद है कि इसी तरह हजारों लोग पीलिया का भी शिकार हुये थे । सब यूं ही पड़ा रहा परन्तु इस दिशा में कुछ न किया गया । और हैरान होने की बात यह है कि यह सब भारत के प्रमुख नगर, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ । जहां विदेशी आते हैं, जहां राजदूत रहते हैं और हम चाहते हैं कि संसार के अधिक से अधिक लोग यहां आयें, वहां यह असफलता बहुत अखरती है । केन्द्रीय सरकार को यह मामला मामूली महत्व का नहीं समझना चाहिए । भारत के अन्य प्रमुख नगरों जैसा कि बम्बई और पूना है, वहां जल की व्यवस्था का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध है । इस हालत में उन्हें कोई अधिकार है कि वह किसी अन्य प्रशासन की किसी भी प्रकार की आलोचना करे ।

इस अवसर पर उन्हें इस असफलता को स्वीकार कर बड़ी गम्भीरता से सारे मामले पर विचार करना चाहिए । इधर उधर की युक्तियां प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं । दो वर्ष में कुछ नहीं हुआइस लिए आगे के लिए भी डर है इस कारण आश्वासन दिया जाना चाहिए । ऐसे ऐसे इंजीनियर देश में हैं जिनकी सेवायें प्राप्त कर हम यमुना का रुख बदल सकते हैं । इसलिए यह युक्ति भी कोई विशेष जोर नहीं रखती । १८ घंटे लोगों को नगर भर में पानी उपलब्ध नहीं हुआ । अतः आवश्यक है कि आश्वासन दिया जाय । मैं मानता हूं कि नये नगर का निर्माण बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है, परन्तु फिर भी आधुनिक नगरों में उपलब्ध कई एक सुविधायें यहां प्राप्त नहीं । मैंने मास्को, पैरिस और लन्दन भी देखा है । सरकार का कर्त्तव्य है कि उसी प्रकार की सब सुविधाओं की यहां पर व्यवस्था करे । उन समस्त सेवाओं की ठीक ढंग से व्यवस्था हो जो कि निगम अथवा नगरपालिका के अन्तर्गत आती हैं । प्रत्येक गरीब अमीर नागरिक को इन सेवाओं का लाभ उपलब्ध होना चाहिये । आज यह जो ऐतिहासिक महत्व का प्रस्ताव सदन के समक्ष है, उसका लाभ तब ही हो सकता है, यदि सरकार इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक आश्वासन दे । प्रथम लोक सभा में केवल दो अवसरों पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे और दूसरी लोक सभा में यह प्रथम अवसर ही है । अतः हमें अपने हृदयों को टटोलना चाहिए और कोई ठोस योजना बनानी चाहिए । यह हमारे जीवन स्तर और सम्मान का प्रश्न है । स्वतन्त्र भारत की राजधानी को अन्य देशों की राजधानियों के मुकाबले में खड़ा होना है । दिल्ली के नागरिकों अथवा उन विदेशियों को जो कि स्थायी रूप से यहां रहते हैं, यह आश्वासन प्राप्त हो जाना चाहिये कि यहां की सेवाओं में किसी प्रकार की भी कमी आगे से नहीं आयेगी ।

†**श्रीमती सुचेता कृपलानी** (नई दिल्ली) : स्थिति की कठिनाई को मैं अनुभव कर रही हूं । दिल्ली की जल समस्या सचमुच बड़ी विकट है और मैं मंत्री महोदय की कठिनाइयों में वृद्धि करना नहीं चाहती । परन्तु साथ ही मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मैं उनके वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हूं । इससे तो यही स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्थिति की विकटता को अनुभव नहीं किया । कोई आपत्ति आ जाये उसके लिए सरकार को माफ किया जा सकता है । परन्तु यह तो कोई आपताकालीन बात नहीं है । दिल्ली की जल समस्या को तो काफी काल से अनुभव किया जा

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

रहा था । प्रत्येक वर्ष इस सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया । क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि प्रत्येक वर्ष आने वाले इस आपात के लिये उन्होंने क्या व्यवस्था की है । यह मैं मानती हूं कि यमुना ने इस बार कुछ अधिक रास्ता तोड़ा है, इसलिए स्थिति कुछ अधिक भयावह हो गयी है । परन्तु प्रश्न तो यह है कि इस प्रकार की स्थिति को सम्भालने के लिए क्या कदम उठाये गये ।

दस वर्ष पूर्व इस नगर की जनसंख्या ५ लाख थी और अब यह जनसंख्या २३ लाख हो गयी है । हर वर्ष ६०, ७० हजार नये लोग दिल्ली में आ बसते हैं । इसलिए यहां गंदी बस्तियां हैं और जल अभाव है । बड़े बड़े महलों के पीछे नारकीय जीवन की झलकियां छिपी पड़ी हैं । लोग पशुओं से भी बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जीवन की सुविधाओं का उनके लिए कोई प्रबन्ध नहीं । दिल्ली के लोगों के लिए १५०० लाख गैलन पानी प्रतिदिन चाहिए परन्तु उपलब्ध हमें केवल ६२० लाख गैलन हो रहा है । काफी कमी है । हमें बताया जाये कि इस कमी को दूर करने के लिये क्या किया जा रहा है । प्रत्येक वर्ष हम योजनाओं की बात सुन लेते हैं परन्तु होता कुछ भी नहीं । इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए । बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण से पूर्व हमें समुचित जल की व्यवस्था करनी चाहिए ।

यमुना के रास्ता बदलने का जहां तक प्रश्न है, इसके लिए बहुत पहले से ही कदम उठा लिये जाने चाहिए थे । वे क्यों नहीं उठाये गये । नजफगढ़ नाले का जहां तक प्रश्न है । १६ शरणार्थी बस्तियों का पानी इस नाले में आता है, परन्तु अभी तक इसके लिये कुछ नहीं किया गया । जो कुछ हुआ है वह अनहोनी बात नहीं है, आपात नहीं, स्थिति के बारे में सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को पूर्ण जानकारी थी । और समस्या पर प्रत्येक वर्ष विचार किया जाता रहा है और इसे प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिये थी । दो वर्ष हुए कुछ लोगों की जानें पीलिया से गयीं, परन्तु यदि स्थिति ऐसी ही रही तो और भी कई जानों का खतरा हो जायेगा । बहुत बड़े जल संकट का सामना करना पड़ेगा । मैं इस बात पर जोर दूंगी कि मंत्री महोदय को कुछ थोड़ा और सचेत हो इस मामले को प्राथमिकता दे कर गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिए ।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी में, केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे, दिल्ली के बीस लाख से भी अधिक नागरिक पिछले अठारह घंटे से बिना पानी के तड़प रहे हैं । इस से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा शासन कितनी दक्षता से काम कर रहा है । मैं इस विवाद में राजनीति को घसीटना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी संकट पैदा हो गया, उस का सम्मिलित प्रयत्नों से मुकाबला किया जाना चाहिए । लेकिन इस सचाई से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो भी आपत्ति खड़ी हुई है, उस के लिए प्रकृति को इतना दोष नहीं दिया जा सकता, जितना कि ज़िम्मेदार व्यक्तियों को । यह आपत्ति मनुष्यकृत है । जमुना नदी सदा अपनी धारा बदलती है--सरकार के इन दावों के बावजूद कि नदियों पर नियन्त्रण किया जा रहा है और नदियों को पालतू बनाया जा रहा है । लेकिन यह धारा बदलने का उस का काम केवल इसी साल का नहीं है । पांच छः महीने पहले नदी की धारा बदल गई थी और उस समय मुर्दों को जलाने के लिए पानी नहीं था । आज नदी की धारा फिर बदल गई है और आज जिन्दों को जिन्दा रखने के लिए पानी नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारी ज़िम्मेदारी नदी पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा । जब एक के बाद एक वर्ष लगातार नदी की धारा बदल रही है, तो शासन का यह कर्तव्य था कि धारा के बदलने के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी, उस के निराकरण के लिए वह समयोचित कदम उठाता, लेकिन सरकार अपने कर्तव्य का पालन करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है और इस बात की

जांच की जानी चाहिए कि इस के लिए कौन उत्तरदायी है । यह कहने से काम नहीं चलेगा कि सचिवालय उत्तरदायी है; सचिवालय के कर्मचारी उत्तरदायी हैं । वैधानिक दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें सदन को इस बात का उत्तर देना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होने दी गई ।

१९५५ में भी नदी ने अपना धारा बदली थी । नजफ़गढ़ नाले की गन्दगी पीने के पानी में मिल गई थी और परिणामस्वरूप व्यापक पैमाने पर एक रोग फैला था । हम आशा करते थे कि इस दुर्घटना से सरकार की आंखें खुलेंगी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि सरकार ने पुराने अनुभवों से लाभ न उठाने का निश्चय कर लिया है और उस का परिणाम यह है कि आज फिर दिल्ली की जनता के सामने एक भयंकर संकट पैदा हो गया है । हम सब जानते हैं कि सरकार खाने के लिए लोगों को पूरा अनाज नहीं दे सकती, शरीर ढांपने के लिए पूरा वस्त्र नहीं दे सकती और आज स्थिति यह आ गई है कि सरकार लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं दे सकती है । अगर सरकार में थोड़ी लज्जा होती, तो वह चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाती, लेकिन आज शायद यहां पर चुल्लू भर पानी भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि उसे डूब मरना चाहिए ।

सवाल यह है कि जब एक संकट पैदा हो गया है, तो उस संकट की पूर्व-सूचना क्यों नहीं दी गई । अचानक आकाशवाणी हुई--रेडियो का नाम आकाशवाणी है--कि जल का संकट पैदा हो गया है । अब कितने लोग आकाशवाणी सुनते हैं ? दिल्ली की जनता पूरी तरह से इस संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं की गई । कार्पोरेशन ने एक मोटर घुमा दी, लेकिन अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें पहले से सूचना नहीं मिली कि पानी नहीं आयेगा और इसलिए वहां के लोग पानी का संग्रह नहीं कर सके । ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां पानी भेजने का प्रयत्न नहीं किया गया । अगर संकट पैदा हो गया है, तो उस के निराकरण के लिए जो तात्कालिक उपाय अपनाये जाने चाहिए, उन को अपनाने में भी शासन पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ है । सवाल यह है कि जो भी संकट पैदा हो गया है, भविष्य में ऐसा संकट फिर पैदा न हो, ऐसी परिस्थिति पैदा न हो, इस के लिए उपाय अपनाये जाने चाहिए, लेकिन गत वर्षों में इस सम्बन्ध में सरकार ने जिस ढंग से काम किया है, उससे यह आशा नहीं होती कि भविष्य में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होने से रोकी जा सकेगी । कार्पोरेशन के एक इंजीनियर महोदय ने बताया है कि वह इस संकट की आशंका कर रहे थे । सवाल यह है कि अगर सचमुच में कार्पोरेशन संकट की आशंका कर रही थी, तो उस के निराकरण के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाये गये और ऐसा क्यों लगा कि जैसे सरकार अप्रत्याशित रीति से संकट में फंस गई है । नदी में--जमुना में--पानी आया, तो यहां बाढ़ आ गई और दिल्ली के सरकारी भवनों में छः छः फीट पानी भर गया । अब नदी थोड़ी सी सरकी है, तो दिल्ली में जल का संकट पैदा हो गया है । क्या दिल्ली के भाग्य का निर्णय जमुना नदी करेगी या हमारे सामने बैठ हुए सरकार के सदस्य करेंगे ? मालूम होता है कि सरकार से अधिक शक्ति रखती है जमुना नदी और अगर सचमुच में जमुना नदी अधिक शक्ति रखती है, तो फिर सरकार ने अभी तक उस के नियंत्रण के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाये । या तो सरकार यह स्वीकार कर ले कि हम जमुना पर नियंत्रण नहीं कर सकते, ताकि दिल्ली के नागरिक सरकार क्या करे या न करे, इस का विचार छोड़ कर जमुना नदी से प्रार्थना करें । लेकिन सरकार यह दावा करती है कि वह नदियों को टेम कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, बड़े बड़े बांध बना सकती है, जिन का दुनिया में कोई सानी नहीं है, जिन को मन्दिरों का नाम दिया गया है और जिन को अपने कीर्ति-स्तम्भ के रूप में खड़ा कर के वह अपनी कीर्ति के झंडे गाड़ सकती है, तो क्या कारण है कि वह दिल्ली की जल समस्या का निराकरण नहीं कर सकती ।

आज जो भी परिस्थिति पैदा हो गई है, उस के लिए किसी को आगे बढ़ कर उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए, जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए और अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए । उसे इस

[श्री वाजपेयी]

सदन को और दिल्ली की जनता को विश्वास में लेना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उस की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायगी ।

मुझे विश्वास है कि जो भी स्थगन-प्रस्ताव रखे गये हैं, उन्हें स्वीकार किया जायेगा और शासन अपनी ज़िम्मेदारी को स्वीकार करते हुए इस बात का संकेत देगा कि वह जनता की भावनाओं का आदर करने के लिए तैयार है ।

मैंने सवेरे से पानी नहीं पिया है, इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं कर सकता । धन्यवाद ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बहुत खुशी है कि कम से कम काम रोकों प्रस्ताव इस सदन के सामने पानी की कमी की वजह से लाये गये हैं और उन पर विचार करने का मौका हम लोगों को मिला है । मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर कोई मसला ऐसा हिन्दुस्तान में है, जिस का समाधान, जिस के लिये उचित कार्यवाही कभी समय रहते भी हमारी सरकार करेगी । आज सदन के सामने यह बताया गया कि दिल्ली में जब बाढ़ का पानी आया, तो उस में तकरीबन अठारह व्यक्ति मर गये और काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गये और बहुत से मकान गिर गये । मैं सोचता हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि चाहे ग़ल्ले का मसला हो, बाढ़ का मसला हो, कोई भी मसला हो, उस पर पहले से विचार किया जाय और समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जाय, ताकि देश के सामने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा न हो और इस तरह का संकट न उठ खड़ा हो, जैसा कि आज हमारे सामने है । दिल्ली हमारे देश की राजधानी है । आज जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, उन्हों ने ऐसी खूबसूरत राजधानी को करबला का मैदान बना डाला है । मैं समझता हूं कि अगर किसी और देश में इस तरह की परिस्थिति पैदा होती कि पानी न होने की वजह से बच्चे परेशान हैं, तो लाखों लोग इस सदन के सामने आ कर न केवल स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफ़े की, बल्कि पूरी कैबिनेट के इस्तीफ़े की मांग करते ।

अगर हम प्रैस की न्यूज़ को पढ़ें, तो हमें साफ़ तौर पर पता लगेगा कि इस संकट का कारण क्या है । जवाब में यह कहा जाता है कि यमुना इज़ रिसीडिंग और मैं समझता हूं कि यमुना के साथ साथ हमारी सरकार भी जनता से रिसीड करती जा रही है । आखिर इस तरह से कैसे काम चलेगा ? आप पानी की समस्या को भी हल नहीं कर सके जोकि इतनी लाज़िमी चीज़ है । यह न कर के यहां एक माननीय सदस्य को एक पानी का गिलास ला कर देते हुए उस से मज़ाक किया जाता है । इन्सान की जिन्दगी के साथ इस तरह से मज़ाक नहीं होना चाहिये । चाहे खाद्यान्न का मसला हो चाहे पानी का मसला हो, अगर इन्सान की ज़िन्दगी के साथ मज़ाक करना है तो आप बेशक करें लेकिन याद रखें कि इस मज़ाक का जवाब एक न एक दिन हिन्दुस्तान की जनता अवश्य देगी ।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि एक सीनियर इंजीनियर ने क्या कहा है । उस ने कहा है कि अधिकारियों को वर्तमान कठिनाइयों का पता था ।

इस वास्ते यह बात नहीं है कि अचानक ही यह परिस्थिति पैदा हो गई हो बल्कि पहले ही पता था कि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी । आप लोगों से कहते हैं कि वे इंतिज़ार करें । कब तक वे इंतिज़ार करें ? क्या तब तक वे इंतिज़ार करें जब तक वे मौत के घाट न उतर जायें, जब तक वे फाका कशी न करें, जब तक उन के बच्चे तड़प तड़प कर न मरें ।

आप हमेशा कहते हैं कि आप की सरकार जनवादी सरकार है, लोगों ने इस को चुन कर भेजा है । मैं भी मानता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ऐसी नहीं है जोकि ज़बर्दस्ती आ कर बैठ गई

हो । यह लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है । जब यह लोगों द्वारा चुन कर आ कर हकूमत की कुर्सियों पर बैठी है तो कम से कम उसे इस चीज़ का एहसास तो होना चाहिये कि जब उस के सामने कोई चीज़ आये तो उस पर गम्भीरता से विचार करे और उस को हल करने की कोशिश करे न कि उस पर लीपा पोती कर के ही सब्र कर ले । यह नहीं कहा जाना चाहिये कि राजनीति तरीके से उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही है । हमारी राजनीतिक तरीके से हमला करने की मनोवृत्ति नहीं है । हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं जो इस मनोवृत्ति का परिचय देते हों । हो सकता है कि आज सत्ता की बागडोर आप के हाथों में हो मगर हम भी भारत को एक समझ कर उस के विकास में जो बाधायें हैं उन को दूर करने के लिये अपना योगदान करना चाहते हैं और जो मसले हैं उन को हल करने की कोशिश करना चाहते हैं और उसी तरीके से सोचते भी हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि आज चौदह लाख रुपया न मिलने की वजह से यह जो प्लान है यह कामयाब नहीं हो रहा है । यह चौदह लाख रुपया न दे कर आप सट्टेबाजी के लिये एक आदमी को डेढ़ करोड़ रुपये का लाइसेंस दे सकते हैं और कह सकते हैं कि वह सट्टा करे लेकिन चौदह लाख आप नहीं दे सकते हैं इस स्कीम को कम्पलीट करने के लिये । किस तरह से मसले हल होंगे यह समझ में नहीं आता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से जोकि हमारे पूज्यनीय नेता हैं और जिन की मैं बहुत इज्ज़त करता हूं कि इस मसले को ले कर दिल्ली की एड-मिनिस्ट्रेशन को सैंश्योर करना चाहिये । आखिर क्या वजह है कि पानी का मसला जोकि कई सालों से हमारे सामने है हल नहीं किया गया है । इस मसले को टैम्प्रेरी तौर पर हल कर देने से काम नहीं चलेगा ।

यह ठीक है कि पानी को बायल कर के पिया जाना चाहिये और लोग बायल कर के पीयेंगे भी । लेकिन पिछली मिसाल भी आप के सामने है । ७०,००० लोग इस बीमारी से परेशान हुए थे सन् १९५५ में और हज़ारों घर उजड़ गये थे । लेकिन पानी तो उन को मिलना चाहिये और यह भी देखा जाना चाहिये कि नजफगढ़ का डरावना नाला जो है और जिस का पानी बच्चों की किस्मत में लिखा हुआ है कहीं वह इस पानी में न मिला दिया जाय । मैं चाहता हूं कि इस पर संजीदगी से विचार किया जाय । यह मामला मज़ाक करने का नहीं । एक गिलास पानी दे कर किसी के साथ मज़ाक नहीं किया जाना चाहिये । यह सवाल हमारे बच्चों की मुश्किलात का सवाल है, उन की ज़िन्दगी का सवाल है उन की मौत का सवाल है और इस में कोई कोताही नहीं होनी चाहिये । यह मसला दिल्ली शहर का ही नहीं है बल्कि कलकत्ता शहर में भी यह मसला उठने वाला है लेकिन उस की तरफ बंगाल गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है और यहां की हकूमत भी खामोश बैठी हुई है । बंगाल में भी छः महीने में सेलाइन वाटर का मसला उठने वाला है और वहां भी यही हालत होगी । मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं बल्कि तजुर्बे के आधार पर मैं यह कह रहा हूं । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस मसले को राजनीतिक मसला न मानें और न ही इस को राजनीतिक रंग दें बल्कि साफ तरीके से मानें कि उन से गलती हुई है, यह क्रिमिनल नैग्लिजेंस है, इंडिफ्रेंस की वजह से यह हुआ है, कैलसनैस की वजह से यह हुआ है । यह उन को मानना पड़ेगा । अगर वह नहीं मानते तो मैं समझूंगा कि वह बहुमत का अपमान करते हैं, जमहूरियत का अपमान करते हैं, जमहूरियत का जनाज़ा इस सदन से निकालना चाहते हैं, लोगों को पानी न दे कर उन को प्यासा मारना चाहते हैं ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मुझे इस बात का दुःख है कि श्री राधारमण खांमखां इस मामले में राजनीति को ले आये, यद्यपि श्री गोरे ने इस में राजनीति को नहीं आने दिया । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि छोटी सी भूल से कितना भयंकर परिणाम निकल सकता है । राजधानी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

का सारा जीवन ही हिल गया । राजधानी में ऐसी बात हो तो सीमा पार के शत्रु इस गड़बड़ का लाभ उठा सकते हैं । अतः प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, यद्यपि यह बात विरोधी पक्ष के एक सदस्य द्वारा कही जा रही है । आश्चर्य है कि कभी दिल्ली में पानी की कमी हो जाती है और कभी पानी सर्वत्र फैल जाता है । दो वर्ष हुए जब पीलिया फैला था तो २० लाख की जनसंख्या में से ४०,००० लोग इस से प्रभावित हुए थे । बहुत से मर गये और भारी संकट का सामना करना पड़ा था । परन्तु इस से कुछ भी शिक्षा नहीं ली गई और आज फिर वैसा ही हाल हुआ है । मंत्री महोदय ने माना है कि १५ को हमें चेतावनी मिल गई थी, परन्तु जनता को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं कराई गई । यदि समय पर जनता को जानकारी हो जाती तो लोग पानी का प्रबन्ध कर लेते, क्योंकि जल के बिना तो जीवन चलना असम्भव है । परन्तु हमारे भाग्य में तो मंत्री महोदय के आंसू लिखे हैं, और वह भी उस समय जब कुछ मामला बिगड़ जाता है । खैर हम मंत्री महोदय की इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि आज शाम तक पानी आ जायेगा और इस के लिये उन के आभारी हैं ।

अन्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि तीन वर्ष हुए उस समय की स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृतकौर ने सदन में बोलते हुए कहा था कि यह ठीक है कि वजीराबाद स्टेशन की स्थिति परिवर्तन हो रही है और इस सम्बन्ध में श्री लंका सुन्दरम् के सुझाव बहुत ही लाभदायक हैं । इस बीच के लम्बे काल में कुछ नहीं किया गया । यह थोथी और झूठी बहाने बाजी कितनी देर तक चलती रहेगी । प्रत्येक समय एक ही युक्ति काम नहीं आ सकती । यह कहना भी अब बहुत पुराना हो गया नदी रास्ता बदल रही है, तेज चल रही है ।

तीन बातें बड़ी सरलता से की जा सकती हैं । पम्पिंग स्टेशन को उत्तर की ओर आगे किया जा सकता है । और नाले को कुछ नीचे किया जा सकता है अन्यथा कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिस से पानी को खींचा जा सके और उस में गंदा पानी न मिल सके । क्योंकि आप ने शुद्ध पवित्र पीने योग्य पानी राजधानी को देना है और यह आप का कर्तव्य है आप इस के लिये वचनबद्ध हैं । अतः मंत्री महोदय हमें बहुत सी बातें बताने की बात कर रहे थे, परन्तु जो गर्जते हैं वे बरसते नहीं वाली बात ही उन पर लागू होती है । एक बात मैं कहूंगा कि इस मामले में सरकार अपना कर्तव्य करने में नितान्त असफल रही है । यह बहुत ही उपेक्षा और गैर जिम्मेदारी का मामला है । समय पर आवश्यक कदम न उठा कर गम्भीर असफलता का मुंह देखने वाली बात है । यद्यपि उन्हें चेतावनी दे दी गई थी । सरकार रोटी, कपड़ा और घर देने में तो असफल हुई ही थी अब यह ईश्वर प्रदत्त जल देने में भी असफल रही है ।

अन्त में मुझे यही कहना है कि हम ने देश की जनता से यह वायदा किया है कि हम उन का जीवन स्तर ऊंचा करेंगे । यह तो बहुत ही कठिन बात है, अभी तो आप पानी दे कर ही जनता के हृदय को शीतल करें ।

इन शब्दों से मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं ने प्रातः यह निवेदन किया था कि यह मामला पक्ष लेने का नहीं है । इसका सब पक्षों से सम्बन्ध है और सारी दिल्ली जनता के लिए यह महत्व की वस्तु है । मैंने अपने विभिन्न माननीय सहयोगियों की बातें सुनी हैं । तीन बातें मेरी समझ में आई हैं और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैंने तीन प्रश्ने अपने से पूछे हैं । एक आज और कल जो पानी की कमी हुई है उसमें कोई भूल हुई है ? कोई ऐसी बात भी जिसको करके अधिकारी इस संकट को टाल सकते थे ? कोई ऐसी सावधानी है जिसको नहीं किया गया ?

पीलिया सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया । हम समिति की सिफारिशों का बहुत ही सम्मान करते हैं । पीलिया संकट के समय मामले की पूरी छानबीन की गयी थी । हमने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था । केवल दो सिफारिशें स्वीकृत नहीं की गयी थीं, बाकियों को कार्यान्वित किया जा रहा है । दो सिफारिशों का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश राज्य और हिंडीन से पानी लेने के सम्बन्ध में था । इस सम्बन्ध में भारत सरकार और निगम में बातचीत हो सकती है । सम्बद्ध राज्य पंजाब और उत्तर प्रदेश है ।

डा० सुशीला नायर ने सुझाव दिया है कि क्या हम कोई जलाशय की व्यवस्था नहीं कर सकते । इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं वह यह कि दिल्ली की स्थिति इस सम्बन्ध में विचित्र है । बम्बई में यह सम्भव है और वहां पानी का संग्रह किया जा सकता है । यहां पानी का सब से प्रमुख साधन यमुना है । यहां हिमालय से पानी को खींच कर तो एकत्रित नहीं किया जा सकता । न यह बात क्रियात्मक ही है । विशषेज्ञों ने इस सुझाव को असम्भव बताया है । चाहे हम इसे पसन्द करें चाहे न हमें मुख्यत: दिल्ली की आवश्यकताओं के लिये यमुना पर ही आश्रित रहना होगा । पानी संग्रह करने की कठिनाइयों को सदन अच्छी प्रकार जानता है । इस लिये यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है । वर्तमान जलाशय के स्थान को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । वास्तव में हमारे यहां विभिन्न बस्तियों के लिये छोटे जलाशय हैं । यह दिल्ली के जल संभरण की विचित्र व्यवस्था है। जो कुछ होता है उसे वितरण किया जाता है । नयी दिल्ली में जो पानी आता है उसे यमुना से कुछ घंटे पूर्व ले कर शुद्ध करके वितरण किया जाता है । कुछ मात्रा में पानी एकत्रित किया जा सकता है । जैसा कि कल किया गया जो कि ५ से ७ तक सम्भरित किया गया था । और जो पानी आज दिया जा रहा है वह प्रात: एकत्रित किया गया था ।

एक बात हम भूल जाते हैं और वह यह कि इस काम को करने वालें कर्मचारी कई बार हालात के अनुसार असमर्थ हो जाते हैं । उनके बस की बात नहीं रहती । पीलिया के पश्चात देश भर में कई प्रकार की महामारियां आई परन्तु दिल्ली सब से बचा रहा । माननीय सदस्य इस बात का परीक्षण कर सकते हैं कि इस सब का श्रय उनको है जो रात दिन पानी के शुद्ध संभरण की देख रेख करते हैं । यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पानी की शुद्धता किसी भी नगर से कम नहीं है ।

नदी के रास्ता बदलने की बात प्राय: सितम्बर में होती है । परन्तु असाधारण बाढ़ों के कारण यह कुछ समय से पूर्व हो गयी । हमें अगस्त में इसकी आशा नहीं थी । कल यह बात नहीं थी कि पानी बिलकुल कट ही गया हो । प्रथम छत्त वालों को पानी नहीं उपलब्ध हो रहा था । हमें यह कभी भी आशा नहीं थी कि जल सम्भरण पूर्ण रूप से रुक जायगा और पूर्ण रूप में वह रुका भी नहीं, पूर्ण साव-धानी का प्रयोग कर लिया गया था । यह नहीं कि कल सारा दिन पानी मिला ही नहीं । हमने कल शाम जानबूझ के पानी नहीं दिया । क्यों ? इसलिये कि क्लोरीन के मिलाने की कोई सीमा होती है । परीक्षण के बाद निगम के डाक्टरी विभाग में दो मत थे । प्रश्न यह था कि क्या कुछ समय के लिये प्रतीक्षा कर ली जाय ? परन्तु हम सप्ताहों तक तो पानी को नहीं रोके रख सकते । हमनें सोचा कि क्या जब तक पानी के दस लाख मात्रा में पांच भाग क्लोरीन नहीं रहता तब तक प्रतीक्षा करना ठीक है या नहीं । फिर क्लोरीन की मात्रा १० लाख में ७ हो गई । इतनी मात्रा सुरक्षित है । लकिन जब यह मात्रा बढ़ कर दस लाख में १५ हो गई, तब उन्हें सोचना पड़ा कि वे दिल्ली को गंदा पानी देवेंया एक आध दिन के लिये पानी बन्द कर दें । क्या हम क्लोरीन की मात्रा का अनुपात सही

[श्री करमरकर]

होने तक पानी बन्द करें । माननीय सदस्यों ने हम से यह कहा है, कि हमनें उचित सावधानी नहीं बरती । लेकिन कल जब निगम के अधिकारियों ने हमें यह बताया तो हमनें इस पर बहुत गम्भीरता पूर्वक सोचा । वस्तुतः यह समस्या आज दिन तक थी, जब मैं स्वयं वज़ीराबाद में पानी का संभरण करनें वालें कूओं को देखने गया था । यदि हम चाहते तो तात्कालिक आवश्यकतायें पूरी करने के लियें गंदे पानी का संभरण कर सकते थे । आज भी हमारे समक्ष यही समस्या थी ।

माननीय सदस्यों ने सरकार तथा निगम पर गलती करनें का दोषारोपण किया है । जब मैं आज प्रातःकाल वहां गया तो स्वयं मैंने इसे एक आलोचक की दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया । यदि माननीय सदस्य चाहें तो वें आज शाम या कल प्रातः वहां मेरे साथ जाकर वस्तुस्थिति को देख सकते हैं । मैंने वहां जाकर यह देखा कि जल एकत्र करनें वाली टंकियों तक जल पहुंचाने वाली नहर का जो पानी आ रहा था बहुत गन्दा था । पानी काफी भी नहीं था, क्योंकि नदी की धारा हट गई थी । यह नहर कहों कहीं पर २० से ३० फीट चौड़ी है और नदी का दूसरा किनारा कोई १००० से १२०० फीट दूरी पर है । वह कीचड़ से भरी हुई थी । पिछले चार दिनों से इसकी यही अवस्था थी । मैं ने वहां के प्रभारी अधिकारी से पूछा कि १४ की शाम और १५ की प्रातः को इसकी क्या स्थिति थी । उसने बताया कि १४ तारीख़ तक यह पानी से भरी हुई थी । १५ तारीख़ से पानी कम होना प्रारम्भ हुआ और १७ तारीख को ९ इंच से १ फुट तक पानी घट गया । ऐसे कीचड़ में कोई ड्रेज़र कार्य नहीं कर सकता है अब उनके लिये यह अत्यावश्यक हो गया कि वे नदी की दूर होती हुई धारा से पानी एकत्र करने वाली टंकियों तक एक नहर खोदें । उनकी मुख्य समस्या यही थी । पहिले दिन वहां ५०० मजदूर काम कर रहे थे लेकिन आज ढाई हजार से ३००० व्यक्ति काम कर रहें थे । वस्तुतः जब तक नदी का एक भाग सूखा न हो नहर निकालना बहुत कठिन होता है । आज प्रातः मैं ने देखा कि सेना का एक बुलडोजर उस गीली ज़मीन में धंस गया और २ बजे तक कार्य न कर सका । आज शाम से उसने अकेले ही ९०० मजदूरों के बराबर काम करना प्रारम्भ कर दिया है । मेरे माननीय मित्र प्रतिरक्षा मंत्री ने मुझे बताया कि तीन घंटे में उसने सारी नहर साफ कर दी । एक नहर साफ हो चुकी है। यदि नहर में अधिक पानी आ सका तो शाम तक पानी की टंकियों में ५०% पानी आने लगेगा और यदि काम सुचारु रूप से चलता रहा तो कल शाम तक जल संभरण सामान्य रूप से होने लगेंगा ।

मैं ने स्वयं इस मामले को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है तथा मुझे इस बात से संतोष है कि यथासंभव पूरी कार्यवाही की गई है । मैं स्वयं चाहता हूं कि सभा एक निश्पक्ष समिति बनाये जो यह जांच करे कि उस परिस्थिति में इस से अधिक अच्छी व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती थी ।

अब मैं सभा को उन स्थायी कार्यवाहियों के बारे में बताऊंगा जो इस सम्बन्ध में की जा रही हैं । समिति ने तेरह मुख्य सिफारिशें की थीं । जिनमें तीन गठन सम्बन्धी सिफारिशें थी जो नदी से सम्बन्ध रखती थीं। उन में से एक यह है कि यमुना के दायें किनारे पर एक दिवाल बनाई जाय जिस से भविष्य में यमुना की बाढ़ इत्यादि का जल संभरण पर कोई प्रभाव न हो । पिछले तीन वर्षों से हमारे समक्ष यही समस्या रही है कि यमुना की मुख्य धारा इस प्रकार नियंत्रण में रहे कि वज़ीराबाद की टंकियों में काफी पानी रहे ।

सदस्यों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि कल प्रातः काल तक शुद्ध जल का औसत संभरण १६२० लाख गैलन प्रतिदिन था । केवल कल प्रातः ही उन्होंने कठिनाई

अनुभव की। वे २०० लाख टन जल प्रतिदिन पानी दे सकते थे लेकिन उन्होंने पानी की गंदगी के बारे में विचार किया । क्लोरीन का अनुपात ५ से बढ़ कर १४ हिस्से प्रति दस लाख गैलन हो गया था। दो प्रकार के मत थे। एक तो यह था कि कोई बात नहीं, सम्भव है कोई खराबी पैदा न हो। डाक्टरों की राय यह थी कि जनता को गंदा पानी देकर, जिस से आगे अनेक जटिलतायें पैदा होने का खतरा है, पानी को आधे दिन बन्द कर देना कहीं अच्छा है । हम जनता से पानी को उबाल कर पीने की प्रार्थना कर सकते थे तथापि इस बात की आवश्यकता को सामान्य जनता नहीं समझ सकती है । निस्संदेह मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में कल शाम और आज भी रेडियो से घोषणा की गई तथापि रेडियो प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं है । इसलिये सामान्य जनता को बीमारी के खतरे से बचाने के लिये हमने पानी बन्द कर दिया। निस्संदेह यह दुःख की बात थी। मैं एक क्षण के लिये भी जनता को पीने के जल से वंचित रखना ठीक नहीं समझता हूं । हमारे लिये यही मार्ग बाकी था। वस्तुतः हमें निगम के उन अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहिये जिन्होंने रोग के खतरे की सम्भावना के स्थान पर वर्तमान असुविधा देना ही अच्छा समझा । यदि स्थिति यही रही तो सब से अच्छी बात यही है हम पानी आने के बाद भी दो चार दिनों तक पानी को उबाल कर पीयें। अन्ततः पानी का आना प्रारम्भ हो गया । किन्तु कल शाम तक जो भी पानी दिया गया वह क्लोरीन की दृष्टि से शुद्ध नहीं कहा जा सकता है ।

वस्तुतः मैंने पानी की कमी की इस घटना को निष्पक्ष रूप में देखने का प्रयत्न किया है न कि सरकारी पक्ष के एक सदस्य के रूप में। मुझे इस में कोई गलती नहीं ज्ञात होती है । वस्तुतः जब यह प्रश्न मुझ से पूछा गया कि २५० लाख गैलन अशुद्ध पानी दिया जाय या १४० लाख गैलन शुद्ध पानी दिया जाय तो मुझे कहना पड़ा कि मैं इस सम्बन्ध में सलाह लूंगा । मेरा विश्वास है कि यदि मैं यही प्रश्न श्री अ० क० गोपालन् और श्री गोरे से पूछूं तो वे भी मुझ से सहमत होंगे। उन्होंने जिस सहृदयता से यह मामला सभा के समक्ष रखा है उस से मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि वस्तुतः दोनों का उद्देश्य एक ही है । भले ही उन्हें गलत जानकारी दी गई है लेकिन उन्हें शिकायतें सभा के सम्मुख रखने का पूरा अधिकार है । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन्हें गलत सूचना दी गई है । इसलिये यदि वे मेरे निष्पक्ष दृष्टिकोण का समर्थन करें तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछले चार पांच दिनों की घटना के सम्बन्ध में कोई गलती नहीं हुई है । निस्संदेह मैं इस असुविधा के लिये जनता से क्षमा चाहता हूं । हमें इस बात का बहुत दुःख है चाहे हम इस पक्ष के सदस्य हों या उस पक्ष के हों। तथापि उक्त परिस्थितियों में और कोई चारा नहीं था। वस्तुतः उन्होंने सीमित मात्रा में हमें पानी देकर बहुत अच्छा किया। वे कल शाम तक हमें सर्वोत्तम प्रकार का पानी दे रहे थे। वे इस से अच्छा कुछ कर भी नहीं सकते थे ।

जहां तक जनता को चेतावनी देने का सम्बन्ध है । कल जैसे ही यह पता लगा कि क्लोरीन की मात्रा का अनुपात १४ से १५ तक ग गया है । उन्होंने जनता को चेतावनी देने की तत्काल कार्यवाही की। उन्होंने पुरानी ली की सड़कों पर तथा रेडियो द्वारा यह समाचार प्रचारित्त किया । मैंने स्वयं अ ा-ो अ ाखों से देखा कि बग्घी में चढ़कर वे घोषणा कर रहे थे । तथापि फिर भी यह संदेश घर घर नहीं हुंच सकता है । मैं ने स्वयं पढ़े लिखे व्यक्तियों को यह कहते सुना है कि जब मुझे अभी तक

[श्री करमरकर]

कुछ नहीं हुआ है तो भविष्य में क्या हो सकता है । हमारी जनता असाधारण रूप से असावधान है । न मैं यही स्वीकार कर सकता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को चेतावनी देने का प्रयत्न किया गया था ।

जहां तक स्थायी परिवर्तन करने का सम्बन्ध है मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि समिति की तेरह मुख्य सिफारिशों में से ग्यारह पर कार्य किया जा रहा है । उन में से मैं कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं ।

उदाहरणार्थ : इंजीनियरिंग अधिकारियों को पानी की मात्रा के सम्बन्ध में ही चिन्ता नहीं करनी चाहिये अपितु उसकी स्वच्छता के सम्बन्ध में भी उतना ही ध्यान रखना चाहिये । उन्होंने सिफारिश की है कि एक विशेष प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिये । मुझे यह प्रयोगशाला देखने का मौका मिला है । वे पानी की अच्छी तरह जांच करते हैं और वहां से दिल्ली को जो पानी संम्भरित किया जाता है वह किसी प्रकार अशुद्ध नहीं होता है ।

संयुक्त जल तथा जल प्रवाह बोर्ड के इंजीनियरिंग सचिव के अधिकारों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाय । उसकी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं ।

इन असैनिक बातों की देख रेख करने के लिये केन्द्र में एकीय प्राधिकार की स्थापना की जाय । फलस्वरूप उत्तरदायी सहयोग हो रहा है । वस्तुतः जो कार्य उन्हें सौंपा गया है उसे वे पूर्ण जिम्मेदारी से निभा रहे हैं ।

जल तथा मलनिस्सारण बोर्ड पहिले स्वायत्तशासी संस्था थी । तथापि यह बोर्ड और उसकी सारी व्यवस्था निगम के प्रति उत्तरदायी थी और निगम नागरिकों के हित के लिये है ।

सिफारिश में नदी के नियंत्रण के सम्बन्ध में खड़गवासला गवेषणा केन्द्र के निदेशक की सलाह लेने का ज़िक्र किया गया है । नियंत्रण करने के सम्बन्ध में दो बातें कही गई हैं । पहिला नदी के किनारे पत्थर की दीवार बनाना, जो पिछले वर्ष बनकर पूर्ण हो गई है । दूसरा पत्थर का वन्ध (वेयर) बनाने के बारे में था । वस्तुतः जब तक कोई व्यक्ति उस स्थान पर न जाय उसके लिये समझना कठिन है । नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बंध बनाने से, पानी एक ओर आ जाता है और जब आप जल निष्कासन करने वाले सुराख खोलेंगे तो सारा जल बायें से दांयें को आ सकता है ।

यह बांध भी आंशिक रूप से पूर्ण हो गया है । १९५९ की ग्रीष्म ऋतु तक वह पूरी तरह बन जायेगा । अगले वर्ष ही हम आपको यह बताने में समर्थ होंगे कि नदी नियंत्रित की जा चुकी है या नहीं । हमने इस सम्बन्ध में खड़गवासला स्टेशन की सलाह ली है, जो जल प्रवाह सम्बन्धी बातों के लिये विशेष विश्व के सब से अच्छे स्टेशनों में एक है । आशा है १९५९ की ग्रीष्म ऋतु में नदी के प्रवाह बदलने की आशंका नहीं रहेगी ।

२२ लाख व्यक्तियों में से केवल १८ लाख व्यक्तियों को शुद्ध जल प्राप्त होता है । ४ लाख व्यक्ति अशुद्ध जल ही पीते हैं । दिल्ली में प्रति व्यक्ति पानी की खपत देश भर में सब से अधिक है अर्थात् ३५ गैलन प्रति दिन है ।

हम दिल्ली के जल संभरण को ६.२ करोड़ से बढ़ा कर ९ करोड़ गैलन करना चाहते हैं क्योंकि अभी हम ४ लाख व्यक्तियों को शुद्ध जल नहीं दे पाते हैं । इस सम्बन्ध में एक कठिनाई और भी है । दिल्ली की जनसंख्या में पिछले चार पांच वर्षों से ६०,००० से ८०,००० तक वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है । लोग आकर कहीं भी रहने लगते हैं वे निगम की अनुमति नहीं लेते हैं, विशेषत: मजदूर लोग अपनी झोपड़ियां डाल कर कहीं भी रहने लगते हैं तब कच्चा घर बना लेते हैं और फिर उसे पक्का बना लेते हैं। वस्तुत: ऐसी बातों को विनियमित करना बहुत कठिन है । दिल्ली में कई बातें अनिश्चित हैं। यद्यपि हम योजना आयोग, डी० पी० ओ० की सहायता से इसे सुलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं । नवीनतम् जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या २३ लाख है । हम इस सारी जनसंख्या को जल पहुंचाने की उचित व्यवस्था करना चाहते हैं । अत: कुछ कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं, इसे मैं पिछले वर्ष और इस वर्ष के प्रारम्भिक भाग में कई प्रश्नों के उत्तरों के सिलसिले में दे चुका हूं । १९५९ तक यह कार्य पूरा हो जायेगा। आशा है तब तक दिल्ली के जल संभरण की मात्रा बढ़कर ९ करोड़ गैलन हो जायगी । तथापि हम दिल्ली की व्यवस्था इस प्रकार कर रहे हैं जिसकी गण संख्या ३ करोड़ होगी। तथापि जैसा मेरी माननीया मित्र, सुशीला नायर ने कहा कुछ अन्य बातें करनी आवश्यक होंगी । उन्होंने हिमालय की तलहटी पर एक स्थायी टंकी बनाने की सलाह दी है । तथापि अत्यधिक दूर होने के कारण यह सम्भव नहीं है ।

इसलिये हमारे विशेषज्ञों ने हिन्डन नदी योजना बनाई है । इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है । उसके सभापति केन्द्रीय लोक कर्म विभाग के मुख्य इंजीनियर हैं, तथा केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग के निदेशक, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मुख्य इंजीनियर, जल विभाग मुख्य इंजीनियर सिंचाई (उ० प्र०), मुख्य इंजीनियर सिंचाई (पंजाब) उसके सदस्य हैं। समिति बहुत काम कर रही है । तथापि कई कठिनाइयां हैं । तथापि उन्होंने समझौता कर लिया है । और कार्य सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है । इस योजना के बन जाने पर अधिक जल संभरण हो सकेगा । यह योजना भविष्य के लिये है जब हमें १२ करोड़ गैलन पानी प्रति दिन मिल सकेगा।

हम जल संभरण की मात्रा में इतनी वृद्धि करना चाहते हैं कि वह ३० लाख व्यक्तियों के लिये पर्याप्त हो । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यदि ऐसा संभव नहीं होगा तो जल संभरण अपर्याप्त रहेगा। तत्काल हम जल संभरण को ६ करोड़ गैलन से बढ़ा कर ९ करोड़ गैलन करना चाहते हैं। आशा है १९५९ तक हम इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे।

सभा के सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं। मैंने उन सभी का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है । जहां तक नलकूप लगाने का प्रश्न है उस में कठिनाई इस प्रकार है । उदाहरणार्थ महरौली रोड के निकट एक विशेष बस्ती में नलकूप लगाये गये थे। तथापि कई स्थानों पर उन से अच्छा पानी नहीं निकलता है । नलकूप जब तक काफी गहरा नहीं खोदा जाता उस से अच्छा पानी नहीं निकलता है ।

[श्री करमरकर]

बहुत गहरा खोदने पर उससे हमेशा काफी पानी नहीं निकलता है । दिल्ली में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहां कूंएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

निस्संदेह भविष्य में ऐसी स्थिति होने पर कूओं को बन्द करना उचित नहीं है । वजीराबाद से लौटते हुए मैंने लोगों को कूओं के निकट इकट्ठे देखा । निस्संदेह निगम को यह सुझाव दिया जा सकता है कि क्या कूओं से पीने का शुद्ध पानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है । निस्संदेह मैं उन्हें यह सुझाव दूंगा और वे विपत्ति के समय इस पर अमल कर सकते हैं ।

वस्तुतः स्वयं आपके अहाते में एक कूंए को बन्द कर दिया गया । आप इससे सहमत नहीं थे तथापि हम यह नहीं चाहते थे कि आपके के अहाते में कहीं अशुद्ध पानी रहे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने वह कूंआ बन्द नहीं करने दिया। आस पास के लोग वहां से पानी ले जाते रहे हैं ।

†**श्री करमरकर** : वस्तुतः स्थिति यह है कि दिल्ली में हर स्थान पर अच्छा पानी नहीं मिल सकता है । तथापि इस सुझाव पर भी कार्य किया जाना चाहिये । मेरे विचार से विभिन्न स्थानों में कुछ कूंऐं खुदवा दिये जायें और यदि उन में पीने का जल उपलब्ध हो तो उनकी रक्षा की जाय तथा उन का उपभोग किया जाय जिस से आपातकाल में उनका उपभोग किया जाय । तथापि मेरे विचार से कोई ऐसी आपद् आने की आशंका नहीं है कि नलकूपों के खुदवाने की आवश्यकता हो । क्योंकि जो सावधानी इस सम्बन्ध में बरती जा रही है उस से इस बात की आशा बहुत कम है कि ऐसा संकट दिल्ली पर फिर आयेगा।

वस्तुतः हम जल संभरण की समस्या के सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्तित हैं । क्योंकि भले ही दिल्ली की सारी समस्यायें हल हो जायें जब तक जल संभरण की यह समस्या हल नहीं होगी तब तक यह हमारी असफलता ही समझी जायेगी । मैं स्वयं इस बात की सावधानी से देख भाल करूंगा । निगम स्वयं उत्तरदायी संस्था है । पहिले यह कहा जा सकता था कि मंत्रालय और विभाग इसकी देख भाल न कर सके । तथापि अब निगम बड़ी कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है और आशा है कि भविष्य में यह आशंका ही पैदा नहीं होगी।

सभा को इस बात पर विचार करना चाहिये कि सभा में जो कुछ भी कहा जायेगा उसको बाहर बहुत महत्व दिया जायेगा। यदि सभा में हम एक ही ऐसा शब्द कहें जिस से संकट बढ़ने की संभावना हो तो उस से हमारे सामाजिक हितों पर आघात हो सकता है ।

मैं ने सभा के समक्ष सभी तथ्य रख दिये हैं । मैं आशा करता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर मतदान लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वस्तुतः सभा में सामयिक चर्चायें होना अच्छा है । लोकतंत्रात्मक संविधान में उनका बहुत महत्व है । इस से जो लोग यह कार्य कर रहेहैं उन्हें उत्साह प्राप्त होगा । जब उन्हें ज्ञात होगा कि संसद् इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दे रही है तो उनके प्रयत्नों में तीव्रता

---

†मूल अंग्रेजी में

आयेगी। सारे तथ्यों को सभा के समक्ष रखने के उपरांत मैं पूर्ण सदाशयता से उन माननीय मित्रों से, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में चर्चा कर चुके हैं, आगे हम सतर्क रहेंगे अब स्थगन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री गोरे** : माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनने के उपरांत मेरा यह विचार और भी पक्का हो गया है कि स्थगन प्रस्ताव पर मतदान होना आवश्यक है । स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्य प्रश्न का उत्तर न देकर असंगत बातें कही हैं। मुख्य प्रश्न यह था कि जब दो वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी तो पुनः ऐसी स्थिति क्योंकर पैदा हुई । उन्होंने कहा है कि बुल डोज़र धंस गया था और जमुना बायें को मुड़ गई थी वस्तुतः ठीक यही बातें पहले भी हुई थीं।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें थीं कि नजफगढ़ नाले को इस प्रकार बनाया जाये कि वह जमुना के पानी को दूषित न कर सके, नदी की चौड़ाई में एक बंध बनाया जाये और हिन्डन से पानी लेने की व्यवस्था की जाय । तीन सिफारिशों में से एक भी क्रियान्वित नहीं की गई । स्थगन प्रस्ताव को रखने का उद्देश्य ही यह था कि पिछले दो वर्षों में यह कार्य क्यों नहीं किया गया। इसके उत्तर में हमें केवल असंगत बातें सुनने को मिली हैं।

अन्त में मैं प्रश्न की पूर्ववर्तिता पर भी दो शब्द कहना चाहता हूं । जब हम अशोक होटल के लिये तीन करोड़ रुपये व्यय कर सकते हैं तो क्या स्वच्छ जल के लिये, जिस से करोड़ों व्यक्तियों का जीवन सम्बन्धित है, धन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । वस्तुतः हमें पहले अधिक आवश्यक कार्यों के लिये धन की व्यवस्था करनी चाहिये अतः मैं स्थगन प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"अब सभा का कार्य स्थगित किया जाय ।"

सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ४६ और विपक्ष में १६१

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य स्थगन प्रस्ताव नियम विरुद्ध ठहराये जाते हैं।

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में वेतन दरों का निर्धारण तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

(सोमवार, १८ अगस्त, १९५८)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६३१--६५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७८	बरौनी और गोहाटी में तेल शोधनशालायें	६३१--६३३
१७९	बेसिकोत्तर शिक्षा	६३४--६३५
१८०	विधि आयोग	६३५--६३७
१८२	दिल्ली में देशी शराब	६३७--६३९
१८३	१९६१ की जनसंख्या	६३९-६४०
१८४	सौराष्ट्र में कैल्साइट के निक्षेप	६४०-६४१
१८५	जीवन बीमा निगम की पूंजी लगाने की नीति	६४१-६४२
१८६	चोरी से आने वाला सोना	६४२-६४३
१८८	भारतीय दण्ड संहिता	६४३-६४४
१८९	प्रादेशिक फार्मूला	६४४-६४५
१९०	जामा मस्जिद	६४५-६४६
१९२	खमरिया आयुध कारखाना	६४६--६४८
१९४	हिन्दी टेलीप्रिंटर	६४८-६४९
१९५	पाटस्कर प्रतिवेदन	६४९-६५०
१९६	उत्तरी उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर	६५०-६५१
१९८	होटलों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	६५२
१९९	राज्यों के विधेयक	६५२-६५३
२००	शिवसागर में तेल के लिये खुदाई	६५३
२०२	नासिक में भूमि अधिग्रहण	६५४
२०३	दिल्ली में वर्षा	६५५-६५६
तारांकित प्रश्न संख्या १८३ क उत्तर की शुद्धि		६५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८१	डगडा का कोयला धोने का कारखाना	६५६-६५७
१८७	विज्ञान मंदिर	६५७
१९१	राज्यों को केन्द्रीय सहायता	६५७
१९३	चन्द्रकेतुगढ़ में प्राप्त वस्तुयें	६५८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९७	ट्राम्बे में जेट्टी	६५८
२०१	भारतीय खान ब्यूरो की प्रयोगशाला	६५८-६५९
२०४	बातूखड के निकट तेल की खुदाई	६५९
२०५	यूनेस्को से टेक्निकल सहयता	६५९
२०६	निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा	६६०
२०७	रूरकेला उर्वरक संयंत्र	६६०
२०८	अमरीकी अर्थव्यवस्था में मंदी	६६०-६६१
२०९	दक्षिण भारत की भाषाओं का अध्ययन	६६१
२१०	आर्थिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र की विशेष निधि	६६१
२११	दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्	६६२
२१२	दिल्ली पंजाब पुलिस पदाली का अलग अलग किया जाना	६६२
२१३	प्रधान प्रतिरक्षा कार्यालय, नई दिल्ली	६६२-६६३
२१४	सरकारी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन	६६३
२१५	लेखा परीक्षा को लेखे से अलग किया जाना	६६३-६६४
२१६	निर्वाचन याचिका	६६४
२१७	सिंगारेनी कोयला खानों को कर्ज	६६४-६६५
२१८	रबीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस शताब्दी समारोह	६६५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४४०	सवाई माधोपुर में लोहे की खानें	६६५
४४१	बिहार से आयकर	६६५-६६६
४४२	जीवन बीमा निगम पूंजी विनियोग	६६६
४४३	'आर्डनेंस फैक्टरी न्यूज़'	६६६
४४४	आयकर	६६६
४४५	सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक	६६७
४४६	एलीफेण्टा की गुफायें	६६७
४४७	जनता पालिसियां	६६७
४४८	चोरी छिपे माल का लाना और ले जाना	६६७-६६८
४४९	निर्यात शुल्क	६६८
४५०	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	६६८
४५१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	
४५२	आयकर सम्बन्धी मामले	६६९
४५३	कर जांच आयोग	६६९-६७०
४५४	पंजाब की टेक्नीकल शिक्षा योजनायें	६७०
४५५	लोहा, इस्पात और कोयला सम्बन्धी पंजाब की मांग	६७०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४५६	अजन्ता की गुफायें	६७१
४५७	पंजाब उच्च न्यायालय	६७१
४५८	दिल्ली विश्वविद्यालय में साइंस की क्लासें	६७१
४५९	सम्बद्ध कालेजों में अध्यापक	६७२
४६०	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय गवेषणा संस्था	६७२
४६१	मुरादपुर में पेट्रोलियम के निक्षेप	६७२-६७३
४६२	विशेष जीवन बीमा एजेंट	६७३
४६३	भारत शिक्षा सेवा	६७३
४६४	यूनेस्को से सहायता	६७३
४६५	पुस्तकालयों के लिये मंत्रणा समिति	६७४
४६६	केरल शिक्षा विधेयक	६७४
४६७	दिल्ली के स्कूल	६७४
४६८	सर्कस	६७४-६७५
४६९	नाभिकीय विज्ञान	६७६
४७०	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	६७६
४७१	युद्ध स्मारक	६७६-६७७
४७२	सहायक विमान बल के लिये जेट विमान	६७७
४७३	बाबर में खुदाई	६७७
४७४	सरकारी निर्माण कार्य	६७७-६७८
४७५	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	६७८
४७६	पंजाब में भटिंडा किला	६७८
४७७	पंजाब विश्वविद्यालय	६७८—६७९
४७८	भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटना	६७९
४७९	भारत-पाकिस्तान पुलिस पदाधिकारियों की बैठक	६७९
४८०	टैगोर का पैतृक घर	६८०
४८१	शिक्षा बोर्ड	६८०
४८२	नियंत्रित मूल्यों पर इस्पात की खरीद	६८१
४८३	शिशु कल्याण सम्बन्धी गोष्ठी	६८१
४८४	निवेली लिग्नाइट निगम के लिये इमारती लकड़ी	६८१
४८५	अस्पृश्यता	६८२
४८६	छावनियों में भंगी और मेहतर	६८२
४८७	इस्पात का वितरण	६८२-६८३
४८८	मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की बैंचें	६८३
४८९	टोकियो में एशियाई खेलों में भारतीय दल	६८४
४९०	अफीम	६८४
४९१	अफीम और क्षाराभ का सरकारी कारखाना, गाजीपुर	६८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न		
संख्या		
४९२	नरम इस्पात	६८५–६८६
४९३	जर्मन गवेषणा दल	६८६–६८७
४९४	मनीपुर राइफल्स	६८७
४९५	मनीपुर में आग	६८७
४९६	शारीरिक व्यायाम शिक्षक	६८७–६८८
४९७	हिमाचल प्रदेश में पड़े हुये पाइप	६८८
४९८	हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र	६८९
४९९	हिमाचल प्रदेश में समाज कल्याण केन्द्र	६८९
५००	शस्त्र कारखाने का पता लगना	६८९
५०१	गैर-सरकारी सार्थों में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धियों का नियोजन	६८९–६९०
५०२	फोर्ड प्रतिष्ठान प्रशिक्षण केन्द्र	६९०
५०३	अन्धे व्यक्ति	६९०
५०४	तस्कर व्यापारियों के साथ पुलिस की मुठभेड़	६९१
५०५	हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा	६९१
५०६	गाज़ा में भारतीय सैनिक	६९१–६९२
५०७	तस्कर व्यापार	६९२
५०८	सोने का तस्कर व्यापार	६९२
५०९	सार्वजनिक उपक्रम	६९२–६९३
५१०	दिल्ली में झोंपड़ियों का गिराया जाना	६९३
५११	उत्तर प्रदेश में नयी औद्योगिकी संस्थायें	६९३
५१२	खेल कूद	६९४
५१३	त्रिपुरा में भ्रष्टाचार के मामले	६९४
५१४	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग, चन्दौसी	६९५
५१५	तस्कर व्यापार	६९५
५१६	विशेष पुनर्विलोकन बोर्ड	६९६
५१७	आय-कर	६९६
५१८	तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क	६९७
स्थगन प्रस्ताव		६९७–७०१
	(१) अध्यक्ष महोदय ने जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के दिन हुई घटनाओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना राजा महेन्द्र प्रताप ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।	
	(२) अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली में पानी के बन्द हो जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना सर्वश्री नारायण गणेश गोरे, नाथपाई और यादव नारायण जाधव ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति दी।	

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव--(क्रमशः)

सभा के अनुमति देने पर प्रस्ताव पर चर्चा प्रक्रिया नियमों के नियम ६१ के अन्तर्गत ४ म० प० बजे तक रोक रखी गई। प्रस्ताव पर ४ म० प० से ६-३० म० प० तक चर्चा हुई। प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में ४६, विपक्ष में १६१। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में सूचना . . . ७०४

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें अहमदाबाद नगर के पुलिस सुपिरिंटेंडेंट से दिनांक १७ अगस्त, १९५८ को यह संदेश प्राप्त हुआ है कि सर्वश्री इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक और करसन दास परमार सदस्य, लोक-सभा को, १७-८-५८ को ८-१५ बजे अहमदाबाद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है।

सदस्य की नजरबन्दी और रिहाई ७०४

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें कलोल के डिप्टी सुपिरिंटेंडेंट पुलिस से दिनांक १७ अगस्त, १९५८ का यह तार प्राप्त हुआ है कि श्री पुरुषोत्तमदास पटेल, सदस्य, लोक-सभा, जिन्हें आज १६-४५ बजे बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा ६९ के अन्तर्गत कलोल के धर्मशाला टावर चौक के निकट रोक लिया गया था, उसी धारा के अन्तर्गत आज १७ अगस्त, १९५८ को १८-३० बजे जाने दिया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ७०१--७०४

निम्नलिखित पत्र टेबल पर रखे गये :

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५८।

(दो) १९५६-५७ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे, भाग १--संशोधित।

(तीन) १९५६-५७ के लिये विनियोग लेखे, रेलवे भाग २--व्योरेवार विनियोग लेखा।

(चार) ब्लाक लेखे (ऋण के लेखे के पूंजीगत विवरण सहित) संतुलन-पत्र और लाभ तथा हानि का लेखा, रेलवे, १९५६-५७।

(२) वस्त्र जांच समिति, १९५८ की रिपोर्ट की एक प्रति।

(३) दिल्ली में बाढ़ और इसी प्रकार की विपत्तियों के विरुद्ध उपाय ढूंढने वाली समिति के पहली प्रतिवेदन की एक प्रति।

(४) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक २९ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४३२।

(दो) दिनांक १ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४३६।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(तीन) दिनांक १ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४४१ जिसमें खनिज संरक्षण तथा विकास नियम, १९५८ दिये गये हैं ।

(५) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ११ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६०३ में प्रकाशित दिल्ली निर्वाचक-गण (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

(६) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उपधारा (३) के अन्तगत लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचकों का संचालन तथा निर्वाचन याचिकाओं का निबटाया जाना) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक २९ मई, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ४३३ ।

(दो) दिनांक २६ जून, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ५२७ ।

(७) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २५ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९३ की एक प्रति जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(८) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जून, १९५८ की अधिसूचना द्वारा शुद्ध किये गये जीवन बीमा निगम नियम, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक १० मई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३१७ की एक प्रति ।

(९) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन-शल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १२ जुलाई, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५९३ की एक प्रति जिसमें सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रत्याहृत (बाइसिकल) नियम, १९५८ दिये हुये हैं ।

(१०) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक २ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६४७ ।

(दो) दिनांक ९ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६७९ ।

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(तीन) दिनांक ६ अगस्त, १९५८ का जी० एस० आर० संख्या ६८० ।

(११) सम्पदा-शुल्क तथा रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २९ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३२७ में प्रकाशित सम्पदा-शुल्क (वितरण) नियम, १९५८ की एक प्रति ।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ . . . ७०४

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् ने सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८ सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

रेलवे मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . . ७०४—७०६

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने रेलवे भाड़ा दरों में संशोधन करने के लिये रेलवे भाड़ा दर जांच समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय के बारे में एक वक्तव्य दिया और उसकी एक प्रति भी पटल पर रखी ।

प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गये . . ७०६

श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता ने प्राक्कलन समिति की वर्ष, १९५७–५८ में हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश खण्ड १, अंक १ से ३ की एक प्रति पटल पर रखी ।

विधेयक पारित . . . . . . ७०६—७५५

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) द्वारा सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियां विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खण्डवार विचार करने के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक विचाराधीन ७५५

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) द्वारा श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दरों का निर्धारण) विधेयक, १९५८ पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, १९ अगस्त, १९५८ के लिये कार्यावलि

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा दिल्ली में जल संभरण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) द्वारा वक्तव्य ।

GIPND—LS III 137LSD—4-9-58—160